



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234751
CG-DL-E-01042022-234751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]
No. 228]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 231(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,--
(i) आरंभिक भाग में "2021" अंकों के स्थान पर, "2022" अंक रखे जाएंगे;
(ii) उपनियम (5) में, "2020" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-1 सहज, आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3 आ.क.वि.-4 सुगम, आ.क.वि.-5, आ.क.वि.-6, आ.क.वि.-V और आ.क.वि.-पावती के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:--

“आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी [किसी व्यक्ति निवासी के लिए (जो कि सामान्यतः निवासी के अतिरिक्त नहीं हो) जिसकी कुल आय 50 लाख रु. तक हो, वेतन से आय हो, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोत (व्याज आदि) तथा कृषि आय 5000 रु. तक हो।] [किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो या कंपनी में निवेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या अमूचीबद्ध इन्फ्लेक्शन में निवेश किया हो, यदि इससेओपी में आयकर भिन्न है।] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष 2 0 2 2 - 2 3

भाग क - साधारण जानकारी												
(क1) स्थायी लेखा संख्या												(क2) प्रथम नाम
												(क3) अंतिम नाम
												(क4) जन्म की तारीख
												(क5) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आई.डी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)
(क6) मोबाइल नं०												(क7) ई-मेलपता
												पता: (क8) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. (क9) परिसर / भवन / ग्राममार्ग (क10) गली / डाकघर क्षेत्र/ अवस्थान (क11) नगर/ शहर/ जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिनकोड
(क15) धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) / कृपया अनुदेश देखें												(क16) रोजगार की प्रकृति- <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- सी.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- एस.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- सा.क्षे.उ. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आदि)
(क17) या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया												<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148
(क18) यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)												/ /
(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 या धारा 119(2)(ख) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है - यूनिफ संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डी.आई.एन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।												/ /
(क20) क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
(क21) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]												
(क22) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (रु)
(क23) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है												(यदि हां है तो) रकम (रु)
(क24) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (रु)
(क25) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है (हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)												(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

भाग ख- सकल कुल आय में													
वेतन/पेंशन	ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग + 1घ + 1ङ)									i	
			क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक								
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख										
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग										
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iघ										
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ										
	ii	धारा 10के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii										
	iii	धारा 89 क के तहत करायन से राहत के लिए आय का दावा	iii										
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii - iiiक)	iii										
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv										
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	ivक										
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख										
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग										
V	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv)	ख1											

केवल संपूर्ण रुपए (रु)

और हस्ताक्षर	विवरणों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए डापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)। तारीख: हस्ताक्षर:	
यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें :		
टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्रारूप आ.क.वि- 2	भारतीय आयकर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाष से आय नहीं है। [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	2	-	2

भाग क- साधारण साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं. (पैन)
	(क6) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०	(क7) परिसर / भवन / गांव का नाम		(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब
	(क8) मार्ग / गली / डाकघर	(क14) जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष) / /		
	(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
	(क10) नगर / शहर / जिला	(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / जिप कोड	
		(क12) देश		
	(क16) निवास/कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. 1	(क17) मोबाइल नं० 2		
(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)	(क19) ई मेल पता -2			

प्रस्तुत पत्र भरकर	(क20क1)	धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए] या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ-उपांतरित विवरणी <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात् <input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148
	(क2)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अभी विकल्प चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> विकल्प नहीं चुन रहे <input type="checkbox"/> विकल्प जारी <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर	
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है।]	
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
	(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)

(खीव)	क्या आप धारा 139(1) के सांतवें परंतुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)		(चिह्न) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)		/									
(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिट नंबर)	/									
(ङ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यक्ति के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण लागू नहीं होता है] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]									
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख र. के अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित									
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)</th> <th>करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	1			2		
क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)										
1												
2												
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें - <table border="1"> <thead> <tr> <th>पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</th> <th>पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)							
पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)											
	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी										
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)											
(ज)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -											
	(1)	प्रतिनिधि का नाम										
	(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राफ्ट डाऊन उपबंधित किया जाए)										
	(3)	प्रतिनिधि का पता										
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार										

(झ)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पेन	क्या उसक शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध					निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)					
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)												
(ञ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पेन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष	
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)					नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)							
नियोजक का पता		नगर / शहर			राज्य		पिन कोड / जिप कोड							
1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)										1				
वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					1क							
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					1ख							
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					1ग							
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय					1घ							
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय					1ङ							
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)														
2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)										2				
2क धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा										2क				
3 धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)										3				

4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5	
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग	
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)					
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
	I					
	II					
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टेन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II			
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					
	क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य				1क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख	
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर				1ग	
	घ योग (1ख + 1ग)				1घ	
	ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है				1ङ	
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च		
छ 1च का 30%				1छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				1ज		
झ योग (1छ + 2ज)				1झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया				1ञ		
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)				1ट		
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)						

सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I					
II					
<input checked="" type="checkbox"/> लागू विकल्प पर का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
I					
II					
क		प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क	
ख		किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग		स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ		योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ		वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
च		स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च		
छ		1च का 30%	2छ		
ज		उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ		योग (2छ + 2ज)	2झ		
ञ		वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ		
ट		गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट		
3		आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *	3		
4		“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4		
टिप्पण		इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण		किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची -गछ		पूंजी अभिलाभ			
अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का	
		ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii	

				iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [यदि (कii), (कi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (कi) लेंगे अन्यथा (कii) लेंगे।	कiii				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi				
				ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii				
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
				iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv				
			ग	अतिशेष (कiii - खiv)		1ग				
			घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		1घ				
			ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1ग - 1घ)			अ1ङ			
			च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
				क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन्/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	
				टिप्पण ▶		पैन्/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।				
		2		इक्विटि शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटि की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है						
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य		2क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi				
				ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii				
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
				iv	कुल (i + ii + iii)	खiv				
			ग	अतिशेष (2क - खiv)		2ग				

			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ	
			ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)		अ2ङ
		3		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)		
			क	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है		अ3क
			ख	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है		अ3ख
		4		अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से		
			क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		

		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
		iii	कुल (ग + ii)	क iii	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv	कुल (i + ii + iii)	खiv	
		ग	अतिशेष (4कiii - खiv)	2ग	
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ	
		ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		अ4ङ
5			उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		

क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iग		
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का			
	iii	कुल (iग + ii)		क iii	
ख धारा 48 के अधीन कटौती					
ख	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)		खiv	
ग	अतिशेष (5क iii - खiv)	5ग			
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनि ट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनि ट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है	5घ			

ड	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूज (5ग + 5घ)	अ5ड
---	--	-----

6	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि													
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं													
	<table border="1"> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है</th> <th>वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है</th> <th>क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)</th> <th>नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है</th> <th>नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि</th> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>2019-20</td> <td>54ख</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	ii	2019-20	54ख				
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि									
ii	2019-20	54ख												
	खक से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि													
	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + ख)	क6												
7	अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)	अ 7												

क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7क																																				
ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ख																																				
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ग																																				
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है																																					
	<table border="1"> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>आय की रकम</th> <th>ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है</th> <th>देश का नाम और कूट</th> <th>धनकक की मद</th> <th>क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)</th> <th>आय-कर अधिनियम की धारा</th> <th>आय-कर अधिनियम के अनुसार दर</th> <th>लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)</th> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> <td>(8)</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	I									II									
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)																														
I																																						
II																																						

क	डीटीएए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि जो कर प्रभार्य नहीं है	क8क
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि विशेष दरों पर कर प्रभार्य है	क8ख

9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)	क 9
---	---	-----

दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)						
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
		संनिर्माण की तारीख दिन/मास/वर्ष			विक्री/हस्तांतरण की तारीख दिन/मास/वर्ष			
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का				
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii				
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
		i	अधिग्रहण की लागत	खi				
		iiक	सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत	खiiक				
		iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत	खiiख				
		(क)	संशोधन की लागत					
		(ख)	संशोधन वर्ष					
		(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत					
			पंक्ति जोड़े					
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
		iv	कुल (खiiक + खiiख + खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (काiii - खiv)			1ग			
	घ	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)			1घ			
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)						
	च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
	क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
	टिप्पण ▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से							
क	प्रतिफल का कुल मूल्य			2क				
ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खi			
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खiii			
	iv	कुल (खi + खii + खiii)			खiv			
ग	अतिशेष (2क - खiv)			2ग				
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)			2घ				

ड बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)		आ2ङ
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहाँ धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से	
क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क
ख	धारा 48 के अधीन कटौती	
i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi
ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii
iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii
iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv
ग	धारा 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3ग
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3घ
ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	आ3ङ
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से	
क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	4क
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	4ख
ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)	ख4चघ
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)	
क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूअ	5क 4
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	5ख
ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)	आ5ग
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)	
क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।	
क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक
ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख
ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग
ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
iii	कुल (iग + ii)	क iii
ख	धारा 48 के अधीन कटौती	
i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi

	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
ग		अतिशेष (6कiii - खiv)	6ग		
घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	6घ		
ङ		अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)		आ 6ङ	
7		अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदलत किया जाता है की इकाई के विक्रय से			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	7ख		
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख)		ख7ग	
8		अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन			
	क	विनिदिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ख		
	ग	विनिदिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ङ	
	घ	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना	8घ		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ङ		
	च	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च	
9		जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से			
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
	iii	कुल (iग + ii)	कiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (9कiii - खiv)	9ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	9घ		
	ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		आ 9ङ	
10		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			

क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं							
	हाँ ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)							
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
i	2018-19	54/54च/54ख						
ii	2019-20	54ख						
ख	'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+काii+ख)					ख 10		
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)					ख 11		
क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			ख11क1				
क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			ख11क2				
ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			ख11ख				
12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं							
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
I								
II								
13	आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (ख1ड+ख2ड+ख3ड+ख4ड+ख5ग+ख6ड+ख7ग+ख8ग+ख9ग+ख10+ख11+ख12क)					ख13		
ड	'पूंजीगत अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (क9+ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य के रूप में हो)					ड		
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना							
1	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54खख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए							
क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती							
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			क i	दिन / मास / वर्ष			
ii	नए आवासीय घर की लागत			क ii				
iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख			क iii	दिन / मास / वर्ष			
iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम			क iv				
v	दावा की गई कटौती की रकम			क v				
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती							
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			ख i	दिन / मास / वर्ष			

	ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v	
	ग धारा 54इग के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास	ग ii	
	iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv	
	घ धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नए आवासीय घर की लागत	घii	
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घiii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा	घiv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घv	
	ङ धारा 54छख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन / मास / वर्ष
	ii	पात्र कंपनी का पैस	ङii	
	iii	पात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग	ङiii	
	iv	शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख	ङiv	दिन / मास / वर्ष
	v	पात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की	ङv	
	vi	संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख	ङvi	दिन / मास / वर्ष
	vii	पूंजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से	ङvii	
	viii	दावा की गई कटौती की रकम	ङviii	
च धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)				
i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन / मास / वर्ष	
ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई	चii		
iii	विनिधान की तारीख	चiii	दिन / मास / वर्ष	
iv	दावा की गई कटौती की रकम	चiv		
छ कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ +1ङ +1च)				
1छ				

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा

क्रम	पूंजी अभिलाभ सं. का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि	मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
------	----------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--

			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	9
			1	2	3	4	5	6	7	
i	पूंजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह पंक्ति भरें यदि प्रणित अंक नकारात्मक है)		(अ2ङ+ अ3क+ अ7क)	अ4ङ+ अ7ख	(अ1ङ+ अ3ख+ अ5ङ+ अ6ग+ अ7ग)	अ8(2)	(आ3ङ+ आ4ग+ आ6ङ+ आ7ग+ आ8ग+ आ11क1+ आ11क2)	(आ1ङ+ आ2ङ+ आ5ग+ आ8च+ आ9ङ+ आ10 + आ11ब)	आ12ब	
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ2ङ+ अ3क+ अ7क)							
iii	अभिलाभ	30%	अ4ङ + अ7ख							

iv	लागू दर	(अ1ड+ अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)							
v	डीटीएणू दरें	अ8(2)							
vi	10%	(आ3ड + आ4ग + आ6ड + आ7ग+ आ8ग + आ11क1 + आ11क2)							
vii	20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8च+ आ9ड+ आ10 + आ11ब)							
viii	डीटीएणू दरें	आ12ब							
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)								
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)								

ऊ प्रोड्युक्शन की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद

पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1 15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2 30%की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3 लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4 10%की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
5 20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूचीमें निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची 112क एक कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री अथवा निधी उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।														
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य , - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेकसेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य -(4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेकसेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़े															
योग															

**अनुसूची-अन्य
स्रोत**

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल (क i + क ii)	1क	
i	लाभांश आय धारा 2(22)(ड) के तहत	क i	
ii	(i) के अतिरिक्त लाभांश आय	क ii	
ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	बचत बैंक से नीचे	खा	
ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii	
iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii	
iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	अन्य, सकल (घi के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
क्रं. सं.	प्रकृति	राशि	
1	पारिवारिक पेंशन		
2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
3	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ एस1 से संबंधित तत्व)	2	
क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2क	

ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खि + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi				
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii				
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv				
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv				
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi				
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष				2ग	
	क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ i से घxix का योग)				2घ	
i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i				
ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii				
iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घ iii				
iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क(1)(क)(ii)क @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv				
v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii)कख के अधीन प्रभार्य	घ v				
vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(ii)कग के अधीन प्रभार्य	घ vi				
vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii				
viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)क एवं 115ख(1)(ख)ख के अधीन प्रभार्य	घ viii				
ix	धारा 115कग के तहत प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix				
X	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x				
xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi				
xii	प्रतिभृतियों (लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii				
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभृतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii				
xiv	धारा 115खखक के तहत प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv				
Xv	कृतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv				
xvi	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi				
xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii				
xviii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में -आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घ xviii				

	xix	अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घxix								
	ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रापडाउन उपबंधित करें)							2ड		
	च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)							2च		
		क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 का, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
3		धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)									
		का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)					3का			
		काii	धारा 57(i) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1(क) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)					3काii			
		काiik	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3काiik			
		काiii	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)					3काiii			
		ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख			
		ग	योग					3ग			
4		धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4
5		धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5
5क		धारा 89 क के तहत कराधान से राहत हेतु आय का दावा									5क
6		[1 (डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)									6

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)										7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय										
	क	प्राप्तियां					8क				
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन					8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम					8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ					8घ				
	ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)					8ड				
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)										9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रो.डूवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना										
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक				
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
1		धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टबाजी से जीत पर आय									
2		क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय									

3	धारा 115क(1)(क)(i)के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)					
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय					
5	धारा 115कगक (1)(क) के तहत 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)					
6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					
8	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के तहत राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रस के घोड़ो से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरें यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)			
v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)			

चालू वर्ष की हानि समायोजन

Ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)			
X	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)			
Xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ः)			
xiii	कुल अग्रणीत हानि छोड़ना (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन

पूर्व वर्षों की अग्रणीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
Xii	अग्रणीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रणीत हानि

आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
i	2014-15					
ii	2015-16					
iii	2016-17					
iv	2017-18					
v	2018-19					
vi	2019-20					
vii	2020-21					
viii	2021-22					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
xi	2022-23 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2भii)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2भ+3भ+4भ+5भ)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भ+7भ+8भ)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि					

अनुसूची- VI क अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80ग		ख	80गगग	
	ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)	
	ङ	80 गगघ(2)		च	80घ	
	छ	80घघ		ज	80घघख	
	झ	80ङ		ञ	80ङङ	
	ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
	ड	80छ		ढ	80छछ	
	ण	80छछक		त	80छछग	
	2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती				
थ	80थथख		द	80ददख		
ध	80ननक		न	80ननख		
प	80प					
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से प का योग)				3	

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम		
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
iii	कुल						

ख		बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						
ग		अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						
घ		अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						
ङ कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)							

अनुसूची 80 छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के व्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
कुल संदान							

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन				
		80 झकख	ड			
		क	शीर्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)			3	
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)			4		

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर				1		
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2		
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें				3		
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
	I	2014-15					
	ii	2015-16					
	iii	2016-17					
	iv	2017-18					
	v	2018-19					
	Vi	2019-20					
	Vii	2020-21					
	Viii	2021-22					
	ix	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	x	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5		
6	पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6		

अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय

विनिदिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रू.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय

विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2giii)	(अनुसूची ओ.एस का 2giv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
4	112परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
9	115ङ (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)	
15	115खखङ (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
17	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
18	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	

19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची ओ.एस का 2च का भाग)
20	15% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
21	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3v का भाग)
22	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)
23	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii का भाग)
24	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2उ)
			कुल	

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

1	ब्याज से आय						1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि				iii		
	iv	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2		
	v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
	क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है						
	ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप						
	ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
	घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)						3	
4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय							
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	
	I							
	II							
	III	कर से अप्रभार्य डीटीए से कुल आय						4
5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)						5	
6	योग (1+2+3+4+5)						6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
				क।	धारा 111क					
				क।	अन्य					

						ख	दीर्घकालिक अवधि					
						खi	धारा 112क					
						खii	धारा 112क के अलावा					
						iii	अन्य स्रोत					
						क	लाभांश					
						ख	अन्य					
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
						ख	धाराके अधीन					
						ग	धारा.....के अधीन					
2.						i	गृह संपत्ति					
						ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि					
						का	धारा 111क					
						कii	अन्य					
						ख	दीर्घकालिक अवधि					
						खi	धारा 112क					
						खii	धारा 112क के अलावा					
						iii	अन्य स्रोत					
						क	लाभांश					
						ख	अन्य					
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
						ख	धाराके अधीन					
						ग	धारा.....के अधीन					

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एफएसआई

भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम सं.	देश का सं. कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख ट ाळआई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी ट ाळएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					

		iv अन्य स्रोत				
		कुल				
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।					

अनुसूची टि.आर. भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
			कुल		
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ङ) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 91) (1(ङ) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां / नहीं

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी व्याज शामिल)										
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
अ2	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि व्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आसृति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आसृति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (र. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यप्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम						
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या						
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति					

2	पूँजी लाभ			
3	अन्य स्रोत			
4	कुल			

अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ) हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)				
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।					

अनुसूची:
ई.एस.ओ.पी पर कर
स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं:			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तिथि व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तिथि बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2021-22	नि.व. 2021- 22 आई टी आर का क्रम सं. 8ख	(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)
---	---------	---	---

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2
3	पूँजी अभिलाभ	
	क लघु अवधि	
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9i)	कi
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	कii
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iv)	कiii
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	कiv
	v कुल लघु अवधि (कi + कii + कiii + कiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv
	ख दीर्घ अवधि	
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खi
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खii
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खiii
	iv कुल दीर्घ अवधि (खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग
4	अन्य स्रोतों से आय	
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची गध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची गध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)	5
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)	8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11
12	कुल आय (9-11)	12
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13

14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छ ट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित झतर कर का 4)	1क			
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख			
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग			
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)			1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क			
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख			
			10 Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)				
			11 Total income				
			12 Net agricultural income / any other income for rate purpose (4 of Schedule B				
		13 'Aggregate income' (8+ 9)					
		14 Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and 3viii of Schedu					
	ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग				
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)			2घ		
3	धारा 87क के अधीन रिबेट					3	
4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)					4	
5	अधिभार			उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार		
	i	अनुसूची घ.ज के 15(ii) के 25%	5i		iक		
	ii	10% या 15% या 20%, की दर से जैसा 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) , पर लागू, अनुसूची एस आई धारा 115कघ(1)(क) के तहत लाभांश आय तथा भाग-ख- टी आई में शामिल लाभांश आय	5ii		iiक		
	iii	[(4) अनुसूची एसआई का - (16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii))पर	5iii				
	i v	कुल (i + ii + iii)				5iv	
6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)					6	
7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)					7	
8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम) (8क + 8ख)					8	
8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)					8क	
8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर					8ख	

8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)				8ग	
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)					
10	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)					
11	कर राहत					
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क			
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची ट ाळआर का 2)	11ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची ट ाळआर का 3)	11ग			
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)	11घ			
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				12	
13	व्याज और संदेय फीस					
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	13क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	13ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234 ग)	13ग			
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ			
	ड	कुल संदेय व्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)	13ड			
14	संकलित दायित्व (12+ 13ड)				10	
15	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15क			
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15ख			
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 5 का योग)	15ग			
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15घ			
	ड	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	15ड			
16	संदेय कर (यदि 14, 15ड से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
17	प्रतिदाय (यदि 15ड, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।				हां. अथवा नहीं का चयन करें	
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय हेतु खाते पर <input checked="" type="checkbox"/> करें)	
	i					
	ii					
	नोट:					
	1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।					
	2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।					
	यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।					
ii	(ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आई.वी.ए. एन	
	यथा अपेक्षित पंक्तियां ब्रह्माई जा सकती हैं					

19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- i) (भारत के बाहर स्थित कोई अस्तित्वा) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्त्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
----	--	---

20	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण	भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	टिप्पण	कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें			

ग	कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग)												
क्र. सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रिता का पैना/ आधार सं..	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	घातु वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुसूची रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौतीकी गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष		
						आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैना/		

ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2	
(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणा, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्	
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9)	<input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148
(ख)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अभी विकल्प चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> विकल्प नहीं चुन रहे <input type="checkbox"/> विकल्प जारी <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर		
(खि)	यदि हां, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10-IE भरने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती क्रमांक:
(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]		
(गि)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(ग ii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(गiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)		
(घ)	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /	
(ङ)	यदि धारा 139 (9) / 142 (1) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिंक नंबर / डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना / आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	(यूनिंक नंबर)	/ /
(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ दिया, भारतीय जहाजरानी पर कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत में 182 दिनों के लिए थे या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए था इससे अधिक [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक है या भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिनों के लिए या उससे अधिक गत वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक;या ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए या उससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख ₹. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(ख)]	
	(क) निवासी	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक है, या भारतीय मूल के व्यक्ति है जो भारत में आया है जिसकी कुल आय i. विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख ₹. से अधिक है; तथा ii. भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)]	
	(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।		

फाइल करने की प्रास्थिति

			<input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जो धारा 6 के खंड (1) के तहत अनिवासी नहीं हैं और धारा 6 के खंड (1क) के तहत भारत का निवासी माना जाता है। जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित											
		(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -											
			क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या									
			1											
			2											
			(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -											
			पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)						पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)					
	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदु, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी												
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)													
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें													
	(1)	प्रतिनिधि का नाम												
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)												
	(3)	प्रतिनिधि का पता												
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या												
(ञ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।-													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध						निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)				
(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
	फर्म का नाम						स्थायी लेखा सं.							
(ठ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													

(ढ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिन्ह) ० हां ० नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या
(ण)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कच / 44कचक / 44खखक / 44खखख के तहत आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(1) लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष) / /
	(2) कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
	(3) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
	(4) लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी / फर्म)
	(5) स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या
	(6) स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.
	(7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख
(घा)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(घाii)	यदि (घा) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष किया गया है
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (दि./मा./वर्ष) (कृपया निर्देश देखें)
	क्रम सं. सेक्शन कोड तारीख (दिदि / मास / वर्ष)
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।
	अधिनियम और धारा दिदि/मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष अधिनियम और धारा दिदि/मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष

कारबार की प्रकृति

कारबार या बृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या बृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कच, धारा 44कचक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)

क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क - तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोजन	1	स्वामी की निधि		
	क	स्वामी की पूंजी	क	
	ख	आरक्षित और अधिशेष		
	I	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi	
	II	पूंजी आरक्षिति	खii	
	III	कानुनी आरक्षिति	खiii	
	IV	कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
	V	योग (खi + खii + खiii + खiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां		
	क	प्रतिभूत ऋण		
	i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
	ii	रूपए में ऋण		
	अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
	आ	अन्य से	iiआ	
	इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
	iii	योग (कां + iiइ)	काii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)		
	i	बैंकों से ऋण	खi	
	ii	अन्य से	खii	
iii	योग (ख i + खii)	खiii		
ग	योग ऋण निधि (काii + खiii)	2ग		
3	आस्थगित कर दायित्व	3		
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)	4		
1	स्थिर आस्तियां			
क	सकल ०: ब्लाक	1क		
ख	अवक्षयण	1ख		
ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग		
घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ		
ङ	योग (1ग + 1घ)	1ङ		
2	विनिधान			
क	दीर्घकालिक विनिधान			
I	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का		
II	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii		
III	योग (का + काii)	काiii		
ख	अल्पकालिक विनिधान			
I	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi		
II	अधिमानी शेयर	खii		
III	डिबेंचर	खiii		
IV	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)	2ग		
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
क	चालू आस्तियां			
I	बीजक			
अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ		
आ	कच्ची सामग्री	iआ		
इ	कार्यरत भंडार	iइ		
ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई		
उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)	iउ		
II	अन्यान्य ऋणी	काii		
III	नकद और बैंक अतिशेष			

		अ हस्तगत नकदी	iiiअ		
		आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ		
		इ योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ	
	Iv	अन्य चालू आस्तियाँ		काiv	
	V	कुल चालू आस्तियाँ (iउ + काii + iiiइ + काiv)		कव	
	ख	ऋण और अग्रिम			
	I	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खi		
	ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii		
	Iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv	
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कव + खiv)		3ग	
	घ	चालू दायित्व और उपबंध			
	I	चालू दायित्व			
		अ अन्यान्य लेनदार	iअ		
		आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
		इ उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ		
		ई उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iई		
		उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ	
	ii	उपबंध			
		अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
		आ छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ		
		इ अन्य उपबंध	iiइ		
		ई योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई	
	iii	योग (iउ + iiई)		चiii	
	ड	शुद्ध चालू आस्तियाँ (3ग - चiii)		3ड	
	4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख आस्थगित कर आस्ति	4ख		
		ग लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग		
		घ योग (4क अ 4ख अ 4ग)		4घ	
	5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)		5	
कोई लेखा मामला नहीं	6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
		क अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम		6क	
		ख अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम		6ख	
		ग व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम		6ग	
		घ नकदी बकाया की रकम		6घ	

भाग क- विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन			
	क आरंभिक सूची			
	i कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
	ii चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii		
	iii कुल (i + ii)		काiii	
	ख क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		ख	
	ग प्रत्यक्ष मजदूरी		ग	
	घ प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)		घ	
	i आवक बहन व्यय	i		
	ii विद्युत आर ईंधन	ii		
	iii अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ड. कारखाने का उपरी खर्च			
	I अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
	II कारखाना किराया और दरें	ii		
	III कारखाना बीमा	iii		

	Iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv		
	V	कारखाने का साधारण व्यय	v		
	Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	Vii	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)			
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)			ड.vii	1च
2	बंद स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	चालू काम	2ii		
	कुल (2i +2ii)				
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)				3

भाग -क व्यापारिक लेखा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व				
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
		क			iiia	
			ख		iiib	
			ग	कुल (iiik + iiix)	iiic	
		iv	कुल (i + ii + iii ग)			काiv
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख
ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर					
घ	i	संघ उत्पाद शुल्क	i			
	ii	सेवा कर	ii			
	iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii			
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	iv			
	v	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	v			
	vi	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	vi			
	vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	vii			
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
	ix	कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix	
घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (काiv + ख+गix)			4घ		
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5		
6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6		
7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7		
8	क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8		
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
	i	आवक वहन व्यय	9i			
	ii	विद्युत और ईंधन	9ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii			
10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय।					
व्यापारिक लेखा के लिए विकलन	i	सीमा शुल्क	10i			
	ii	प्रति शुल्क	10ii			
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
	v	सेवा कर	10v			
	vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi			
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	10vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii			
	ix	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	10ix			
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x			
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi			
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii	
11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित			11		

12	कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)	12	
----	--	----	--

भाग क-लाभ और हानि वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू⁶¹ से⁶⁵ भरें)

लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ			13	
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमिशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	ब्याज आय	iv		
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii		
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii		
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix		
		x	कृषि आय	x		
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xia		
		ख		xib		
		ग	योग (xiक + xiख)	xic		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)			15	
हानि	16	बर्हिगामी माल भाडा			16	
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग			17	
	18	विद्युत और ईंधन			18	
	19	किराया			19	
	20	भवनों की मरम्मत			20	
	21	मशीनरी की मरम्मत			21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी	22i		
		ii	बोनस	22ii		
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
		v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v		
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii		
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
		x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x		
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)		22xi	
		xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
			यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
	23	बीमा				
		i	चिकित्सा बीमा	23i		
		ii	जीवन बीमा	23ii		
		iii	कीमेन्स बीमा	23iii		
		iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv		
		v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
	24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय			24	
	25	मनोरंजन			25	
	26	सत्कार			26	

27	सम्मेलन			27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा			33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय			34	
35	विदेशी यात्रा व्यय			35	
36	वाहन व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतिथि गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	संदान			43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)				
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix		
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45	संपरीक्षा फीस			45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	कुल (i + ii)		46iii	
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)				
	i1			47i1	
	i2			47i2	
	i3			47i3	
		अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)	47i		
	ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)	47ii		
	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii		
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध			48	
49	अन्य उपबंध			49	

कर और विनियोग के लिए उपबंध	50	ब्याज, अवधायण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50	
	51	ब्याज					
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i			
		ii	अन्य को	ii			
		iii	कुल (i + ii)			51iii	
	52	अवधायण और क्रमिक अपाकरण				52	
	53	करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)				53	
	54	चालू कर के लिए उपबंध				54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान				55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56	
उपधारात्मक मामले	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष				57	
	58	विनियो केलिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58	
	59	आरक्षित और अधिशेद के लिए अंतरित				59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 –59)				60	
	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारवार आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	विवरण		
		(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्ति (i)क + iख)			61i	
		(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	i)क			
		(ख)	कोई अन्य रीति	i)ख			
		(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (ii)क + iiख)			61ii	
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	ii)क				
	(ख)	61iख का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	ii)ख				
	टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्ति/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा 44कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना						
	क्रम सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	विवरण			
	(i)	सकल प्राप्ति			62i		
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)			62ii		
	टिप्पण – यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना						
	क्रम सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	विवरण			
	क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिटीक टन में)	महीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(क)						
	(ख)						
		कुल					
	आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)						
	(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]				63(iii)	
	टिप्पण – यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।						

लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।		
	(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	ik	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1	
	2	कोई अन्य रीति	क2	
	ख	सकल लाभ	ix	
	ग	व्यय	ig	
	घ	शुद्ध लाभ		64i
	(ii)	वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iiia	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1	
	2	कोई अन्य रीति	क 2	
	ख	सकल लाभ		64ii
	ग	व्यय		
घ	शुद्ध लाभ		64iii	
(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)		64iii	
65	I सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत		65i	
II	सकल लाभ		65ii	
III	खर्च यदि कोई हो		65iii	
IV	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)		65iv	

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें)	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है <input type="checkbox"/> नहीं	(चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--		
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ		
च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च		

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiा)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंसदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आर् अघिनयम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	हूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	हूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वावत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ	
	द	कोई अन्य नामजूरी	6 द	
	ध	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)	6 ध	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ	
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7ञ	
	8	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क		अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख	अख		

		ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
		घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
		ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (iiक)]	अच		
		छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ		
		ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज		
		झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ		
		ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)		8अज	
	आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9			धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
		क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
		ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
		ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग		
		घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ		
		ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ		
		च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)		9च	
10			किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			
		क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
		ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
		ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग		
		घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
		ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
		च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च		
		छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ		
		ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10ज	
11			पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय			
		क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
		ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
		ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
		घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमवद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11घक	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च	
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ	
	ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख	सेवा कर	12ख	
	ग	मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग	
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज	कोई अन्य करम	12ज	
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15
16	धारा 14क के अधीन नामजूर व्यय की रकम			16
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]			17

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुल्यान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक	1		
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2		
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3		
	4	अंतिम स्टाक	4		
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5		
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुल्यान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टाक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार माल	6च	
		छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज		
	7	तैयार माल / उपोत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
घ		पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ		
ङ		अंतिम स्टाक	7ङ		

च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च
---	------------------------	----

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन वेतन से आय का ब्यौरा

वेतन	नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)	नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
	नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
	1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1		
	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए)		1क		
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए)		1ख		
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए)		1ग		
	घ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय		1घ		
	ङ अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		1ङ		
	(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)				
	2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2		
2क धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा		2क			
3 धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)		3			
4 कुल वेतन (2 - 2क - 3)		4			
5 धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)		5			
क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती		5क			
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		5ख			
ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर		5ग			
6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)		6			

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)					
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
	I					
	II					
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टिन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो					
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपयोग में					
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					

क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य		1क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
घ योग (1ख + 1ग)	1घ		
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है	1ङ		
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च		
छ 1च का 30%	1छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
झ योग (1छ + 2ज)	1झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ		
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)	1ट		
2 संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			
I लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)
II यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/>		I	
		II	
क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च		
छ 1च का 30%	2छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ योग (2छ + 2ज)	2झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ		
ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ज)	2ट		
3 आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *			3
4 "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)			4
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।		
टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है		

किराएदार का टैन् दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

अनुसूची – कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ		सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))	1			
2क	1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) [अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या 65iv] कोई लेखा मामला न होने के मामले में	2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख			
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखख के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	वेतन	3क	
		ख	गृह संपत्ति	3ख	
		ग	पूजी अभिलाभ	3ग	
		घ	अन्य स्रोत	3घ	
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ	
		च	115खखख के अधीन	3च	
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कघक / 44कङ / / 44ख / 44खख / 44खखक / 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क			
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन)	4ख			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छू ट प्राप्त है				
क	फर्मों से आय का अंश	5क			
	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख			
	कोई अन्य छू ट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i	ग i			
	ii	ग ii			
iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii			
घ	कुल छू ट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ			
6	शेष (1- 2 क- 2 ख- 3 क- 3 ख- 3 ग- 3 घ- 3च - 4क- 4ख- 5 घ)			6	
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखख के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय	क	वेतन	7क	
		ख	गृह संपत्ति	7ख	
		ग	पूजी अभिलाभ	7ग	
		घ	अन्य स्रोत	7घ	
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ	

		च	115खखख के अधीन	7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है			8क		
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखों में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)			8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)			9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)				10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण				11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)			12i		
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)			12ii		
	iii कुल (12i + 12ii)				12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)				13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)			14		
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)			15		
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)			16		
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)			17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)			18		
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज			19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20		
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-1क के अधीन समझी गई आय			21		
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			22		
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें			23		
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है			24		
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णझ के स्तंभ 3क + 4ख)			25		
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26	
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27		
28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची ङधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35जगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)			28		

29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णज्ञ के स्तम्भ 3ख + 4ड)	32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33
34	आय (13+26-33)		34
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	35i	
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii))	35ii	
	iii धारा 44कड (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	35iii	
	iv धारा 44ख	35iv	
	v धारा 44खख	35v	
	vi धारा 44खखक	35vi	
	vii धारा 44घक	35vii (प्ररूप उ ग ड की मद ष)	
	viii कुल (35i to 35vii)		35viii
36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36
37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)		क 37
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क	
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख	
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग	
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ	
	ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ड	
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च	
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ड.)]		38
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना		
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		39
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		41
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)		ख 42
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना		
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा(i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)		45
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)		46
47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ		47
48	अनुमानित कारबार से आय (45 - 46) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)		ग 48

	49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग49		
घ	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)	D	घ		
		कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय			
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाउन वैल्यू (3) + (3क)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				

12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							

13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्या (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागु)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागु)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागु)	1ग		
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
		क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागु)	2क		
		ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागु)	2ख		
		ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागु)	2ग		
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागु)			3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागु)			4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथालागु)			5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)			6	

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		

	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)		1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क			
ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख			
ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग			
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1ड +2घ+3+4+5)				6

अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
Ix	35गगघ			
x	योग			

टिप्पणः धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)

अनुसूची पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)		
		क्रय/अधिग्रहण की तिथि/माह/वर्ष		तिथि/माह/वर्ष
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य		क i
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		क ii

		पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों के	क iii					
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों						
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख	ख i					
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v					
	ग	शे-1 (क iii – ख v)	1 ग					
	घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज क	1 घ					
	ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				क		
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें						
		क्रम सं.	क्रयकर्ता ओं का नाम	क्रयकर्ता ओं का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
		टिप्पण ▶	पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194इक के अधीन की गई है।					
2		विक्रय गिरावट से						
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क			(प्ररूप 3 ज ड क का 5)		
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख			(प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड)		
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)						क
3		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के						
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क					
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों						
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से	ख i					
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v					
	ग	शे-1 (3 क – ख v)	3 ग					
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आरिस्त खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब	3 घ					
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उनमूख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी						क 3
4		अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय						*
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी)						क 4
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी)						A4 ख
5		अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन						
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं,						
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों की	क					
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख					
		ग पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए	ग					
		ii अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न	क ii					
		iii कुल (ग + ii)	क iii					
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों						
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम	ख i					
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v					
	ग	शे-1 (5 क iii – ख v)	5 ग					

		धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांस/आय/	5 घ	
	ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (उपर क 3 से	क 5	
6		उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
	क	I आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित		
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क	
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत	ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii कुल (ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v	
	ग	शे-1 (6क iii - ख v)	6 ग	
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांस/आय/	6 घ	
	ड	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ड	
	च	धारा के अधीन कटौति 54 ग/54 छ/54 क	6 च	
	छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी	क	
7		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्णों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ण के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?		
	क्रम सं.	पूर्व वर्णों में आस्तियों	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्णों में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गईं वर्ण जिसमें आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गईं हैं
	i	2017-	54घ/54छ/54क	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि
	ii	2018-	54ख	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई
	ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी		
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार लघुकालिक पूंजीगत	ग	
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख + ग)	क7	
8		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची सीटीआई 1(रे)/क8क+8कख+क8ग)	क8	
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य	क	
	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य	क8	
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य	ख	
		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 35% की दर से प्रभार्य	क8ग	
9		एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है		

क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क 8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डीटी ए की वस्तु	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर I(6) या (9) के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								क 9
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की								क 9
10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख +								क
ख दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 नेवासियों में लागू नहीं है)									
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे								
	क्रय/अधिग्रहण की	तिथि/माह/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण	तिथि/माह/वर्ष					
क	i	प्राप्त /प्राय प्रतिकर पूर्ण मूल्य			क i				
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति			क ii				
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क ii) के (क i) से 1.10 गुणा न होने की दशा में			क iii				
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ								
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड (iii) नियमों के निम्न अन्वये से प्राप्त प्रतिकर के अन्वये			ख i				
	ii	अधिग्रहण की लागत			ख ii				
	iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत			ख iii				
	iv	उन्नति की लागत			ख iv				
	v	उन्नति वर्ष			ख v				
	पंक्ति सम्मिलित करें								
	vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत			ख vi				
	vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप			ख				
	viii	योग (ख ii + ख v + ख vi)			खviii				
ग	शेन (क iii - ख viii)				1 ग				
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54 छ/54 ज क/54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में				1 घ				
ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)								ख 1
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे								
	क्रम सं.	क्रयकर्ता ओं का नाम	क्रयकर्ता ओं का पेन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड		
	टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर								
2	विक्रय गिरावट से								
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				2 क	(प्ररूप 3 गड़क का 5)			
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति				2 ख	(प्ररूप 3 गड़क का 6 (ड)			
ग	शेन (2 क - 2 ख)				2 ग				
घ	धारा 54ङ ग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद				2 घ				
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (2 ग - 2 घ)								ख 2
3	बन्द पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों								
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				3 क				
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ								
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii				
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iii				

	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (3 क - ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	3 घ	
	ङ	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)		ख 3
4	(i)	सूचीबद्ध प्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का		
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4 क	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (4 क - ख iv)	4 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	4 घ	
	ङ	उपर ख 4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 ग - 4 घ)		ख
5		किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112 क के अधीन		
	क	धारा 112 क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची	5 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	5 ख	
	ग	ऊपर ख 5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		ख 5 ग
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिवेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	6 ख	
	ग	शेयर या डिवेन्चर पर एलटीसीजी (6 क - 6 ख)		ख 6 ग
7		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का न जी टी आर के विक्रय से		
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित		
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध	i क	
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत	i ग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8 क ख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
	iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख v)	ख v	
	ग	शेन (क iii - ख v)	7 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	7 घ	
	ङ	अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		ख
8		अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुख निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय		
	क	धारा 112 क के अंतर्गत एलटीसीजी	8 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	8 ख	
	ग	ऊपर ख 8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8 क -		ख 8 ग
9		अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7 क के अधीन		
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (9 क	
	ख	धारा 115 च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ	9 ख	

				ग	विनिदि-ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क - 9 ख)	ख 9	
				घ	विनिदि-ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर	9 ग	
				ङ	धारा 115घ के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ	9 ङ	
				च	विनिदि-ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9घ - 9 ङ)	ख 9	
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से						
	क	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे					
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	ik			
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix			
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig			
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
		iii	कुल (ig + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ					
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i			
		ii	अधिग्रहण की लागत	ख ii			
		iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत	ख iii			
		iv	उन्नति की लागत	ख iv			
		v	उन्नति वर्ष	ख v			
		vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत	ख vi			
		vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	ख vii			
		viii	योग (ख i + ख iii + ख vi + ख vii)	खviii			
	ग	शे-1 (10 क iii - ख viii)					10 ग
	घ	धारा 54 घ / 54 च /54 छ /54 ज क के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिदि-ट करें)					10 घ
	ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (10ग - 10घ)					ख 10ङ
11	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि						
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं					
		क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
		i	2017-18	54/54घ/54छ/54जक			
		ii	2018-19	54ख			
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि					
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ की मानी गई राशि					ग
		दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xi+ख+ग)					ख11
12	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2+ख12ख)						ख12
	क1	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाव्य				ख12क1	
	क2	धारा112के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाव्य				ख12क2	

ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य	ख12ख	
13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है		
	क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है
			देश का नाम और कोड
			डीटीएए की वस्तु
			संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)
			यदि टी आर सी प्राप्त हो
			आई टी अधिनियम की धारा
			आई टी अधिनियम के अनुसार दर
			लागू दर [(6) या (9) के नीचे]
	(1)	(2)	(3)
	(4)	(5)	(6)
	(7)	(8)	(9)
	(10)		
	I		
	II		
क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि		
	ख डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम		
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड + ख2ड + ख3ड + ख4ड + ख5घ + ख6ग + ख7ड + ख8घ + ख9ग + ख9घ + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क)		
ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख 14) (शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)		
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना		
1	धारा 54/54 ख/54 घ/ 54ङग/54 च/54 छ/54 छक/54छ ख/115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित व्योरे दें		
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i
	ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii
	iii	नए आवासीय घर के क्रय/विनिर्माण की तारीख	क iii
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv
	v	दावाकृत कटौती की रकम	क v
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i
	ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घ ii
	iii	विनिधान की तारीख	घ iii
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	घ iv

ड		धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती	
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ड i	दिन/मास/वर्ष
ii	नये आवासीय घर की लागत	ड ii	
iii	नए आवासीय घर के क्रय/विनिर्माण की तारीख	ड iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ड iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	ड v	
च		धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती	
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	च ii	
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	च iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	च iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	च v	
छ		धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती	
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छ i	दिन/मास/वर्ष
ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छ ii	
iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छ iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छ iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	छ v	
ज		धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)	
i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii	
iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड + 1च + 1छ + 1ज)	1 झ	

2 धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरें

उ										
चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)										
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)	अ5ड * + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ11उख	
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)							

iii	अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*						
iv		लागू दर	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)						
v		डीटीएए दरें	अ9ख*						
vi		10%	आ4ड* + आ5ग* + आ7ड* + आ8ग* + आ9ग* + आ12क1 + आ12क2)						
Vii	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	20%	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ड* + आ6ग* + आ9च* + आ10ड* + आ11* + आ12ख*)						
Viii		डीटीएए दरें	आ13ख						
Ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)								
x	मुजरा के पश्चात् शेन हानि (i - ix)								
इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क 9) में एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।									
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।									
ऊ	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)	
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं								
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं								
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं								
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभाय लघु अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों								
5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं								
6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं								

7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
टिप्पण	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।					

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1	
	क	लाभांश, सकल		1क	
	i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	का		
	ii	(i) के अलावा लाभांश आय	काii		
	ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)		1ख	
	i	बचत खाते से	खi		
	ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii		
	iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii		
	iv	पास धु आय की प्रकृति की आय में	खiv		
	v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv		
		10(12)			
	vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi		
	vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii		
	viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii		
	ix	अन्य	खix		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
	घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)		1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi		
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii		
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	परिवार पेंशन			
	2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय			
	3	अधिसूचित देश(2) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)			2	
	क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहेली आदि से जीत से आय		2क	
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		

	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
	vi	धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग		धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष		2ग
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घ		विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ; से घ ^{xix} का योग)		2घ
	i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घi	
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii	
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii	
	iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv	
	v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv	
	vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi	
	vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii	
	viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	घviii	
	ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix	
	x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx	
	xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi	
	xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii	
	xiii	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxiii	

	xiv	एफ.आई.आई द्वारा बंधपत्रों या धारा 194 ठग में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से आय - धारा 115कघ(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiv								
	xv	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य	घxv								
	xvi	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घxvi								
	xvii	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घxvii								
	xviii	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	घxviii								
	xix	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxix								
	xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxx								
	xxi	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxxi								
	Xxii	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जीडीआर के लाभांश पर आय	घxxii								
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्तंभों से आय की प्रकृति की पास थु आय (डापडाउन का उपबंध किया जाना है)									2ड	
च	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)									2च	
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ & 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2घ, 2ड एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)										
	क(i)	व्यय/कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)					3क(i)				
	क(ii)	धारा 57(iiक) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)					3क(ii)				
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)					3ख				
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग				
	ग i	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि					3ग i				
	घ	योग					3घ				

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5	
5क	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	5क	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रों से शुद्ध आय [1 (डीटीए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3xi को अंक ले जाए	6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करे)	8ङ					
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय						
	2	क्रम सं. 1a(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3	धारा 115क(1)(a)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
	5	धारा 115गक (1)(a) के तहत 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)						
	6	धारा 115A(1)(a)(ii)केग के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी टी आई आय शामिल)						
	7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)						

	8	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के तहत कराधान से राहत के लिए दावा नहीं					
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					
टिप्पण ▶	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

अनुसूची

सी.वाई.एल.ए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2)	(अनुसूची ण द का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारबार से आय (विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क38)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग ङ की मद ड का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ण ध का 6)				
xv	दौड के घोडों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ण ध का 8 ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य खोतों से आय	(अनुसूची ण ध का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए

पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि स ट ट ोबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख / च सामान्य कारबार या स ट ट ोबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)			

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(बुड़ दोड़ों से ख / च हानि)			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य खोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सी.एफ.एल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत					
1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10
i	2010-11										
ii	2011-12										
iii	2012-13										
iv	2013-14										
v	2014-15										
vi	2015-16										
vii	2016-17										
viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	पिछले वर्ष में हानि का कुल										
xiv	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
xv	2022-23 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख43, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग49, यदि ve))	(2x + 3x + 4x + 5x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(6x + 7x + 8x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि - वीई)	

हानियों का अग्रनयन

xv	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि								
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची अ.अ

धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची - 10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
	क्र.स	उपक्रम	वह निश्चरण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स		कटौती की रकम
	क	उपक्रम संख्या 1		क		(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख		(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)			ग	

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम		
			नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान		
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम		

			नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	कुल					

80झझक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे					
क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची द क		अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (iiक) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]				
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
			नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची - 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां			
क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2)	ख			

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन कटौतियां			
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां [धारा 80झख(4)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
	ख	मल्टीप्लैक्स थिएटरों की बाबत कटौतियां [धारा 80झख(7 क)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
	ग	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां [धारा 80झख(7ख)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
			ग 2	उपक्रम संख्या 2	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
	घ	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ	घ 1	उपक्रम संख्या 1	उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

	कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ङ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
च	पड्डुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11क)]	च 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		च 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
छ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11 क)]	छ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		छ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ज	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11ख)]	ज 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ज 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
झ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती [धारा 80झख(11ग)]	झ 1	उपक्रम संख्या 1	[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]
		झ 2	उपक्रम संख्या 2	[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]
ञ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से झ2 का योग)			

अनुसूची-80- झग और 80झङ

धारा 80झग और 80झङ के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	क1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
			क2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
	ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ख1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
			ख2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
	ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ग1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
			ग1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घक2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घख2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घग 2			उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घघ2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	

घच	नागालैंड	घड2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घज पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियों (घ का 1 से घछ 2 का योग)					
ड धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियों (क + घ + ग + घज)					ड

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियों

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती				
क	80ग		ख	80गगग	
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)	
ङ	80गगघ(2)		च	80घ	
छ	80घघ		ज	80घघख	
झ	80ङ		ञ	80ङङ	
ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
ड	80छ		ढ	80छछ	
ण	80छछक		त	80छछग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)					
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती				
	थ	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ड)		
	द	80- झकख			
	ध	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ड)		
	न	80- झखक			
	प	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ड)		
	फ	80जजक			
	ब	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलप्रक में क्रम सं. 5/(अiv) +5II		
	भ	80 थथख			
	म	80 ददख			
भाग ग के अधीन कुल कटौती (थ से म का योग)					2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती				
i	80 ननक		ii	80ननख	
iii	80प				
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii और iii का योग)					3
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियों (1+2+3 का योग)				4

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन		
		ड		
		80 झकख		
	क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बाबत कटौतियों "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क	
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख	
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग	
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)	3	
	3क	धारा 115जग(1) के अधीन आई एक एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क	
3ख	धारा 115जग(1) के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख		
4	धारा 115जग(1) के अधीन देय कर [(9% of (3क)+ 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से)	4		

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1			
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2			
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें	3			
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)				
क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)	

						(ग)
I	2013-14					
Ii	2014-15					
Iii	2015-16					
Iv	2016-17					
V	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
Ix	2021-22					
x	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
xi	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115घ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट					6

अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निर्धारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यस्क बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

क्रम सं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	<input checked="" type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
2	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घix का भाग)	
7ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घxxi का भाग)	

8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
10	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)
11	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एस.टी.सी.जी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एल.टी.सी.जी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii का भाग)
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.ध के 2क का भाग)
15	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ण.ध के 2ख का भाग)
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख.त का 3ड)
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.ध का 2घxvi)
17	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख.त का 3च)
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.ध का 2घxvii)
18	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि ट ाळ से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.द के 2घviii का भाग)
19	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण.ध के 2च का भाग)
20	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)
21	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्थ	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)
22	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्थ	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
23	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्थ	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)
24	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)
25	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा (ई-फाइलिंग घुटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण.ध का 2ड)
			योग	

अनुसूची-आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं

क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम		31. मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii	
1								
2								
3								
4								
5								
6	योग							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का व्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

1	ब्याज से आय						1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 39)				iv		
	v	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2	
	vi	5लाख रु. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित व्यौरों दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया व्यौरें भरें)						
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है					
		ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश					
		ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						3	
4	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है							
5	क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)	
	I							
	II							
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है						
6	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)						5	
6	योग (1+2+3+4+5)						6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरें

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8)	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				काii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य खोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23खख) के अधीन					
				ख	धाराके					

पास के माध्यम से आय

2.						अधीन							
						ग	धारा.....के अधीन						
						i	गृह संपत्ति						
						ii	पूँजी अभिलाभ						
						क	अल्पकालिक अवधि						
							का	धारा 111क					
							काii	अन्य					
							ख	दीर्घकालिक अवधि					
							खा	धारा 112क					
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य						
							अन्य स्रोत						
						क	लाभांश						
							अन्य						
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
							क	धारा 10(23चख) के अधीन					
								ख	धाराके अधीन				
								ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और एस अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाख का नाम						
	7	वीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - टाळाई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी ट ाळाए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1				i	वेतन				
				ii	गृह संपत्ति					

2			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
2			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची- टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
			योग			
2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (1 (घ) के योग का भाग)				2	
3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 (घ) के योग का भाग)				3	
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहात अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें				4	हां / नहीं
	क	कर प्रतिदाय की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची- वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	धारित विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी व्याज शामिल) लेखांकन अवधि के दौरान किसी समय पर [कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) वित्त वर्ष के बजाय (अप्रैल से मार्च)]										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)												
(ii)												
आ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राउन डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/वामांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ3	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
आ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यपटि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम						
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार						
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 44 कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।						हाँ/नहीं
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 अ के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 92अ के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।						हाँ/नहीं
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टाळडीएस की रकम	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टाळडीएस	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति					
2	कारबार या वृत्ति					
3	पूँजी अभिलाभ					
4	अन्य स्रोत					
5	योग					

अनुसूची क.ठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थायर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण			रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान				
(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) रु0 में	
(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)				

	(ख) शेयर और प्रतिभूतियां		
	(ग) बीमा पॉलिसी		
	(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ) हाथ नकदी		
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारिती का विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व		

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची जी.एस.टी जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना

क्रम सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।

अनुसूची : ई एस ओ पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि (स्तंभ 3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ?	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	नि.व. 2021-22 आई टी आर का क्रम सं. 8ख			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)		

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची ध का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
i	स ट त ट ो के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i	
ii	स ट त ट ो के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii	
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख त के ड 3 और 3 च)	3iv	
v	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	
4	पूँजी अभिलाभ		
क	अल्पकालिक		
i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i	
ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii	
iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9iv)	क iii	
iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9v)	क iv	
v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4 क v	
ख	दीर्घकालिक		
i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	ख i	
ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	ख ii	
iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	ख iii	
iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4ख iv	
ग	कुल पूँजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4 ग	
5	अन्य स्रोतों से आय		
क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क	
ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख	
ग	घुडदोड के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग	
घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ	
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v +4 ग +5 घ)	6	

कुल आय

7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)	8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग+ 5ख + 3iv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]	12क	
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख	
	ग कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित	12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)	13	
14	कुल आय (10 -12ग -13)	14	
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)	18	
19	धारा 115अग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क धारा 115 अ ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क	
		ख (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर	1 ग	
		घ समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर		
		क भाग ख- ट ाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख	
		ग कृषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट ाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
		घ कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)	2घ	
		ड धारा 87क के अधीन रिबे ट	2ड	
	च रिबे ट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)	2च		
	छ अधिभार			
	i अनुसूची धझ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार
	ii अनुसूची एस आई की 2 (ii), 3 (ii), 9 (ii), 12 (ii), 22 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10% या 15% या 20% की दर पर	2छ ii		

		iii (2च) - (अनुसूची एसआई के 17(ii), 2(ii), 3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii)) पर	2छ iii			
		iv कुल (ik + iik)				2छiv
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)				2ज
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)				2झ
3		कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)				3
3क		धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर				3क
3ख		धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				3ख
4		पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)				4
5		धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)				5
6		कर राहत				
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क			
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची ल.द का 3)	6ग			
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)				6घ
7		शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)				7
8		ब्याज और फीस देय				
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ड	कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)				8ड
9		औसत दायित्व (7 + 8ड)				9
10		संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख			
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7)	10ग			
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ			
	ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग)				10ड
11		संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट ट करें)				11
12		प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)				12
13		क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें
i.	क)	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं)एक खाता पर निशान लगाएं(
		i				
		ii				

<p>नोटः</p> <p>1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए</p> <p>2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा</p>				
<p>आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है</p>				
<p>ii. ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं</p>				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश
	1.			
<p>14 क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय</p> <p>i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।</p> <p>ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या</p> <p>iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (</p>				<p><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p>

15						यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:											
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.						कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम						कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर					
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम						16											
17						अनुसूची-आयकर											
क						आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे											
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)				चालान का क्रम सं.				रकम (रु.)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
टिप्पण ▶						भाग ख - ट ाळ ट ाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।											
ख						वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]											
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)				नियोजक का नाम				वेतन के अधीन प्रभार्य आय				कटौती किया गया कुल कर			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
टिप्पण ▶						कृपया भाग ख - ट ाळ ट ाळआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें ।											
ग						स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख / 16ग/16घ के अनुसार]											

क्रम.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/आहरण			टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	वर्ष जिसमें आय/परिग्रह दी गई	
							आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस पैन/आधार संख्या				
i													

टिप्पण ▶ कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)

टी.डी.एस पर आय	क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	संग्राहक का नाम	अग्रणीत किया गया अदावकृत टी.सी.एस		चालू वित्तीय वर्ष का टाळसीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5)या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है)	अग्रणीत की जा रही (5) या (6) से रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रण किया गया	रकम बी एफ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i								
ii								

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें।

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आवंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख

हस्ताक्षर

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष 2022-23
	[ऐसे व्यष्टिकों, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और फर्मों (एलएलपी से भिन्न) के लिए जो निवासी है और जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी आयकर गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कड के अधीन की जाती है)] [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं जो कि कंपनी का निदेशक हो या जिसने असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो या जिसके ई.एस.ओ.पी पर आयकर स्थगन हो या जिसकी कृपि आय रु. 5000 से अधिक हो। (पात्रता के लिए अनुदेश)	

भाग क साधारण जानकारी			
(क 1) प्रथम नाम	(क 2) मध्य नाम	(क 3) अंतिम नाम	(क 4) स्थायी लेखा संख्या

(क 5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)				(क 6) फ्लैट/द्वार/भवन															
(क 7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम				(क 8) मार्ग/गली/डाक-घर				(क 9) क्षेत्र/अवस्थान											
(क 10) नगर/शहर/जिला				(क 11) राज्य				(क 12) देश				(क 13) पिन कोड/ज़िप कोड							
(क 14) आधार नम्बर (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)								(क 15) प्रास्थिति											
								<input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हि.अवि.कु. <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी से भिन्न)											
(क 16) मोबाईल नं० 1 निवास/कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं०								(क 17) मोबाइल नं० 2								(क 18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)			
																ई मेल पता - 2			
(क 19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्र सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार. <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -सी जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -एस जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -पी.एस.यू. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी - अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)																			
(क 20) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनूदेश देखिए]								<input type="checkbox"/> 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4) नियत तारीख के पश्चात्, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119 (2)(ख)-विलंब की माफी के पश्चात्											
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई								<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142 (1) <input type="checkbox"/> 148											
(क 21) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)																/ /			
(क 22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।																			
(क 23) क्या आपने धारा 115खक के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है तथा नि.व. 2021-22 में प्रपत्र 10अड दाखिल किया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अब चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> नहीं चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> चुनना जारी <input type="checkbox"/> बाहर निकल रहे हैं "नहीं चुनने" के अतिरिक्त कृपया प्रपत्र 10अड दाखिल करने की तिथि पावती संख्या से साथ प्रस्तुत करें																			
(क 24) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परन्तु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? फर्म के मामले में लागू नहीं) - (√) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]																			
(i) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)								(यदि हां है तो) रकम (₹)											
(ii) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?								(यदि हां है तो) रकम (₹)											
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)								(यदि हां है तो) रकम (₹)											
क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)								(विह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
(क 25) क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है () लागू हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> बह हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -																			
(1)		प्रतिनिधि का नाम																	
(2)		प्रतिनिधि की हैसियत																	
(3)		प्रतिनिधि का पता																	
(4)		प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार																	

भाग ख - सकल कुल आय				केवल संपूर्ण (₹) में			
ख1	व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रवि-ट करें)			ख1			
ख2	i सकल वेतन (ik + ix + ig+1घ +1ड)			i			
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन		ik			
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य		ix			
	ग	धारा 17(3) के अनुसार		ig			
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		1घ			
	ड	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		1ड			

	ii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii	
	iii	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	iii	
	iii	शुद्ध वेतन (i-ii- iiiक)	iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv	
		क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौतियां	ivक	
		ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख	
		ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग	
	v	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)	ख 2	
ख3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/>			
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य	i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii	
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv	
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v	
	vi	वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया	vi	
	vii	'गृह संपत्ति' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (vi- ix + x) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं) नोट: आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जानेतथ समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।	ख 3	
ख4	अन्य स्रोतों से आय (ड्रापडाउन जैसे बचत खाते, जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।) -- टिप्पण- "अनुसूची टी.डी.एस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो			
	कम करें: धारा 57(iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)			
	कम करें: धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	ख4		
ख 5	सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4) क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें	ख 5		

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों का पालन करें)

ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)	
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)
ग 7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	ग 8	80 घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	ग 9	80ङ	
ग 10	80ङङ		ग 11	80ङङक		ग 12	80ङङख	
ग 13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	ग 14	80छछ		ग 15	80छछग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प	

ग 19	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)	ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)	ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति					
घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1			
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2			
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3			
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4			
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5			
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।)	घ 6			
घ 7	राहत के बाद अतिशेष (घ 5 - घ 6)	घ 7			
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8			
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9			
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10			
घ 11	धारा 234घ के अधीन शुल्क	घ 11			
घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12			
घ 13	संदत्त कुल अग्रिम कर	घ 13			
घ 14	संदत्त कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14			
घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15			
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16			
घ 17	कुल पूर्व संदत्त कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17			
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18			
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19			
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृषि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाउनलोड का उपबंध करें)	घ 20			
घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण				
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
	i				
	ii				
	<p>1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।</p>				

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के व्यौरे				
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना				
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन	
(i)				
ड 1	सकल आवत या सकल प्राप्तियां			
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता बैंक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रॉनिक किल्यरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड प्राप्त किया गया	ड 1क	
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ड 1ख	
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय			
	क	ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2क	
	ख	ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2ख	
	ग	कुल (क + ख)	ड 2ग	
	नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत तसे कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।			

धारा 44कखक के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना					
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन		
(i)					
ड 3	सकल प्राप्तियां		ड 3		
ड 4	धारा 44कखक के अधीन उपधारणात्मक आय (ड3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है		ड 4		
धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना					
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन		
(i)					
	माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं०	क्या स्वामित्व/पट्टे पर/ या किराए पर है?	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी० ट० में)	माह की संख्या जिसके लिए निर्धारिती ने माल वाहन का स्वामित्व /किराए पर या पट्टे पर है ?	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी० ट० से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)					
(क)					
(ख)					
आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।		ड 5		
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण— यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा		ड 6		
ड 7	धारा 44 कड (ड5 - ड6) के उपधारणात्मक आय		ड 7		
ड 8	बिजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभाय आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)		ड 8		
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना टिप्पण- प्रत्येक जी.एस.टी.आइ.एन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-					
ड 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)		ड 9		
ड 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य		ड 10		
कारबार की वित्तीय विवरणियां टिप्पण-ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)					
ड 11	पूँजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य		ड 11		
ड 12	निश्चित ऋण		ड 12		
ड 13	अनिश्चित ऋण		ड 13		
ड 14	अग्रिम		ड 14		
ड 15	नानाविध ऋणदाता		ड 15		
ड 16	अन्य देनदारियां		ड 16		
ड 17	कुल पूँजी एवं देनदारियां (ड 11 + ड 12 + ड 13 + ड 14 + ड 15 + ड 16)		ड 17		
ड 18	अचल परिसंपत्तियां		ड 18		
ड 19	संपत्ति सूची (इन्वेंटरी)		ड 19		
ड 20	नानाविध कर्जदार		ड 20		
ड 21	बैंकों के साथ शेष		ड 21		
ड 22	नकद		ड 22		
ड 23	ऋण तथा अग्रिम		ड 23		
ड 24	अन्य परिसंपत्तियां		ड 24		
ड 25	कुल परिसंपत्तियां (ड 18 + ड 19 + ड 20 + ड 21 + ड 22 + ड 23 + ड 24)		ड 25		
नोट	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें (ई15, ई19, ई20, ई22 अनिवार्य है और अन्य यदि उपलब्ध हैं)				

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे														
		वीएसआर कोड (स्तंभ 1)			निकष की तारीख (स्तंभ 2)			चालान सं. (स्तंभ 3)			संदत्त कर (स्तंभ 4)			
आर 1														
आर 2														
आर 3														
टिप्पण ▶ घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।														

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶ कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें					

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 - वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
	कर कटौती खाता संख्या(टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण -- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग और प्ररूप 16घ के अनुसार]							
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैन/ आधार सं.	अग्रेपित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती	चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया)	प्रस्तुत तदनुसूची रिसीट/आहरण	अग्रेपित स्रोत पर कर कटौती	
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अग्रेपित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							
टिप्पण ▶ कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।							

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें

केवल शासकीय कार्य के लिए

यहां प्राप्ति नं० की स्टंप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

प्ररूप आ.क.वि-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	2	-	2 3

भाग क-साधारण	साधारण	
व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम	(क2) स्थायी लेखा संख्यांक
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,
	(क7)प्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम
	(क9)सड़क/गली/डाकघर	(क10) क्षेत्र/अवस्थान
	(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य
	(क14)देश	(क13)पिनकोड/ ज़िप कोड
	(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1	(क16)मोबाइल सं० 2
	(क17)ई-मेल पता-1	(क18)ई-मेल पता-2
	(क19) धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।
	(कii) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148
(कiii) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(कiv) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ख) यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-1)	/ /	
(ग) यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148 के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	
(घ) क्या आपने धारा 115खकघ के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है तथा नि.व. 2021-22 में प्रपत्र 10सड दाखिल किया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि नहीं, निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अब चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> नहीं चुन रहे हैं		

(घ)	यदि हां अथवा “चुन रहे हैं”, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व	पावती क्रमांक:
(ङ.)	निवास संबंधी प्रस्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी		
(च)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें		
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें		
(ट)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी.) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(ठ)	यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या		
(ड)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।		
(ढ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--		
	(1) प्रतिनिधि का नाम		
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन उल्लिखित करें)		
	(3) प्रतिनिधि का पता		
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या		
(ण)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
	फर्म का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक	
(त)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक
	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित अंश	वर्ष के दौरान अंतरित अंश
	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या
	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य
	अंशों की संख्या	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)
	अंशों की संख्या	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	अंशों की संख्या	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1 क	1 ख	2
	3	4	5
	6	7	8
	9	10	11
	12	13	
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
क2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां ₹. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक		
क2ii	क2: पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
क 2iii	क2: पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक / डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)		
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं। आकार द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं,		
	(i) संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /		
	(ii) कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(iii) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(iv) लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)		

	(v)	संपत्तिक/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या								
	(vi)	संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)/ आधार संख्या								
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख								
(घ)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(घii)	यदि घड्ड हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व		
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)									
	क्रम संख्यांक.		सेक्शन कोड				तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?									
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)		अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)			
अ.	क्या पूर्ववर्त के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के ब्यौरे दें) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधित करें।									
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम		प्रवेश/निवृत्ति	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख		अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)			
	1.									
	2.									
आ	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
ई.	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय/एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभाय नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2022 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/न्यासी/फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था									
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूजी पर ब्याज की दर	संबल/संवेद्य पारिश्रमिक	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है									
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):								
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		

भागीदार/ सदस्य/ न्यास की सूचना

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए

		(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कचक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
	क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
	(i)			
	(ii)			

भाग क- बीएस 31 मार्च, 2022 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत				
	1	भागीदार/सदस्यता निधि				
		क	भागीदार/सदस्यता पूंजी		क	
		ख	आरक्षितियां और अधिशेष-न			
			i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खि	
			ii	पूंजी आरक्षिति	खii	
			iii	कानूनी आरक्षिति	खiii	
			iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
			v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv	
			vi	योग (खि+खii+खiii+खiv+खv)	खvi	
		ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)		1ग	
		2	ऋण निधि			
			क	प्रतिभूत ऋण		
				i	विदेशी करेंसी में ऋण	काि
				ii	रुपए में ऋण	
				अ	बैंकों से	iiअ
				आ	अन्य से	iiआ
				इ	योग (iiअ+iiआ)	iiइ
				iii	कुल प्रतिभूत ऋण (काि+ii इ)	कiii
		ख	अप्रतिभूत ऋण (निकष सहित)			
			ट	विदेशी मुद्रा ऋण	काि	
			त्	रुपया ऋण		
				अ	बैंकों से ऋण	iiअ
				आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ
			इ	अन्य से	iiइ	
			ई	कुल रुपया ऋण (ii+ii+ii+ii इ)	iiई	
			iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)	खiii	
		ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)	2ग		
	3	आस्थगित कर दायित्व		3		
	4	अग्रिम				
		i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i		
		ii	अन्य से	ii		
		iii	कुल अग्रिम (i+ii)	4iii		
	5	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)		5		
	आ	निधियों का उपयोजन				
निधियों का उपयोग	1	नियत आस्तियां				
		क	सकल :ब्लॉक	1क		
		ख	अवक्षयण	1ख		
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग		
		घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
		ङ	योग (1ग+1घ)	1ङ		
		2	विनिधान			
		क	दीर्घकालिक विनिधान			
			i	संपत्ति में विनिधान	i	
			ii	साम्या लिखत		
			अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ	
			आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ	
			इ	योग	iiइ	
			iii	अधिमानी शेयर	iii	
			iv	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv	
			v	डिबेंचर या बंधपत्र	v	
			vi	पारस्परिक निधियां	vi	
			vii	अन्य	vii	

		viii कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)			कviii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान				
		i साम्या लिखत				
		अ सूचीबद्ध साम्या		iअ		
		आ असूचीबद्ध साम्या		iआ		
		इ योग		iइ		
		ii अधिमानी शेयर		ii		
		iii सरकारी या न्यास संपत्तियां		iii		
		iv डिबेंचर या बंधपत्र		iv		
		v पारस्परिक निधियां		v		
		vi अन्य		vi		
		vii कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii+iii+iv+v+vi)			खvii	
		ग कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग	
3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू आस्तियां				
		i सूचियां				
		अ कच्चा माल		iअ		
		आ प्रगतिगत स्टॉक		iआ		
		इ तैयार माल		iइ		
		ई व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)		iई		
		उ भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य		iउ		
		ऊ खुले अीजार		iऊ		
		ए अन्य		iए		
		ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)			iऐ	
		ii विविध देनदार				
		अ एक से वर्ग से अधिक के लिए बकाया		iiअ		
		आ अन्य		iiआ		
		इ कुल विविध लेनदार			iiइ	
		iii नकदी और बैंक अतिशे-न				
		अ बैंक में अतिशे-न		iiiअ		
		आ हाथ में नकदी		iiiआ		
		इ अन्य		iiiइ		
		ई कुल नकद और नकद समतुल्य (iiiअ+iiiआ + iiiइ)			iiiई	
		iv अन्य चालू आस्तियां			कiv	
		v कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)			कv	
	ख	ऋण और अग्रिम				
		i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम		खi		
		ii निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य		खii		
		iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशे-न		खiii		
		iv योग (खi + खii + खiii)			खiv	
		v खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं				
		क कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए		vक		
		ख कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं		vख		
		ग योग (कv+खiv)			3ग	
	घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध				
		i विद्यमान दायित्व				
		अ विविध लेनदार				
		1 एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया		1		
		2 अन्य		2		
		3 योग (1+ 2)		अ3		
		आ षट्पाधृत आस्तियों के लिए दायित्व		iआ		
		इ ऋण पर प्रोद्भूत व्याज और शोध		iइ		
		ई ऋण पर प्रोद्भूत व्याज किन्तु शोध नहीं		iई		
		उ अग्रिम में प्राप्त आय		iउ		
		ऊ अन्य संदेय		iऊ		

			ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	ए		
			ii	उपबंध			
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
			आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्तिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
			इ	अन्य उपबंध	ii इ		
			ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई		
			iii	योग (iउ+ iiई)	चiii		
			ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-चiii)	3ड		
			4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
				ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
	ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-1	4ग				
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ				
5		निधियों के उपयोग का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)	5				
लेखा न होने की दशा	ग		उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारबार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
		1	विविध देनदारों की कुल रकम	ग1			
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम	ग2			
		3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम	ग3			
		4	नकद अतिशे-1 की रकम	ग4			

भाग अ-विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन		क	आरंभिक सूची		
			i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i	
			ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii	
			iii	योग (i + ii)	कiii	
			ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)	ख	
			ग	प्रत्यक्ष मजदूरी	ग	
			घ	प्रत्यक्ष व्यय(घi + घii + घiii)	घ	
			i	आवक वहन व्यय	i	
			ii	बिजली और ईंधन	ii	
			iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
			ड.	कारखाना अधिव्यय		
			i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
			ii	कारखाना किराया और दर	ii	
			iii	कारखाना बीमा	iii	
			iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv	
v	कारखाना साधारण व्यय	v				
vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi				
vii	योग (ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii				
च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)	च				
2	अंत स्टॉक		i	कच्ची सामग्री	2i	
			ii	प्रगति रत कार्य	2ii	
			योग (2i + 2ii)	2		
3	उत्पादित माल की लागत - व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)	3				

भाग अ- व्यापार लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व	क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)		
			i	माल का विक्रय	i	
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii	

	iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		iii क		
		ख		iii ख		
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv योग (i + ii + iii ग)			कiv	
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख	
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	वैट/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii			
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix		
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5		
6	व्यापार लेखा में जमा का योग (4घ + 5iv)			6		
7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक			7		
8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)			8		
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
	i	आवक वहन व्यय	i			
	ii	बिजली और ईंधन	ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii			
10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा शुल्क	10i			
	ii	प्रति शुल्क	10ii			
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
	v	सेवा कर	10v			
	vi	वैट/विक्रय कर	10vi			
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित			11		
12	कारवार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित			12		

व्यापार लेखा से विकलन

भाग अ-लाभ और हानि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा की जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ			13	
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमीशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	व्याज आय	iv		
	v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			

	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	vi			
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
	x	कृषि-आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		xi	क	
		ख		xi	ख	
		ग	योग (xi)क + xi)ख)	xi	ग	
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xiग)				14xii
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)				15
	16	जावक भाड़ा व्यय				16
17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग				17	
18	विजली और ईंधन				18	
19	किराया				19	
20	भवन की मरम्मत				20	
21	मशीनरी की मरम्मत				21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वितन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	सान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	सान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)			22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii)क	हां / नहीं		
		यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xii)ख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii			
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग I (i + ii)			31iii	

लाभ और हानि लेखा से विकलन

32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				32iii
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
33	होटल, भोजन तथा आवास				33
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				34
35	विदेश यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	संदान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				44x
i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
ii	सेवा कर	44ii			
iii	बेट/विक्रय कर	44iii			
iv	उप कर	44iv			
v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
ix	एसटीडी और सीटीडी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix			
x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)				
45	संपरीक्षा फीस				45
46	कर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				46
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				47iii
i		i			
ii		ii			
iii	योग (i + ii)				
48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)				48iv
i(1)		48i(1)			
i(2)		48i(2)			
i(3)		48i(3)			
	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i			
ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii			
iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii			
iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii				
49	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				49
50	अन्य उपबंध				50
51	ब्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]				51
52	ब्याज				52iii
i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i			
ii	अन्यों को	ii			
iii	योग (i + ii)				

कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण	53		
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)	54		
	55	चालू कर के लिए उपबंध	55		
	56	आस्थगित कर का प्रावधान	56		
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)	57		
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	58		
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)	59		
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित	60		
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)	61		
	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
	उपधाराणात्मक आय मामले	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
(i)		सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (i + ii)			
क		निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	ik		
ख		किसी अन्य ढंग से	ix		
(ii)		धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (ii + ix)			
क		62ik का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक		
ख		62ix का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख		
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
63		धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
क्रम सं.		कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
(i)		सकल प्राप्तियां			
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)				
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना				
क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
(i)	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो
(क)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख)					
कुल					
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)					
(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]			64(ii)	
(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक			64(iii)	
(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)			64(iv)	
टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।					
लेखापरीक्षा मामला	65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें			
	(i)	कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए			

	a	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iक		65i
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
	ख	सकल लाभ	iख		
	ग	व्यय	iग		
	घ	शुद्ध लाभ			
	(ii)	वृत्तिरत निर्धारित के लिए			
	क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iiक		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
ख	सकल लाभ	iiख			
ग	व्यय	iiग			
घ	शुद्ध लाभ				
(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii	
66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i
	ii	सकल लाभ			66ii
	iii	व्यय, यदि कोई हो			66iii
	iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व बर्न में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]	3ख	
	4	पूर्व बर्न में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4 ङ	
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-			
क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदे हैं	5क		
ख	प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख		
ग	पूर्वबर्न के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग		
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ		
च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च		
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकलित रकम			
क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i)]	6क		
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख		
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
घ	उधार ली गई पूंजी की वावत संदत ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ		

ड	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii)(क)]	6ड	
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 गगध में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
ड	डूबंत और शंकारपद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ड	
ड	डूबंत और शंकारपद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार से आय में शामिल नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि	6थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध	
न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6 न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिगिद्ध है	7छ	
ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क) (i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क) (i) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क)(i) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत रकम [40(क)(ii क)]	अच	
छ	राजरव. अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत रकम	अछ	
ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)	8अञ	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		

	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या वीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ		
	ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ		
	च	कोई अन्य अनुज्ञेय	9 च		
	छ	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)			9 छ
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ती के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाचीकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घ क		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)			10ज
11	पूर्व वर्ती के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाचीकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11 घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)			11ज
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		

	ग	मूल्य बधित कर/विक्रय कर	12ग	
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज	कोई अन्य कर	12ज	
	झ	धकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ	
13		धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें	13	
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम	14	
15		लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	
16		धारा 14क के अधीन अनुनुजेय व्यय	16	
17		क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

भाग क-परिणात्मक ब्यौरे		परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)	
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3
	4	बंद स्टाक	4
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्ची सामग्री	
	क	आरंभिक स्टाक	6क
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6ख
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6ग
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6घ
	ङ	बंद स्टाक	6ङ
	च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद	
	क	आरंभिक स्टाक	7क
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7ख
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग
घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	बंद स्टाक	7ङ	
च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)			
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %			
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
		I			
		II			
		[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)

3	115 खख के अधीन प्रभार्य या 115 खख के अधीन प्रभार्य या आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति	3क	
		ख	गृजी अभिलाभ	3ख	
		ग	अन्य स्रोत	3ग	
		गि	लाभांश आय	3गि	
		गii	लाभांश आय के अलावा	3गii	
		घ	धारा 115खख	3घ	
		ड	धारा 115खख	3ड	
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कचक/ 44कड़/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)			4क	
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ			4ख	
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)			4ग	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	(क)	फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क		
	(ख)	एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख		
	(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		i	ग i		
		ii	ग ii		
		iii	योग (ग i + गii)	5ग iii	
(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)			5घ	

6	बकाया (1-2क-2ख-3क-3ख-3ग-3ङ-4क-4ख-4ग-5घ)				6
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य/ आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	मंजी अभिलाम	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखच	7घ	
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क	
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख	
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8क + 8ख)			9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण				11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)			12i	
	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)			12ii	
	कुल (12i + 12ii)				12ii i
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)				13
14	धारा 36 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6S)	14			
15	धारा 37 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)	15			
16	धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)	16			
17	धारा 40क के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9छ)	17			
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय हैं (भाग क -णझ का 11ज)	18			
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुनुज्ञेय व्याज	19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21			
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22			
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23			
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारती भागीदार हैं)	24			
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)	25			
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27			
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28			
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है (अनुसूची उधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29			
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)	30			
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10ज)	31			
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32			
33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	33			
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)				34
35	आय (13+26-34)				35
36	निम्नलिखित के अधीन कारवार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -				
	i धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	36i			
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii			
	iii धारा 44कङ [अनुसूची का 64(ii)]	36iii			
	iv धारा 44ख	36iv			

	v	धारा 44खख	36v		
	vi	धारा 44खखक	36vi		
	vii	धारा 44घक	36vii		
	viii	धारा 44घख	36viii		(प्राश्य 3गड की मद 4)
	ix	कुल (36i to 36viii)			36viii
37		सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36viii)			37
38		नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें (यदि हानि है तो 2i की मद को ङ में ले जाएं) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)			क 38
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ङ		
	च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय	38च		
39.		वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ.)]			39
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			40
	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			41
	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			42
	43	सट्टेबाजी के कारबार से आय (40+41-42) (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)			आ43
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			44
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			45
	46	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतिया (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है			46
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44+45-46)			47
	48	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)			48
	49	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (47-48) (हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएं)			इ49
	50	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए)			इ50
घ		Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)	D		घ
		'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ख43+ग49)			
ङ		चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष			
	क्र.सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या नकारात्मक हो)		(क 38)	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)		
	iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)			
	vi	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शे-1 हानि (i - v)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)

3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (सूत्र 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात मूल्यहास,				
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (सूत्र 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
				(i)	(ii)	(iii)			
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (सर्तब 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,							
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (सर्तब 14 में से) की स्थिति में अननुज्ञात श्रानुपातिक कुल मूल्यहास							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 501 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
		क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क		
		ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख		
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग		
		घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वतंत्र अधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
		ङ संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1 ङ	
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क		

ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग		
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड+2घ+3+4+5)			6

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)			1ड
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड+ 2घ + 3 + 4 + 5)			6

अनुसूची इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35 गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(ii क) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें।			

अनुसूची-पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम

अल्प कालित पूँजी अभिलाम

अल्प कालिक पूँजी अभिलाम

क		अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)					
1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)					
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का				
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii				
	iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii				
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
ग	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
	iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv				
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v				
ग		तुलन काiii - ख v)				1 ग	
घ		धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ	
ङ		स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)				क 1 ङ	
च		स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)					
क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड	पिन कोड	
टिप्पण		यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।					
2		रत्नम विक्री से					
क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का				
	ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii				
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2काiii				
ख		वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख	
ग		रत्नम की विक्री से अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (2काiii - 2ख)				क 2 ग	
3		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है					
क		प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क	
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
ग	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii				
	iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
	v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
ग		शेन (3 क - ख v)				3 ग	
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभोश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)				3 घ	
ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)				क 3 ङ	
4		अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभोशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)					
क		संयवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संयवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है				क 4 क	

		ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है	क 4 ख
5			अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उपर ए 3 से भिन्न)	
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।	
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग	पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	kii
		iii	कुल (i ग + ii)	kiii
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां	
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v
	ग		शे-न (5 क iii - ख v)	5 ग
	घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ
	ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)	क 5 ङ
6			पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से	
	क	I	विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।	
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	kii
		iii	कुल (i ग + ii)	kiii
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां	
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v
	ग		शे-न (6 क iii - ख v)	6 ग
	घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ

			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
			i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
			iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv				
				योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v				
			ग	शे-1 (क iii - ख v)				1 ग	
			घ	धारा 54 घ / 54 ङग / 54 छ / 54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ	
			ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				ख 1 ङ	
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					
	क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य	
टिप्पण ▶	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।								
2	स्लम्य विक्री से								
			क	i	नियम 1।प.क.ङ(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2क।			
				ii	नियम 1।प.क.ङ(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii			
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii			
				ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2ख			
				ग	शे-1 (2कiii - 2 ख)	2ग			
				घ	धारा 54ङग के अधीन कटौती	2घ			
ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)								
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)								
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3क		
				ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
					i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
					ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
					iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)				ख 3ग				
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से								

			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			4क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
			ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)				ख 4 ग		
			5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंनुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से						
				उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)						ख5घ
			6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)						
	इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी						ख6			
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से									
क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।								

सं.	जिसमें सम्मिलित किया गया है	नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करे	हां/नहीं	(8)	(9)	(10)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
I										
II										
क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि					ख12क				
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि					ख12ख				
13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क)					ख13				
ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)					ग				
घ	पूँजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावों के बारे में सूचना									
1	धारा 54घ / धारा 54ङ/धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।									
क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष							
ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत	क ii								
iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv								
v	कम किए गए दावों की रकम	क v								
ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष							
ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ख ii								
iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	कम किए गए दावों की रकम	ख iv								
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष							
ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii								
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष							
iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv								
v	कम किए गए दावों की रकम	ग v								
घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा									
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष							
ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घii								
iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष							
iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घiv								
v	कम किए गए दावों की रकम	घv								
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)					1 ड				
ड	पूँजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्र. सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)	
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%		डीटीए दर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7ग*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6*+ आ7ड*+ आ10+	आ12ख	

अनुसूची-112क किसी कंपनी या इक्विटी ओरएण्टेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।														
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री- मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर- 5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिण्टेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.201 8 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) - (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटीतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर -5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1 सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	कां	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	कांii	
ख	व्याज, सकल (खां + खांii + खांiii + खांiv)	1ख	
i	बचत खाता से	खां	
ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खांii	
iii	आय कर प्रतिदाय से	खांiii	
iv	पास श्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खांiv	
v	अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घां + घांii + घांiii + घांiv + घांv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घां	
ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांii	
iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांiii	
iv	प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घांiv	
v	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घांv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
1			
2			
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)		2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खांv + खांvi)	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii	
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv	
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxxiii का योग)	2 ग	
i	अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i	
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii	
iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii	
iv	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv	
v	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v	

vi	धारा 115A(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194घ में निर्दिष्ट व्याज	ग vi	
vii	धारा 194खक में निर्दिष्ट व्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	ग vii	
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य सारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii	
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix	
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x	
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	

xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त	ग xii	
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii	
xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv	
xv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट्स से स्वामिसत्व द्वारा आय	ग xv	
xvi	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvi	
xvii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	ग xvii	
xviii	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xviii	
xix	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xix	
xx	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx	

घ विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाए)

2घ

ङ क्रम 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)

2ङ

क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मनु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क, 2ख, 2ग एवं 2घ के अलावा)

क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा	3क
ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)	3ख
ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर व्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	3ग
गि	धारा 57(i) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि	3गि
घ	योग	3घ

4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम

4

5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ

5

6 अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीएए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/ में आंकड़े भरें)

6

7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)

7

8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय

क	प्राप्तियां	8क
ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ

क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय					
2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभान्श पर आय					
3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभान्श आय					
5	धारा 115क(1)(क)(iiकग) के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
6	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
8	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभान्श आय					

क्र.सं.	आय का स्रोत	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ग की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ग की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ग के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद ड का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लामू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				

चालू वर्ग हानि समाधान

x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8ड)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेन हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बीएफएलए पूर्व वर्गों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ग की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेन बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ग की मुजरे के पश्चात् शेन बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

			लिए समायोजित रकम का विकल्प					
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चातू निर्धारण वर्ग							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

अनुसूची		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
आ.स.प्र.मा.		
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती	
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती		
	क्रम सं.	वचनबंध	निर्धारण वर्ग जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है
	क	वचनबंध सं0 1	क (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए
	ख	वचनबंध सं0 2	ख (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)	
		ड	

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे		
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान		
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान
			कुल दान	
		i		
		ii		
	iii	कुल		
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान		

	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं..	सुसंगत खण्ड जिसके अध्वीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची आर. अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अध्वीन कटौती)

ए	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
	कुल					

अनुसूची-80-झ.क धारा 80- झ.क के अध्वीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दि-ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक के अध्वीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग

अनुसूची-80-झ.ख धारा 80-झ.ख के अध्वीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

	और खनन आरंभ करता है [धारा80इख(9)]	ख2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
ग	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80इख(10)]	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिवर्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80इख(11क)]	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारवार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80इख(11क)]	ङ 1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
		ङ 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
च	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)			

अनुसूची-80-इग या 80-इङ धारा 80-इग या धारा 80इङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
			क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
			ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
			ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
	ध	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घक2	बचनबंध सं0 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घख2	बचनबंध सं0 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घग2	बचनबंध सं02 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घघ2	बचनबंध सं02 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घङ2	बचनबंध सं0. 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घच	नागालैंड	घच1	बचनबंध सं0. 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घच2	बचनबंध सं0. 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
			घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
					घछ2	बचनबंध सं0 2 (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)
घज			पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रम 1 के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)	घज		
ङ			धारा 80इग या धारा 80इङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)	ङ		

अनुसूची 80त धारा 80त के अधीन कटौतियां

		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहित निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संचयी सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य			

	सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ड) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची -6क अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ	ख	80छछख		
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)					1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक	(अनुसूची 80- टक का च)	ड	80-झकख	
	च	80-झकग		छ	80-झख	(अनुसूची 80- झख का ड)
	ज	80-झखक		झ	80झग/80झड	(अनुसूची 80 झग/80झड का ड)
	ज	80जक		ट	80जकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलघक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II
	ठ	80टक(1)	प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9	ड	80टक(1क)	(प्रपत्र 10गगच के अनुबंध का9)
ण	80त					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)					2	
3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 + 2)				3	

अनुसूची- एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय	1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन		
	ड			
	80 झकख			
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क	
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख	
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अबहाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35क के अधीन कटौती का दावा	2ग	
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ	
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)	3	
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क	
ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख		
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3 ख) का 18.5 % या (3 क) का 9 %] (ए.ओ.पी, वी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)	4		

अनुसूची एएमटीसी धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का1घ)	1			
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)	2			
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]	3			
4	उपलब्ध एएमटीसी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटीसी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटीसी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती				
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटीसी प्रत्यय (ख)		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटीसी (ग)	अग्रणीत अतिशेन एएमटीसी जमा (घ) = (ख3) -(ग)
		सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेन (ख3)=(ख1)-(ख2)	
I	2011-12				

	ii	2012-13				
	iii	2013-14				
	iv	2014-15				
	v	2015-16				
	vi	2016-17				
	vii	2017-18				
	viii	2018-19				
	ix	2019-20				
	x	2020-21				
	xi	2021-22				
	xii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविट करें)				
	xiii	योग				
5	धारा 115कघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]					5
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविट करें]					6

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक(शेयर/इन्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाईयों की विक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
10	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का 5lx)	
11	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
12क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग ix)	
12ख	115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xxiii)	
13	115 खख (लॉटरी, बग पहेसी, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
14	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
15	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)	
16	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 7ख)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2गxvi)	
17	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2गviii)	
18	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्त्रोतों से आय प्रभाय है	☐		(अनुसूची ओएस के 2ड का भाग)	
19	15% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	15	(अनुसूची ओएस के 5vi का भाग)	
20	30% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	30	(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)	
21	10% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	10	(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)	
22	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
23	20% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	20	(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)	
24	विशेष दये पर प्रभाय अन्य स्त्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
25	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभाय होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ओएस के 2ग का भाग)	
			योग		

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म का धारा 92 लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	फर्म में हिस्सों की रकम	
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

क्र.सं	व्याज से आय	1
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii
	iii पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii
	iv वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि) यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें (2
	v वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)	
	क पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।	
	ख एकड़ में कृषि भूमिक का मापन	
	ग क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)	
	घ क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)	
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	3
	क धारा 10(23चख) अथवा 10(23चगक) या 10(23चगक) या 10(23चड) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क
	ख कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें	3ख
4	डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं आय	
	क्र.सं आय की रकम आय की प्रकृति देश का नाम और कोड डीटीएए का अनुच्छेद आय की शीर्ष क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
	I	
	II	
	III कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय	4
5	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)	5
6	योग (1+2+3+4+5)	6

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूंजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	धारा 112क के				

(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। वृषटि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी

जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्त के संबंध में जानकारी

क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण

कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् जानकारी दें।

भाग - ख**भाग ख-कुल आय****कुल आय की संगणना**

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)		1
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाम		
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दि-ट करबार के कारबार और विनिर्दि-ट करबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)	2i
	ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(ii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii
	iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii
	iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3घ और 3ड)	2iv
	vi	योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रवि-टि में ले जाएं)	2v
3	पूंजी अभिलाम		
	क	अल्प कालिक	
	i	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)	कi
	ii	30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)	कii
	iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)	कiii
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	कiv
	v	कुल अल्प कालिक (कi + कii + कiii + कiv) (यदि हानि हो तों कुछ नहीं प्रवि-टि करें)	3कv
	ख	दीर्घ कालिक	
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खi
	ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii
	iv	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख iv

	ग	कुल पूंजी अभिलाम (3 क+3 खiv) (यदि हानि हो तो शुन्य करें)		3c
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क	
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभाय्य आय (अनुसूची ओएस का 2 करें)	4 ख	
	ग	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुसंधान क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग	
	घ	योग (4 क+4 ख+4 ग)		4 घ
5	मदवार आय का योग (1+2v+3 ग+4 घ)			5
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ग की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)			6
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5-6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग+4ख+2iv)			7
8	7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)			8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग+4ख+2iv)			9
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभाय्य आय			10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]		11ख
	ग	कुल (11क+11ख) (9-10) तक सीमित		11ग
12	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)			12
13	कुल आय (9-11ग-12)			13
14	विशेष दरों पर कर से प्रभाय्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)			14
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)			15
16	कुल आय (13-14+15)/यदि (13-14) प्रभाय्य कर की प्रभाय्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा			16
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ग की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xvi का योग)			17
18	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)			18

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना			
कर दायित्व की संगणना	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)		1क	
	ख	पूर्वोक्त (क)पर अधिभार (यदि लागू है)		1ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर		1ग	
	घ	मानी गई आय (1क+1ख+1ग) पर कुल संदेय कर		1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख		
	ग	कृषि आय पर छूट/भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभाय्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग		
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)		2घ	
	ङ	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2ङ
	i	अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ङ i	iक	
	ii	10% या 15% या 20%, 1, 7, 9, 21, 23 के अनुसार लागू, लाभांश आय अनुसूची एस.आई धारा 115कघ (1)(क) के तहत, तथा भाग-ख- टी.आई में शामिल लाभांश आय	2ङ ii	iiक	
	iii	अनुसूची एस.आई [(2घ) - [(12(ii)+ 1(ii)+ 2(ii), 7(ii), 9(ii), 21(ii), 24(ii)]पर	2ङ iii		
	iii	कुल (iक + iiक + iii)			2ङ iii
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2ङiii			2च
छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ+2ङiv+2च)			2छ	
3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)			3	
4	पूर्व वर्गों में संदेय कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)			4	
5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3-4)			5	
6	कर राहत				
क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क			
ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख			
ग	योग (6क+6ख)			6ग	

7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7	
8	व्याज और देय फीस		
	क विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क	
	ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग	
	घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ	
	ङ कुल व्याज और देय फीस (8क+8ख+8ग+8घ)	8ङ	
9	कुल दायित्व (7 + 8 ङ)	9	
10	संदत कर		
	क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क	
	ख स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख	
	ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग	
	घ स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ	
	ङ कुल संदत कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ङ	
11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ङ से अधिक हैं तो प्रविट करें, अन्यथा 0 प्रविट करें)	11	
12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा	12	
संदत कर और बैंक के ब्यौरे	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)	हां या नहीं का चयन करें
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)	
		क्रम सं. बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम
		खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं। एक खाता पर निशान लगाएं।
	i		
	ii		
बैंक खाता	नोट:		
	1) रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर.		
	2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए		
	2) Minimum one account should be selected for refund credit		
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		
	ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:		
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम
			स्थान का देश
			आई.बी.ए.एन
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय	
		i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।	
		ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या	
		iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

15 अनुसूची-आयकर

क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे							
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)			
	i							
	ii							
	iii							
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]							
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य	अन्य व्यक्ति का पैना/आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य	कटौतीकर्ता का पैना/किराएदार/क्रेता का पैना/आधार संख्या	अग्रपिप्त अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/आहरण	अग्रपिप्त टीडीएस क्रेडिट

व्यक्ति	व्यक्ति से संबंधित है											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रपिप्त टी.डी.एस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष	
							आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस पैन/आधार संख्या			
i												

टिप्पण भाग ख ननख के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]											
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष (5) या (6) की राशि का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए इसी रसीद की पेशकश की जा रही है)	(5) या (6) की राशि में से अग्रणीत रकम					
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
i												
ii												

टिप्पण कृपया भाग ग - टॉटाआई के 10ग म स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

में _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्रीसत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं । मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (डाउन डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ । मैं एक स्याई खाता संख्याधारक हूँ (यदि आवंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ग					
		2	0	2	2	-	2
प्रारूप	[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)						

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम	(क2) स्थायी लेखा सं०					
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	(क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी					
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	(क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ग)		(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ग)		
			/	/	/	/	
(क10) सड़क /मार्ग/डाक घर	(क11) क्षेत्र/अवस्थान	(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>				(i) देशी कंपनी <input type="checkbox"/>	

			(ii) विदेशी कंपनी	<input type="checkbox"/>
(क12) कस्बा/शहर/जिला	(क13)राज्य देश	(क14)पिन कोड / जिप कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)	<input type="checkbox"/>
(क15) कार्यालय की दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं0-1		(क16)मोबाइल नं0-2	(क17) ई मेल पता-1	
(क18) ई मेल पता-2				
(क19) धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]		<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरण, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात्		
(क) या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148		
(ख) यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)				/ /
(ग) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।				/ /
(घ) आवासीय प्रास्थिति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी				
(ड.) क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के तहत कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाईलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्रपत्र (10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां नहीं यदि हां, कृपया पत्र 10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ दाखिल करने की तिथि बताएं				
(च) क्या पिछले वर्ष 2019-20 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ/ नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)				
(छ) क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?				
(ज) अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(झ) अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या				
(ञ) क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें .				
(ट) क्या कम्पनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(ठ) क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(ड) क्या निर्धारित कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(ड) क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं				
(ण) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -				
(1) निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम				
(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)				
(3) निर्धारित के प्रतिनिधि का पता				
(4) निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या				
(त) क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
1 यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें				
2 क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3 यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें				

फाइल करने की प्रास्थिति

	(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें			
		पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं				
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.
शेयरधारक की	उन व्यक्तियों की विशी-टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)	
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)
स्वामित्व संबंधी जानकारी	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।				
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)
					निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
स्वामित्व संबंधी जानकारी	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।				
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)
					निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार	कंपनी का स्वरूप				
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं			(निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)					
क्र. सं.	कोड	वर्णन			
(i)	[कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]				

(ii)		
(iii)		

भाग क-तुलन पत्र 31 मार्च, 2022 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I साधारण पूंजी और दायित्व		
	1	शेयर धारक की निधि	
		क शेयर पूंजी	
		i प्राधिकृत	का
		ii पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	काii
		iii अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	काiii
		iv कुल (काii + काiii)	काiv
		ख आरक्षित और अधिशे-न	
		i पूंजी आरक्षित	खा
		ii पूंजी मोचन आरक्षित	खाii
		iii प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	खाiii
		iv डिबेन्चर मोचन आरक्षित	खाiv
		v पुर्नमूल्यांकन आरक्षित	खv
		vi शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi
		vii अन्य आरक्षित (स्वरूप और रकम विनिर्दि-ट करें)	
		क	viiक
		ख	viiख
		ग कुल (viiक + viiख)	खvii
		viii अधिशे-न अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशे-न (नामों पक्ष का अतिशे-न ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii
		ix कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामों पक्ष का अतिशे-न यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खix
		ग शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम	1 ग
		घ शेयर धारक की कुल निधि (काiv + खix + 1 ग)	1घ
		2 शेयर आवेदन की रकम, जिसका आवंटन लंबित है	
		i एक वर्ग से कम से लंबित है	i
	ii एक वर्ग से अधिक से लंबित है	ii	
	iii कुल (i + ii)	2	
	3 स्थगित दायित्व		
	क दीर्घकालिक उधार		
	i बंधपत्र/डिबेचर		
	क विदेशी मुद्रा	i क	
	ख रुपया	i ख	
	ग कुल (i क + ii ख)	i ग	
	ii आवधिक ऋण		
	क विदेशी मुद्रा	iiक	
	ख ऋण रूप में		
	1 बैंकों से	ख1	
	2 अन्य से	ख2	
	3 कुल (ख1 + ख2)	ख3	
	ग कुल आवधिक ऋण (iiक + ख3)	iiग	
	iii आस्थगित भुगतान का दायित्व	iii	
	iv संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)	iv	
	v अन्य निक्षेप	v	
	vi संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)	vi	
	vii अन्य ऋण और अग्रिम	vii	
	viii दीर्घकालिक वित्तपो-ण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता	viii	
	ix कुल दीर्घकालिक (iग + iiग + iii + iv + v + vi + vii + viii)	3क	

	क	स्थिर आस्तियां				
		i	मूर्त आस्तियां			
			क	सकल ब्लाक	i	
			ख	अवक्षयण	ix	
			ग	हास से हुई हानियां	ig	
		घ	शुद्ध ब्लाक (ik-ix - ig)	ig		
		ii	अमूर्त आस्तियां			
			क	सकल ब्लाक	ii	
			ख	क्रमिक अपाकरण	ii	
			ग	हास से हुई हानियां	ii	
		घ	शुद्ध ब्लाक (ii-ii - ii)	ii		
		iii	पूँजीगत चालू काम		iii	
	iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां		iv		
	v	कुल स्थिर आस्तियां (ig + ii + iii + iv)		kv		
	ख	गैर-चालू विनिधान				
		i	संपत्ति में विनिधान	i		
			शेयर लिखतों में विनिधान			
		ii	क	सूचीबद्ध शेयर	ii	
			ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	ii	
			ग	योग (ii क + ii ख)	ii	
		iii	अधिमाननी शेयरों में विनिधान		iii	
		iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान		iv	
		v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान		v	
		vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान		vi	
vii		भागीदारी फर्मों में विनिधान		vii		
viii		अन्य विनिधान		viii		
ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		ix			
ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		ग			
घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम					
	i	पूँजी अग्रिम	i			
		प्रतिभूति निक्षेप	ii			
	iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii			
		अन्य ऋण और अग्रिम	iv			

			v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)	घ v	
			vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो		
		क		कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	vik	
		ख		कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	viख	
		ग		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	viग	
	घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां				
			i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य		
		क		प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iक	
		ख		गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iख	
		ग		शंकास्पद	iग	
		घ		कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)	iघ	
			ii	अन्य	ii	
			iii	योग (iघ + ii)	iii	

			iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv		
	ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + डiii)				1	च
2	चालू आस्तियां						
	क			चालू विनिधान			
				i	शेयर लिखतों में विनिधान		
				क	सूचीबद्ध शेयर	ik	
				ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	ix	
				ग	योग (ik + ix)	ig	
				ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii	
				iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii	
				iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv	
				v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v	
				vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi	
				vii	अन्य विनिधान	vii	
				viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)	kviii	
	ख			संपत्ति-सूची			
				i	कच्चा माल	i	
				ii	चालू काम	ii	
				iii	तैयार माल	iii	
				iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv	
				v	भंडार और स्पेयर	v	

			vi	खुले औजार	vi			
			vii	अन्य	vii			
			viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		ख	viii	
	ग	व्यापार प्राप्य						
			i	6 मास से अधिक से बकाया	i			
			ii	अन्य	ii			
			iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)		ग	iii	
	घ	नकदी और नकद समतुल्य						
			i	बैंक नकद	i			
			ii	चैक, ड्राफ्ट	ii			
			iii	नकद अतिशेन	iii			
			iv	अन्य	iv			
			v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)		घ	v	
	ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम						
			i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i			
			ii	अन्य	ii			
			iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)		ङ	iii	
			iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
			क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv	क		
			ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	iv	ख		

		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद गस्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग	
	च	अन्य चालू आस्तियां	च	
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)	2छ	
कुल आस्तियां (1च+2छ)			II	

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2022 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I	साधारण शेयर और दायित्व			
	I	साधारण शेयर		
		अ	साधारण शेयर पूंजी	
		i	प्राधिकृत	कi
		ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	कii
		iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	कii i
		iv	कुल (कii + कiii)	क+i v
		आ	अन्य साधारण शेयर	
		i	अन्य रिजर्व	
		क	पूंजी विमोचन आरक्षित	iक
		ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	iख
		ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	iग
		घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	iघ
		ड.	कुल अन्य भंडार (iक+iख+iग+iघ)	iड.
		ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii
		iii	कुल (खiड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)	खiii
		इ	कुल साधारण शेयर (कiv + खiii)	1ग

2	दायित्व			
	अ	गैर मौजूदा दायित्व		
	I	वित्तीय दायित्व		
		उधारी		
	क	बांड या डिबेंचर		
		1 विदेशी मुद्रा	क 1	
		2 रुपए	क 2	
		3 कुल (1 + 2)		क 3
	ख	उधार अवधि		
		1 विदेशी मुद्रा	ख 1	
		2 रुपया उधार		
		i बैंकों से	i	
		ii अन्य पार्टियों से	ii	
		iii कुल (i + ii)	ख 2	
	3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)		ख 3
	ग	आस्थगित संदाय दायित्व		ग
	घ	निक्षेप		घ
	ङ.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)		ङ.
	च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता		च
	छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक		छ
	ज	अन्य उधार		ज
	झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ङ. + च + छ + ज)		झ
	ञ	व्यापार उधार		ञ
	ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)		ट
	II	उपबंध		
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क	
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
	ग	कुल उपबंध		IIग
	III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		III
	IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व		
	क	अग्रिम	क	
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व		IVग
		कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झा + Iअ + झट + IIग + III + IVग)		2क
	B	वर्तमान दायित्व		
	I	वित्तीय दायित्व		
		i उधारी		
	क	मांग पर लौटाने वाले उधार		
		1 बैंकों से	1	
		2 अन्य पार्टियों से	2	
		3 मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3	
	ख	संबंधित दलों से उधार	ख	

II	आस्तियां			
	I	गैर तात्कालिक आस्तियां		
		क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर		
		क सकल ब्लॉक	क	
		ख मूल्यहास	ख	
		ग क्षति नुकसान	ग	
		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)		क घ
		ख पूंजीगत कार्य-प्रगति		ख
		ग निवेश सम्पत्ति		
		क सकल ब्लॉक	क	
		ख मूल्यहास	ख	
		ग क्षति नुकसान	ग	
		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)		ग घ
		घ साख		
		क सकल ब्लॉक	क	
		ख क्षति नुकसान	ख	
		ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)		घ ग
		ड. अन्य अमूर्त संपत्ति		
		क सकल ब्लॉक	क	
		ख उधारमुक्ति	ख	
		ग क्षति नुकसान	ग	
		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)		ड.घ
		च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति		च
		छ बाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां		
		क सकल ब्लॉक	क	
		ख क्षति नुकसान	ख	
		ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)		छग
		ज वित्तीय आस्तियां		
		I निवेश		
		i साधारण साम्या लिखत में निवेश		
		क सूचीबद्ध साम्य	iक	
		ख असूचीबद्ध साम्य	iख	
		ग कुल (iक + iख)		iग
		ii वरीयता शेयरों में निवेश		ii
		iii सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii
		iv डिबेंचर या बांड में निवेश		iv
		v म्यूचुअल फंड में निवेश		v
		vi साझेदारी फर्मों में निवेश		vi
		vii साझेदारी फर्मों में निवेश		vii
		viii कुल गैर-मौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)		जा
		II व्यापार स्वीकार योग्य		
		क व्यापार स्वीकार योग्य	क	
		ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख	
		ग संदिग्ध	ग	
		घ कुल व्यापार प्राप्य		जाII
		III उधार		
		i सुरक्षा निक्षेप	i	
		ii संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii	
		iii अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii	
		iv अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))	iv	जाIII
		v जाIII में शामिल उधार, जो कि-		
		क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	vक	
		ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख	

					ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	वग		
			IV	अन्य वित्तीय आस्तियां					
				i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप		i		
				ii	अन्य		ii		
				iii	अन्य वित्तीय आस्तियों का कुल (i + ii)		ज IV		
		झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)					झ	
		ञ	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति						
				i	पूंजीगत अग्रिम		i		
				ii	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		ii		
				iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii		
				iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ञ		
				v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां		v		
			कुल गैर - मौजूदा आस्तियां (कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चF + छग + जाI + जII + जIII + जIV + झ + ज)					1	
	2		वर्तमान आस्ति						
			क	वर्तमान आस्ति					
				i	कच्चा माल		i		
				ii	कार्य प्रगति पर है		ii		
				iii	तैयार माल		iii		
				iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)		iv		
				v	स्टोर और पुर्जों		v		
				vi	हीला टूल		vi		
				vii	अन्य		vii		
				viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		2क		
			ख	वित्तीय आस्तियां					
			I	निवेश					
				i	साम्या लिखत में निवेश				
				क	सूचीबद्ध साम्या		i क		
				ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर		i ख		
				ग	कुल (i क + i ख)		ig		
				ii	वरीयता शेयरों में निवेश		ii		
				iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii		
				iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		iv		
				v	म्यूचुअल फंड में निवेश		v		
				vi	भागीदारी फर्मों में निवेश		vi		
				vii	अन्य निवेश		vii		
				viii	कुल वर्तमान निवेश (ig + ii + iii + iv + v + vi + vii)		I		
			II	व्यापार स्वीकार योग्य					

			i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i			
			ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii			
			iii	संदिग्ध	iii			
			iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)			II	
		III	नकद और नकद समकक्ष					
			i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i			
			ii	उपलब्ध चेक और ड्राफ्ट	ii			
			iii	हाथ में पैसा	iii			
			iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv			
			v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III	
		IV	उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष					IV
		V	उधार					
			i	सुरक्षा निक्षेप	i			
			ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii			
			iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
			iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V	
			v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-				
			क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक			
			ख	व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
			ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग			
		VI	अन्य वित्तीय आस्तियां					VI
			कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)					2ख
		ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)					2ग
		घ	अन्य मौजूदा आस्तियां					
			i	पूजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i			
			ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii			
			iii	कुल			2घ	
			कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)					2
		कुल आस्तियां (1 + 2)						II

भाग क-

विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट		
	क प्रारम्भिक तालिका		
	i कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i	

	ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
	iii	योग (i + ii)			कiii
ख		क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			ख
ग		प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
घ		प्रत्यक्ष कर (घi + घii + घiii)			घ
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
ङ		कारखाना अधिव्यय			
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
	ii	कारखाना किराया और दर	ii		
	iii	कारखाना बीमा	iii		
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
	v	कारखाना साधारण व्यय	v		
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङvii
च		विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii)			1च
2		अंत स्टॉक			
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)			2
3		व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)			3

**भाग क -
व्यापार लेखा**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

व्यापार लेखा में बना	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व			
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			
		i	माल का विक्रय	i	
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii	
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
			क		iiiक
		ख		iiiख	
		ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग	
		iv	योग (i + ii + iiiग)		कiv
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर				
	i	संघ उत्पाद कर	i		
	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v		
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix	
घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5	
6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)			6	
व्यापार लेखा विकलन	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक		7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9	
	i	आवक वहन व्यय	i		

	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
10		क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत		11	
12		कारवार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिनभर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय		12ख	

भाग क – लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ	13		
	14	अन्य आय			
लाभ हानि लेखे में जमा	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	ब्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xiक	
		ख		xiख	
	ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)	14xii		
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)	15		
लाभ और हानि खाते में देय	16	जावक भाडा	16		
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग	17		
	18	विद्युत और ईंधन	18		
	19	किराया	19		
	20	भवन की मरम्मत	20		
	21	मशीनरी की मरम्मत	21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वितन और मजदूरी	22i		

ii	बोनस	22ii		
iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi
xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा			
i	चिकित्सीय बीमा	23i		
ii	जीवन बीमा	23ii		
iii	की-मैन बीमा	23iii		
iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv		
v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24
25	मनोरंजन			25
26	आतिथ्य			26
27	सम्मेलन			27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28
29	विज्ञापन			29
30	कमीशन			
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
ii	अन्य को	ii		
iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व			
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
ii	अन्य को	ii		
iii	योग (i + ii)			31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
ii	अन्य को	ii		
iii	योग (i + ii)			
33	होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35	विदेशी यात्रा व्यय			35
36	प्रवहण व्यय			36
37	टेलीफोन व्यय			37
38	अतिथि गृह व्यय			38
39	क्लब व्यय			39
40	उत्सव समारोह व्यय			40
41	छात्रवृत्ति			41
42	उपहार			42
43	दान			43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			

	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		संपरीक्षा फीस		45	
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		46iii	
47		डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	(i1)		47i(1)		
	(i2)		47ii (2)		
	(i3)		47i(3)		
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))	47iv		47i
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47v		47ii
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47i(1)		47iii
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48		डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		48	
49		अन्य उपबंध		49	
50		ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]		50	
51		ब्याज			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		52	
53		करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)		53	
54		वर्तमान कर के लिए उपबंध		54	
55		आस्थगित कर के लिए उपबंध		55	
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56	
57		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		57	
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58	
59		विनियोग			
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभ/अन्तरिम लाभ/अंश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60		तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)		60	
61		धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना			

क्र. सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	वर्णन	
	माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित की स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				
यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]				61(ii)
टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कड के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है					
लेखाहित मामला	62 ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
	क सकल प्राप्ति/आवर्त				62क
	ख शुद्ध लाभ				62ख

भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू हों।]

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट				
	क	आरम्भिक तालिक			
		I	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)		कiii
	ख	ऋय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ
		i	आवक वहन व्यय	i	
		ii	विद्युत और ईंधन	ii	
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
	ङ	कारखाना उपरिव्यय			
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी		
		ii	कारखाना किराया और दर		
		iii	कारखाना बीमा		
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत		

	V	कारखाना साधारण व्यय			
	Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण			
	Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii
	च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +डvii)			1च
2	अन्त स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
	योग (2i + 2ii)				2
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3

**भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से राजस्व					
	क	विक्रय/कारवार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					
		i	माल का विक्रय	i			
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii			
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क	ख		iiiख		
			ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग		
			iv	योग (i + ii + iiiग)		कiv	
		ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां				ख
		ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
i			संघ उत्पाद शुल्क	i			
ii	सेवा कर		ii				
iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर		iii				
iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)		iv				
v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)		v				
vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)		vi				
vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)		vii				
viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर		viii				
ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)				गix		
घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)				4घ		
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5		
6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv)				6		
व्यापार लेखा में देय	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक				7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9	
	i	आवक वहन व्यय		i			
		विद्युत और ईंधन		ii			
		अन्य प्रत्यक्ष व्यय					
	iii	टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		iii			
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा शुल्क		10i			
		प्रतिरोधी शुल्क		10ii			
विशेष अतिरिक्त शुल्क		10iii					
संघ उत्पाद शुल्क		10iv					
सेवा कर		10v					
मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर		10vi					
केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)		10vii					

	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत		11	
12		लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिन भर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय		12ख	

भाग क – लाभ और हानि भारतीय लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ			13		
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	ब्याज आय	iv			
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix			
		x	कृषि आय	x			
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क		xiक		
		ख		xiख			
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग			
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii		
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)			15			
लाभ और हानि खाता में देय	16	जावक भाड़ा			16		
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17		
	18	विद्युत और ईंधन			18		
	19	किराया			19		
	20	भवन की मरम्मत			20		
	21	मशीनरी की मरम्मत			21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		i	वेतन और मजदूरी	22i			
		ii	बोनस	22ii			
		iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
		v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi				
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x				
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi		

	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी है	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24		कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24
25		मनोरंजन			25
26		आतिथ्य			26
27		सम्मेलन			27
28		विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28
29		विज्ञापन			29
30		कमीशन			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31		स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32		तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33		होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34		विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35		विदेशी यात्रा व्यय			35
36		प्रवहण व्यय			36
37		टेलीफोन व्यय			37
38		अतिथि गृह व्यय			38
39		क्लब व्यय			39
40		उत्सव समारोह व्यय			40
41		छात्रवृत्ति			41
42		उपहार			42
43		दान			43
44		सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45		संपरीक्षा फीस			45
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			

	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	(i1)				47(i1)
	(i2)				47i(2)
	(i3)				47i(3)
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)		47i		
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47iii		
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)			47iv
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48
49	अन्य उपबंध				49
50	व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50
51	व्याज				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			51iii
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)				53
54	वर्तमान कर के लिए उपबंध				54
55	आस्थगित कर के लिए उपबंध				55
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56
57	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष				57
58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58
59	विनियोग				
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)				60
61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी				
	i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
	ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii		
	iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखते	iii		
	iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहित वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv		
	v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
	vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
	vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
	viii	योग			61क
	ख वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				
	i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
	ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखते	ii		
	iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		

	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
	vii	योग			61ख
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)	
		क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
		घ धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
		ङ धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
		ख परफॉर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोधय के रूप में स्वीकार की जाए	5ख
		ग पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
		च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें	
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) (i ख)]	6ख	
	ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) (iii)]	6घ	
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ	
	च किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ अनुमोदित अधिवर्गिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
	झ मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	

ज	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्गिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द	
घ	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)	6घ	
न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)		
	i भारत में अभिनियोजित	i	
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii	
	iii कुल	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क	
ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख	
ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्त्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है	7छ	
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज	
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ	
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग)	7	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच	
छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ	

		ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज		
		कोई अन्य अननुज्ञेय	अज		
		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अज का योग)		8अज	
अ	1	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग अकाउंट पेयी बैंक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9च	
10		किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्निकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10ज	
11		पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्निकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		

	छ रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ	
	ज धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
	क संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख सेवा कर	12ख	
	ग मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
	घ केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ	
	ङ राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ	
	च एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च	
	छ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज कोई अन्य कर	12ज	
	झ अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12 झ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15
16	धारा 14 के अधीन अनुज्ञात व्यय की रकम		16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य ब्यौरे)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टॉक	1
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टॉक	4
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्चा माल	
		क आरंभिक स्टॉक	6 क
		ख पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6 ख
		ग पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6 ग
		घ पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6 घ
		ङ अंतिम स्टॉक	6 ङ
		च प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
		छ प्राप्त का प्रतिशत	6 छ
		ज कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद	
		क आरंभिक स्टॉक	7 क
		ख पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7 ख
		ग पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग
	घ पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7 घ	
	ङ अंतिम स्टॉक	7 ङ	
	च कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च	

भाग क- ओ
एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

1	आरम्भिक अतिशेष			
	i हाथ नकदी	1i		
	ii बैंक	1ii		
	iii कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii		
2	प्राप्तियाँ			
	i ब्याज	2i		
	ii लाभांश	2ii		
	iii आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	2iii क		
	ख	2iii ख		
	ग	2iii ग		
	घ कुल (2iii क + 2iii ख + 2iii ग)	2iii घ		
	iv देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूजीगत/प्रकृति एवं राशि)			
	क	2v क		
	ख	2v ख		
	ग कुल अन्य प्राप्तियाँ (v क + v ख)	2v ग		
	vi कुल प्राप्तियाँ (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi		
3	कुल आरम्भिक अतिशेष और प्राप्तियाँ			3
4	संदाय			
	i प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		
	iv कमीशन	4iv		
	v अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
	क	4v क		
	ख	4v ख		
	ग अन्य संदायों का योग (4v क + 4v ख)	4v ग		
	vi कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi		
5	अंत अतिशेष			
	i हाथ नकदी	5i		
	ii बैंक	5ii		
	iii कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii		
6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)			6

विवरणी प्रारूप की अनुसूचियाँ यथा लागू भ्रं

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)					
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
	I					
	II					
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I			
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II			
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य				1क		
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख				
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		1ग				
घ योग (1ख + 1ग)		1घ				
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है				1ङ		
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च		
छ 1च का 30%		1छ				
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		1ज				
झ योग (1छ + 2ज)				1झ		
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%				1ञ		
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)				1ट		
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)						
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %						
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)		
I						
II						
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)		
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II				
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)				2क		
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		2ख				
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		2ग				
घ योग (2ख + 2ग)		2घ				
ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)				2ङ		
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)				2च		
छ 1च का 30%		2छ				
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		2ज				
झ योग (2छ + 2ज)				2झ		
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%				2ञ		
ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)				2ट		
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*				3	

4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2ख का अंक लें)	4
टिप्पण ▶ यदि धारा 194-अख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है। यदि धारा 194-अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।		

अनुसूची – कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)	1		
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रविट करें)	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविट करें)	2ख		
	3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	3क
			ख	पूंजी अभिलाभ	3ख
			ग	अन्य स्रोत	3ग
			गि	लाभांश आय	3गि
			गii	लाभांश आय के अलावा	3गii
			घ	115खखच के अधीन	3घ
			ङ	115खखछ के अधीन	3ङ
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4क		
	4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4ग			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क		
	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख		
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			
		i		गi	
		ii		गii	
		iii	कुल (गi + गii)	5गiii	
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)	5घ			
6	बकाया (1-2क-2ख-3 क-3ख-3ग-3घ-3ङ-4-5घ)	6			
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	स्वामित्व संपत्ति	7क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	115खखच के अधीन	7घ	
		ङ	115खखछ के अधीन	7ङ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8क			
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-णञ का 16) के अधीन अननज्ञात हैं	8ख			
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8क + 8ख)	9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10			
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण	11			
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i		
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii		
	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii		
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13			

14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7ट)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च)	17	
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11ज)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24	
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29	
30	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद भ4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31	
32	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	32	
33	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	33	
34	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4झ)	34	
35	कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)		35
36	आय (13+26-35)		36
37	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 62(ii) या भारतीय लेखा मानक लाभ और हानि का 64 (ii)	37i	
	ii धारा 44ख	37ii	
	iii धारा 44खख	37iii	
	iv धारा 44खखक	37iv	
	v धारा 44खखख	37v	
	vi धारा 44घ	37vi	
	vii धारा 44घक	37vii	(प्रारूप 3 गड की मद 4)
	viii अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii	(प्रारूप 6 के मद 10 के स्तंभ
	ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	37ix	
	x कुल (37i to 37ix)		37x
38	सट्टे के कारवार से भिन्न, कारवार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37x)		38

39	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रविट करेकं जो 35 में है करने के पश्चात् विशेष-कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद च का 2इ लें) (39क + 39ख + 39ग + 39घ + 39ङ + 39च)	39क	39ख	39ग	39घ	39ङ	39च	अ39
	क नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39क						
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ख						
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ग						
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39घ						
	ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ङ						
	च नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च						
40	वित्त अधिनियम [4ग -(39क+39ख+39ग+39घ+39ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष							40
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना								
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि							41
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन							42
43	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां							43
44	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 xi लें)							44ख
इ विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना								
45	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि							45
46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़							46
47	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)							47
48	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46 - 47)							48
49	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां							49
50	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (48 - 49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविट करें)							इ50
51	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे ससंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (डॉप डाउन मेन्य से चयन करने							इ51
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ44+ इ50)							ई
उ चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा								
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ग की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि	मुजरा पश्चात् बची हुई				
		(1)	(2)	(3) = (1) -				
i	हानि का मजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क39)					
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख44)						
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग50)						
Iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)						
V	कुल हानि मुजरा (ii + iii)							
vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)							

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन					

6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आसूति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण						
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
	8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण						
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)						

13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)						
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)						
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 14 के बाहर)						
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची - डीईपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू हैं)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू हैं)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू हैं)	1ग			
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ			
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू हैं)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू हैं)	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू हैं)	2ग			
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ				
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ		
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		

ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)			6

अनुसूची - इएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती)

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें			

अनुसूची-पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

क	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)	पूंजी अभिलाभ
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरें)
	क	i प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ii स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां
	ग	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत iii पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय iv योग (ख i + ख ii + ख iii)
	घ	तुलन कii - ख iv
	ङ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)
	च	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)
	टिप्पण ▶	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)
		क्र. सं. क्रेता(क्रेताओं) के नाम क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं. शेयर प्रतिशत रकम संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड पिन कोड राज्य
		यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें
2	स्लम्य विक्री से	
	क i नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य ii नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	

3	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	
	ग	स्लम की बिक्री से लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2 खे)		क 2 ग
	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii	
		iv योग(i + ii + iii)	ख iv	
	ग	शे-1 (3 क - ख iv)	3 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ		
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 3 ङ	
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)			
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है		क 4 क
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क 4 ख
5	अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)			
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।	i क	
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
		iii कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
	ग	शे-1 (5 क iii- ख iv)	5 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 5 ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।	i क	
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
		iii कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv	

		ग	शेन (6 क iii - ख iv)	6 ग	
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/श/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ	
		ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ	
		च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटीती	6 च	
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)		क 6छ

7		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं			
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटीती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं
	i	2018-19	54घ/54छ/54छव 7	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)			

8		अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)		
क	15% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8क	
ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8ख	
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8ग	

9		एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:							
क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या प्राप्ति है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डीटीएए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								

10		कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ + क4 क+ क4 ख+ क5 ङ + क6 छ + क7 + क 8 - क9क)		क 10
----	--	--	--	---------

ख		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)	
1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्योरे पृथक रूप से भरें)	
क	i	प्राप्त/प्राच्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कं
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) लें)	कiii
ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां		
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i
	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii
	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय		ख iii

	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेन (क iii - ख iv)	1 ग	
घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ / 54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	ख 1 ड	
च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्योरे दें (कृपया टिप्पण दें)		
	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैना / आधार नं.
			शेयर प्रतिशत
			रकम
			संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड
			पिन कोड
			राज्य
टिप्पण	यदि कर धारा 194इक के अधीन काटा गया है तो पैना/ आधार नं देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।		

2	स्लम्य विक्री से		
क	i नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi	
	ii नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii	
	iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii	
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	
ग	शेन (2कiii - 2 ख)	2 ग	
घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती	2 घ	
ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)	ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)		
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क - 3 ख iv)	ख 3 ग	
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किस्ती यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।		
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)	ख 4 ग	
5	किस्ती कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किस्ती कारवार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
	उपरोक्त ख 5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	ख 5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)		
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ	ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्वभ 8 बरा जाएगा)		
क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-		
	क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का	i क	
	ख विहित सीते से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
	ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
	iii कुल (i ग + ii)	क iii	

	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii								
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv								
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)		ख 7 ग							
8		अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है									
		उपरोक्त ख 8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का		ख 8							
9		आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं									
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-									
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का									
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य									
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग								
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा									
		iii कुल (ग + ii)	क								
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख								
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv								
	ग	शे-1 (9 क iii - ख iv)		7 ग							
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54जक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)		7 घ							
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9 ग - 9घ)		ख 9 ङ							
10		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-1 के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस व-1 के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व व-1 में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस व-1 में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है व-1 जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
	i	2018-19	54घ/54छ/54जक								
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)				ख 10					
11		दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)				ख 11					
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख 11क1					
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख 11क2					
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास शून्य आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य				ख 11ख					
12		एलटीसीजी की रकम जो ख 1- ख 11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख 12क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि									ख 12ख
13		कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख 9ङ + ख 10 + ख 11 - ख 12क) (यदि क्षति हो तो ख 3 को शून्य के रूप में लें)									ख 13

ग	“पूँजी अभिलाम” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)		ग	
घ	पूँजी अभिलाम के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी			
1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।			
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूँजी अभिलाम योजना में जमा राशि	क iv	
	v	दावाकृत कटौती की राशि	क v	
	ख	धारा 54 ङ ग के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv	
	ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई अस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाम खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv	
	v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v	
	घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii	
	iii	एसईजेड में नई अस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाम खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv	
	v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v	
	ङ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)		
			1 ङ	

पूँजी अभिलाम चालू वर्ष की पूँजी हानि को चालू वर्ष के पूँजी अभिलाम के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत

क्र. सं.	पूँजी अभिलाम का प्रकार	चालू वर्ष की पूँजी हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूँजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूँजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूँजी अभिलाम 7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4	5	6		7	
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*		(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख	
ii	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)								
iii	लघु अवधि पूँजी अभिलाम	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv	लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)								
v	डीटीएए	अ9ख*								

vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)							
vii		20%	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड*+							
viii		डीटीए	आ12ख							
ix	मुजर्राई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजर्राई के बाद शेष हानि (i – ix)									

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

च पूंजी अभिलाम के उद्भूत/प्राप्ति के वि-य में सूचना

	पूंजी अभिलाम का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाम					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाम					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाम					
4	अनुसूची वीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई है					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई है					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई है					
7	डीटीए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5xii से मूल्य भरें, यदि कोई है					

अनुसूची 112ए		कंपनी अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट में इक्विटी शेयर की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एलटीटी अदा किया गया है												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईए न कोड	शेयर / यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिट की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर / यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर 31.01.201 8 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन अथवा अग्रहण की लागत (8 अथवा 9 का उच्चतर)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी - निम्न	31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत परिसम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	अंतरण के संबंध में पूर्णतया अथवा विशेष रूप से व्यय	कुल कटीति यां (7+12)	शेष (6-13)- आईटीआर 6 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 5
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियाँ जोड़े														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)		एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विज्ञान ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिनपर धारा 112 क के अन्तर्गत एसटीटी अदा किया गया है।												
क्र स	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 का उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घनिधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 कग के अनुसार मुंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियां 3 7	शेष(6-13) - आईटम्स 8 का एलटीसीजी शेड्यूल का आईटीआर 6
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)													1	
	क लाभांश, सकल													1क	
	i धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय													का	
	ii (i) के अलावा लाभांश आय													काii	
	ख व्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv)													1ख	
	i बचत बैंक खाता													खi	
	ii जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)													खii	
	iii आय कर प्रतिदाय से													खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में													खiv	
	v अन्य													खv	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय													1ग	
	घ धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)													1घ	
	I प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य													घi	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य													घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य													घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य													घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य													घv	
	ङ कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें														
	क्रम सं	प्रकृति											राशि		
	1														
लाइन जोड़े															
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1)													2	
	क तादरी वर्ग पहली इत्यादि की जीत के रूप में आय													2क	
	ख धारा 115खघ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)													2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़													खi	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान													खii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि													खiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि													खiv	
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि													खv	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम													खvi	

3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों)							
	क	व्यय/ कटौतियाँ “ग” में इंद्रराज के अलावा	3क					
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)	3ख					
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर व्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्रराज	3ग					
	गं	धारा 57(i) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि	3गं					
घ	योग	3घ						
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम						4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						5	
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद -3+4+5) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3x में अंकों को रखें)						6	
7	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2+6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	धुड़ दौड़ के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय।							
	क	प्राप्तियाँ	8क					
	ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11xv के अंक प्रविष्टि करें)	8ङ					
9	“अन्य स्रोतों से आय” शर्तों के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से आय की प्रोम्प्टन/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
	क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1		धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियों, दौड़, खेलों, घुत, शर्तों इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय						
2		क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3		धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
4		धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5		धारा 115खखघ के तहत 15% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
6		धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7		धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
8		डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सीवाईएलए चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जाती है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी की मद च का 2)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3)				
v	सट्टे से आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	दौड़ के घोड़ों का सौमित्र रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8ड)				
xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बीएफएलए पूर्व वॉ की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			

xvii	भावी वर्गों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xii-xiii+xvi)								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची -अनामेहित अवक्षयण

धारा 35(4) के अधीन अनामेहित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रनीत अनामेहित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1 रकम	अग्रनीत अनामेहित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक

धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्र० सं०	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	रकम	
	क	उपक्रम सं० 1		क (उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ख	उपक्रम सं० 2		ख (उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)			ग

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैस	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i							

	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरें [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
		नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	योग				

अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुजजीवन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
घ	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)				घ	

अनुसूची 80 झख		धारा 80-झख के अधीन कटौती		
क	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती [धारा80झख(8क)]	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ङ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
च	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
छ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से च 2 का योग)			छ

अनुसूची-80-झग या 80-झङ		धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां		
क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घछ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)			घज
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)			ङ

अनुसूची-VI- क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां		
1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती			
क	80छ	ख	80छख	
ग	80छक	घ	80छग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)				1
2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती			
ङ	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख
छ	80झकग		ज	80झकख (अनुसूची 80झख का ण)

कुल कटौतियां

झ	80झखक		ञ	80झग/ झड.	(अनुसूची 80-झग/80-झड का झ.)	
ट	80जजकक		ठ	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलप्रक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II)	
ड	80टक(1)	(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)	ढ	80टक(1क)	(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)	
ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभार्थ वितरण का विवरण		त	80तक		
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)					2
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)					3

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसडीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनितों की बिक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसडीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग x)	
13ख	धारा 115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभार्थ पर आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, बर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115खखघ (विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभार्थ)	☐	15	(अनुसूची - ओएस का भाग 2ग xi)	
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xix)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग xvii)	
19	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग xviii)	
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य सत्रों से आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2ड का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास रूँ आय	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का 5vi का भाग)	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास रूँ आय	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का 5vii का भाग)	
23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास रूँ आय	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi का भाग)	
25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभाय अन्य सत्रों की प्रकृति की पास रूँ आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनितों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग x)	

28	रायल्टी से आय जहाँ 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहाँ करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।	<input type="checkbox"/>	50	(अनुसूची ओएस का 2ग xix)
29	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभावी होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2ग का भाग)
			योग	

अनुसूची झ च अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है								
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैना	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हाँ/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92ड लागू होती है? (हाँ/नहीं)	संस्था के लाभ में शयर प्रतिशत	लाभ का शयर राशि I	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष ii
1									
2									
3									
4	कुल								

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के व्योरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभावी नहीं है।)

1	व्याज से आय							1
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)					i	
	ii	कृषि पर उपगत व्यय					ii	
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि					iii	
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी.के क्रम सं. 40 से)					iv	
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					2	
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित व्योरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से व्योरा दीजिए)						
	क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है						
	ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम						
	ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
	घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ)							3
	क	धारा 10(23चख), 10(23चखक), 10(23चग), 10(23चगक), 10(23चड), 10(23चच), 10(4घ) के तहत ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।					3क	
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।					3ख	
4	डीटीए के अनुसार आय जो कर से प्रभावी नहीं है							
	क्र.सं.	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)	
	I							
	II							
	III	डीटीए से कुल आय जो कर से प्रभावी नहीं है					4	
5	पास थू आय जो कर से प्रभावी नहीं है (अनुसूची पीटीआई)							5
6	योग (1+2+3क+3ख+4+5)							6

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्योरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में निवेशित	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112			
					खाii	धारा 112A			
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
					अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा.....के अधीन			
ग	धारा.....के अधीन								
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112क			
					खाii	धारा 112क से भिन्न			
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
					अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा.....के अधीन			
ग	धारा.....के अधीन								

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एमएटी		धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविट करें) / (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफवीटी से भिन्न)	5क

	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख	
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
	घ समनुंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
	ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
	च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च	
	छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ	
	ज धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज	
	झ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ	
	ञ 115खख के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बावत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ	
	ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट	
	ठ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ	
	ड अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड	
	ढ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ +5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड)		5ढ
6	कटौतियां		
	क आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क	
	ख धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख	
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग	
	घ एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ	
	ङ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ	
	च धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च	
	छ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर हानि	6छ	
	ज धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज	
	झ अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो।	6झ	
	ञ रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ	
	ट अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट	
	ठ कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ +6ज+6झ+6ञ+ 6ट)		6ठ
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ)		7

8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें।	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ	
	क शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के	8क

	विवरण में अन्य व्यापक आय		
ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख	
ग	धारा 115जख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग	
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
ख. धारा 115जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
च	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
ज	धारा 115जख(2ग)में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9	धारा 115जख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
क	धारा 115जख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क	
ख	धारा 115जख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अलावा समायोजित कुल आय	9ख	
10	धारा 115जख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2022-23 में धारा 115जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1				
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2				
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]	3				
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशे- (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2008-09					
ii	2009-10					
iii	2010-11					
iv	2011-12					
v	2012-13					
vi	2013-14					
vii	2014-15					
viii	2015-16					
ix	2016-17					
x	2017-18					
Xi	2018-19					
Xii	2019-20					
Xiii	2020-21					
Xiv	2021-22					
xv	2022-23 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है]					

	xvi	योग			
5	वर्षा के दौरान उपयोग की गई धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रवि-ट करें]				5
6	पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xvi प्रवि-ट करें]				6

**अनुसूची-
बीबीएस**

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम					
3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम					
4	कंपनी की वितरित आय (2-3)					
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क			
		ख	क पर अधिभार			
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर			
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)			
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज					
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)					
8	संदत्त कर और ब्याज					
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)					
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम					
12	बीएसआर कोड					
13	चालान की क्रम संख्या					
14	जमा रकम					

अनुसूची टीपीएसए		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण						
धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त ति. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर					
		ख	क पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर					
		घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर					
	3	अदा किए गए कर						
	4	(2घ-3) देय निवल कर						
	5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1 (दिन/माह/वर्ष)	दिनांक 2 (दिन/माह/वर्ष)	दिनांक 3 (दिन/माह/वर्ष)	दिनांक 4 (दिन/माह/वर्ष)	दिनांक 5 (दिन/माह/वर्ष)	दिनांक 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक तथा शाखा का नाम						
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम सं.							
9	जमा की राशि							

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)							
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)					
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)		
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)
1			योग				
			देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)			2	
			देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)			3	
			क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण			4	हां/नहीं
			क	प्रतिदेय कर की रकम	ख	वह निर्धारित वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था	
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें					

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा [प्रणाली को टिप्पणी: कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) वित्त वर्ष के बजाय (अप्रैल से मार्च)]

अ1	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
अ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

	और कोड		प्रकृति	सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी		(लागत पर) (रु. में)	आय		राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ड सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(i)												
(ii)												
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।												
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(i)												
(ii)												

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आसति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आसति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1 असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कंपनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-									
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा									
शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन घनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत
--------------	----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

ऐसे शेयर धारक का ब्योरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था											
शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

अनुसूची एसएच-2 स्टार्ट-अप की शेयर धृति
 यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यारे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्योरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्राथमिक
------------------	--	----------------	--------------	----------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन घनराशि का ब्योरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन घनराशि	शेयर आवेदन प्राथमिक
--------------	--	----------------	--------------	----------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------

ऐसे शेयर धारक का ब्योरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में
------------------	--	----------------	--------------	----------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--	-------------------	---

टिप्पण पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

अनुसूची ए.एल-1 वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यारे

क	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यारे											
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)					
(i)												
(ii)												
ख	घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यारे											
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)					
(i)												
ग	सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्योरा											
शेयरों की संख्या	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष		
	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्योरा											
कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
		शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यारे											

प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
		प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेषर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे												
अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	अंत अतिशेष						
छ किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सार्वजनिक कारवार नहीं है)												
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					
ज मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे												
आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)								
झ आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा												
आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)								
ञ दायित्वों के ब्यौरे												
वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे												
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची ए.एल-2 वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-							
क निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)							
(ii)							
ख निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)							
ग निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सार्वजनिक कारवार नहीं है)							
व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ निगमन से अन्य अस्तित्व को लिए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ शेषों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
अस्तित्व का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
छ निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
अस्तित्व का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
अस्तित्व का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ दायित्वों के ब्यौरे							
वितीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ▶ कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

अनुसूची एफ.डी

विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

क्रम सं.		रकम (रुपयों में)
i	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
iii	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

क्र.सं.	विवरण	1
1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
कुल आय	i सटटे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क39) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	2i
	ii सटटे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii
	iii विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़े लें)	2iii

	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3 तथा 3ड और 4ख)	2iv	
	V	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)		2v
3	पूँजी अभिलाभ			
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	का	
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii	
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii	
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	काiv	
	v	कुल अल्पकालिक (का + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविट करे)	3कv	
	ख	दीर्घकालिक		
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खा	
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खाii	
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खाiii	
	iv	कुल दीर्घकालिक (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)	खाiv	
	ग	कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कv + 3खाiv) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)		3ग
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)	4क	
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख	
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)	4ग	
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)		4घ
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2v + 3ग + 4घ)			
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)			
7	चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)			
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv)तक का योग + 4ख + 2iv)			
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर			
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख /अनुसूची VIक का 1 तथा बीएफएलए के i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित)		11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची VIक का 2)		11ख
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)		11ग
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)			
13	कुल आय (9- 11ग -12)			
14	विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग			
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			
16	शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)			
17	चालू वर्ग की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xv) का योग			
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			

भाग ख - कुल आय पर कर

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख
		ग	ऊपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ
	2	कुल आय पर संदेय कर		
	क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क	

	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख			
	ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर			2ग	
	घ	अधिभार				
	i	एस.आई अनुसूची 16 का 25%	2घi			
	ii	एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग)	2घii			
	iii	कुल (i + ii)			2घiii	
	ड	(2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			2ड	
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ड)			2च	
	3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें)			3	
	4	पूर्ववर्ग में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)			4	
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]			5		
6	कर अनुत्तो- क धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क				
	ख धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख				
	ग कुल (6क + 6ख)			6ग		
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करें)			7		
8	संदेय ब्याज और फीस क विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क				
	ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख				
	ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग				
	घ आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च)	8घ				
	ड कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)			8ड		
9	सकल दायित्व (7 + 8ड)			9		
देय कर	10	संदत्त कर क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क			
		ख टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख			
		ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग			
		घ स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ			
		ड कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)			10ड	
	11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करें)			11	
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)			12	
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खातों वाले प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)				
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)				
		क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं)
	i					
	ii					
	नोट:	1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए 2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा				
	(ख)	अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं				
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.बी.ए.एन
		यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है				
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में विलीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी खोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				
		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
15	अनुसूची-आयकर					
	क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				

क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
कर संदाय	I			
	ii			
	iii			
	iv			
	v			
	vi			

टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें।

ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]											
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/आधार सं.	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	तदनुसूची रसीद/आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रणीत किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय				
(1)	(2)	(3)	(4)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	(13)
i							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैन/आधार सं.			

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख -टीटीआई के स्तंभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्त वर्ष का टीसीएस(वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संग्रहित टीसीएस)	इस वर्ष दावा की जा रही (5) अथवा (6) में से राशि (तभी यदि इस वर्ष कर के लिए तदनुसूची रसीद प्रस्तुत की जा रही है।	अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम	
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहित किया गया	अग्रणीत रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i								
ii								

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग भरें

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)।

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

फार्म आईटीआर -V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म [जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलैक्ट्रॉनिक	निर्धारण वर्ष 2022-23
-----------------	---	--------------------------

रूप से सत्यापित नहीं किए गए]			
(कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)			
नाम			
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या	
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
<p>मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है।</p>			
हस्ताक्षर →			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आईपी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
<p>अनुदेश:</p> <p>कृपया विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आईटीआर-V को केवल साधारण डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरु-560500 को भेजें। वैकल्पिक रूप से आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके अथवा नेट बैंकिंग लॉगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ईवीसी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं।</p> <p>आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।</p> <p>सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।</p>			
1.			

भारतीय आयकर विवरणी पावती			निर्धारण वर्ष
[जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए]			2022-23
(कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)			
स्थायी खाता संख्या			
नाम			
पता			
स्थिति		फार्म संख्या	
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
कर योग्य आय तथा कर व्यय	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	1	
	कुल आय		
	मैट के अंतर्गत बुक प्रोफिट, जहां लागू हो	2	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	3	
	देय निवल कर	4	
	देय ब्याज तथा फीस	5	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	6	
	अदा किया गया कर	7	
(+)+देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (6-7)	8		
क्र. नं.	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	9	

धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	10	
धारा 115नड के अंतर्गत देय ब्याज	11	
देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	12	
अदा किया गया कर तथा ब्याज	13	
(+)देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (12-13)	14	
दिनांक..... को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणीआईटी पते से द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को..... पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का प्रयोग करकेमोड के माध्यम से सृजित किया गया।		
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड		

* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सीपीसी, बैंगलूरु को नहीं भेजे .”

[अधिसूचना सं. 21/2022 फा. सं. 370142/8/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 229(अ) तारीख 29.03.2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

G.S.R 231(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (fourth Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2022.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12,—
(a) in sub-rule (1), in the opening portion, for the figure “2021”, the figure “2022” shall be substituted;
(b) in sub-rule (5), for the figure “2020”, the figure “2021” shall be substituted.
3. In the principal rules, in Appendix-II, for Forms SAHAJ ITR-1, ITR-2, ITR-3, SUGAM ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-V and ITR- Ack, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

FORM ITR-1 SAHAJ	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year
	<p>[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh, having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.), and agricultural income upto Rs.5 thousand]</p> <p>[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted u/s 194N or if income-tax is deferred on ESOP]</p> <p><i>(Refer instructions for eligibility)</i></p>	2022 - 23

PART A GENERAL INFORMATION														
(A1) PAN	(A2) First Name				(A4) Date of Birth			(A5) Aadhaar Number (12 digits)/Aadhaar Enrolment Id (28 digits) (If eligible for Aadhaar No.)						
	(A2a) Middle Name				(A3) Last name									
(A6) Mobile No.		(A7) Email Address				Address: (A8) Flat/Door/Block No. (A9) Name of Premises/Building/Village (A10) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11) Town/City/District (A12) State (A13) Country (A14) PIN code								
(A15) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-Belated, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay.				(A16) Nature of employment- <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)								
(A17) Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148,												
(A18) If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)														
(A19) If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148 or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order														
(A20) Are you opting for new tax regime u/s 115BAC? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No														

(A21) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information: [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]	
(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

PART B GROSS TOTAL INCOME					
Whole - Rupee(₹) only					
SALARY / PENSION	B1 i	Gross Salary (ia + ib + ic + id + ie)		i	
		a	Salary as per section 17(1)	ia	
		b	Value of perquisites as per section 17(2)	ib	
		c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic	
		d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Please choose from drop down menu)	id	
		e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	ie	
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 ((Please choose from drop down menu)) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))		ii	
	iii	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		iii	
	iii	Net Salary (i – ii - iii)		iii	
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)		iv	
		a	Standard deduction u/s 16(ia)	iva	
		b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb	
		c	Professional tax u/s 16(iii)	ivc	
v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)		B1		
B2	Tick applicable option <input type="checkbox"/> Self-Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out				
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year		i	
	ii	Tax paid to local authorities	ii		
	iii	Annual Value (i – ii)		iii	
	iv	30% of Annual Value	iv		
	v	Interest payable on borrowed capital		v	
	vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		vi	
	vii	Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2		B2	
B3	Income from Other Sources (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided specifying nature of income and in case of dividend income and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)			B3	
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)				
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A				
B4	Gross Total Income (B1+B2+B3) (If loss, put the figure in negative) Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B4	
PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)					

80C	80CCC	80CCD(1)	80CCD(1B)	80CCD(2)	80D (Please choose from drop down menu)	80DD (Please choose from drop down menu)	80DDB (Please choose from drop down menu)	80E	80EE
80EEA	80EEB	80G (Please choose from drop down menu)	80GG	80GGA (Please choose from drop down menu)	80GGC	80TTA	80TTB	80U (Please choose from drop down menu)	
Total deductions					C1	Total Income (B4-C1)		C2	
Exempt Income: For reporting purpose				(Please choose from drop down menu)					

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE							
D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C
D10	Fee u/s 234F		D11 Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)				
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)
PART E – OTHER INFORMATION							
Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)							
Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank			Account Number		Select Account for Refund Credit
1							
1. Minimum one account should be selected for refund credit.							
2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return.							

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments												
BSR Code			Date of Deposit (DD/MM/YYYY)			Serial Number of Challan			Tax paid			
Col (1)			Col (2)			Col (3)			Col (4)			
R1												
R2												
Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]												
	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant			Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection			Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year		
	Col (2)	Col (3)			Col (4)			Col (5)	Col (6)	Col (7)		
T 1												
T 2												

VERIFICATION

Stamp Receipt No.,
Seal, Date & Sign of
Receiving Official

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (Please choose from drop down menu) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (Please see instruction).

Date:

Signature:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:												
Identification No. of TRP						Name of TRP			Counter Signature of TRP			
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof												

FORM	ITR-2	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year				
		[For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	2	0	2	2	-

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) First name		(A2) Middle name		(A3) Last name		(A4) PAN					
	(A6) Flat/Door/Block No.			(A7) Name of Premises/Building/Village			(A5) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF					
	(A8) Road/Street/Post Office			(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)								
	(A9) Area/locality			(A15) Aadhaar Number (12 digit) / Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)								
	(A10) Town/City/District			(A11) State			(A13) PIN code/ZIP code					
				(A12) Country								
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1				(A17) Mobile No. 2							
	(A18) Email Address-1 (self)						(A19) Email Address-2					
	(A20) (a1i) Filed u/s (Tick)[Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-After condonation of delay.									
	(a1ii) Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148									
(a2) Are you opting for new tax regime u/s 115BAC? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(b) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(b) If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]												
(bi) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)										
(bii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)										
(biii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)										
(biv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)		(Tick) o Yes o No										
(c) If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /										
(d) If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148 or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement		(Unique Number)			/ /							
(e) Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)		A. Resident		<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]								
				<input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]								
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)]								
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]								
		B. Resident but not Ordinarily Resident		<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]								
				<input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]								
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)]								
FILING STATUS												

		<input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]	
	C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -	
		S.No.	Jurisdiction(s) of residence
		1	
		2	
		(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -	
		Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)
	Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	D. <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident	
(f)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
(g)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)		
(h)	Whether this return is being filed by a Representative Assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -		
	(1)	Name of the Representative	
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)	
	(3)	Address of the Representative	
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the Representative	
(i)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -		
	Name of Company	Type of company	PAN
		(Drop down to be provided)	
		Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)

(j)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
		(Drop down to be provided)		No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary															
SALARIES	Name of Employer			Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> (drop down to be provided)						TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)							
	Address of employer			Town/City			State			PIN code/ ZIP code							
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)										1					
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)								1a							
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)								1b							
c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)								1c								
d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)								1d								

e	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"	1e		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)			
2	Total Gross Salary (from all employers)		2	
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (Please choose from drop down menu) (please refer instructions) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)		3	
3(a)	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A			
4	Net Salary (2 – 3 – 3a)		4	
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)		5	
	A Standard deduction u/s 16(ia)	5a		
	B Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b		
	C Professional tax u/s 16(iii)	5c		
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)		6	

Schedule HP		Details Of Income From House Property (Please Refer Instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)				
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	PIN Code/ ZIP Code	
		Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)				
		Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>				
		Name of Co-owner(s)	PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)	Percentage Share in Property		
		I				
		II				
		/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
			I			
			II			
		a	Gross rent received or receivable or lettable value			1a
		b	The amount of rent which cannot be realized	1b		
		c	Tax paid to local authorities	1c		
		d	Total (1b + 1c)	1d		
		e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)			1e
		f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			1f
		g	30% of 1f	1g		
		h	Interest payable on borrowed capital	1h		
		i	Total (1g + 1h)			1i
		j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			1j
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)			1k	
	2	Address of property 2	Town/ City	State	PIN Code/ ZIP Code	
		Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)				
		Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>				
		Name of Co-owner(s)	PAN/ Aadhaar No. of Co-owner(s)	Percentage Share in Property		
		I				
		II				
		/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
			I			
			II			

	a	Gross rent received/ receivable/ lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)	2a	
	b	The amount of rent which cannot be realized	2b	
	c	Tax paid to local authorities	2c	
	d	Total (2b + 2c)	2d	
	e	Annual value (2a – 2d)	2e	
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)	2f	
	g	30% of 2f	2g	
	h	Interest payable on borrowed capital	2h	
	i	Total (2g + 2h)	2i	
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	2j	
	k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)	2k	
3	Pass through income/loss if any *	3		
4	Income under the head “Income from House Property” (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	4		
NOTE	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.			
NOTE	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule CG Capital Gains

CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)								
		1		From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)						
		a	i	Full value of consideration received/receivable				ai		
			ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii		
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii		
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation				bi		
			ii	Cost of Improvement without indexation				bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii		
			iv	Total (bi + bii + biii)				biv		
		c	Balance (aiii – biv)						1c	
		d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)						1d	
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							A1e
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State
	NOTE ► Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
2		From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)								
a	Full value of consideration						2a			
b	Deductions under section 48									
	i	Cost of acquisition without indexation				bi				
	ii	Cost of Improvement without indexation				bii				
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
	iv	Total (i + ii + iii)				biv				
c	Balance (2a – biv)						2c			

	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	2d	
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c +2d)		A2e
3		For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)		
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid		A3a
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid		A3b
4		For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD		
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	Ia	
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	Ib	
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	Ic	
		ii Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
		iii Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48		
		i Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii Cost of improvement without indexation	bii	
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv Total (i + ii + iii)	biv	
	c	Balance (4aiii – biv)	4c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8) - for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	4d	
	e	Short-term capital gain on sale of securities by an FII (other than those at A2) (4c +4d)		A4e
5		From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above		
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii	
		iii Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48		
		i Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii Cost of Improvement without indexation	bii	
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv Total (i + ii + iii)	biv	
	c	Balance (5aiii – biv)	5c	
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	5d	
	e	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above (5c + 5d)		A5e
6		Amount deemed to be short term capital gains		

a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below										
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (x)					
		Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account								
	i	2019-20	54B								
	b Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'										
	Total amount deemed to be short term capital gains (axi + b)										
	7 Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7a + A7b + A7c)										
	a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%								A7a	
	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%								A7b	
	c	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates								A7c	
8 Amount of STCG included in A1 – A7 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate /lower of (6) or (9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I											
II											
a Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA											
b Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA											
9 Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a)											
B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 5, 6, 7 & 8 are not applicable for residents)											
1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)											
Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY					Date of sale/transfer DD/MM/YYYY						
a	i	Full value of consideration received/receivable							ai		
	ii	Value of property as per stamp valuation authority							a ii		
	iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a ii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a ii)]							a iii		
b Deductions under section 48											
I	Cost of acquisition							bi			
IIa	Cost of acquisition with indexation							Biia			
IIb	Total cost of improvement with indexation							Biib			
	(a) Cost of improvement										
	(b) Year of Improvement										
	(c) Cost of Improvement with indexation										
Add row											
III	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii			
IV	Total (biia + biib + biii)							Biv			
c Balance (a iii – biv)											
d Deduction under section 54/54B/54EC/54F/54GB (Specify details in item D below)											
e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)											
F In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)											
S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code		Pin code	State			

	NOTE ►	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.		
2	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)			
	a	Full value of consideration	2a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (2a – biv)	2c	
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	2d	
	e	LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)		B2e
3	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA			
	a	Full value of consideration	3a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (3a – biv)	3c	
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	3d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d)		B3e
4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A			
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)	4a	
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	4b	
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 above (4a – 4b)		B4c
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)			
	a	LTCG computed without indexation benefit	5a	
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5b	
	c	LTCG on share or debenture (5a-5b)		B5c
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)			
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii

		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (6aiii – biv)		6c		
	d	Deduction under sections 154F (Specify details in item D below)		6d		
	e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)				B6e
7	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii))		7a		
	b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)		7b		
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 above (7a – 7b)				B7c
8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)		8a		
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8b		
	c	Balance LTCG on sale of specified asset (8a – 8b)				B8c
	d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)		8d		
	e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8e		
	f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (8d- 8e)				B8f
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable					

a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia	
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib	
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of		ic	

	ii	Full value of consideration in respect of assets other than		aii	
	iii	Total (ic + ii)		aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition with indexation	bi	
		ii	Cost of improvement with indexation	bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with	biii	
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	
	c	Balance (9aiii – biv)		9c	
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		9d	
	E	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c – 9d)		B9e	

10 Amount deemed to be long-term capital gains		
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below	
	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> (If yes, then provide the details below)	

Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (x)
i	2018-19	54/54F/ 54GB			
ii	2019-20	54B			
b Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'					
Total amount deemed to be long-term capital gains (axi + axii + b)					B10
11 Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain (Fill up schedule PTI) (B11a1+ B11a2 + B11b)					B11
a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A				B11 a1
a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than u/s 112A				B11 a2
B	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%				B11b

12 Amount of LTCG included in B1- B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
a Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA									B12a	
b Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA									B12b	
13 Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e+B2e+B3e+B4c+B5c+B6e+B7c+B8c+B8f+B9e+B10 + B11 - B12a)									B13	
C Income chargeable under the head "Capital Gains" (A9 + B13) (take B13 as nil, if loss)									C	
D Information about deduction claimed against Capital Gains										
1 In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/54GB/115F give following details										
a Deduction claimed u/s 54										
i	Date of transfer of original asset				Ai	dd/mm/yyyy				
ii	Cost of new residential house				aii					
iii	Date of purchase/construction of new residential house				aiii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				aiv					
v	Amount of deduction claimed				Av					
b Deduction claimed u/s 54B										
i	Date of transfer of original asset				Bi	dd/mm/yyyy				
ii	Cost of new agricultural land				bii					
iii	Date of purchase of new agricultural land				biii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				biv					
v	Amount of deduction claimed				Bv					
c Deduction claimed u/s 54EC										
i	Date of transfer of original asset				Ci	dd/mm/yyyy				

	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	Cii	
	iii	Date of investment	Ciii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	civ	
d	Deduction claimed u/s 54F			
	i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy
	ii	Cost of new residential house	dii	
	iii	Date of purchase/construction of new residential house	diii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div	
	v	Amount of deduction claimed	dv	
e	Deduction claimed u/s 54GB			
	i	Date of transfer of original residential property	ei	dd/mm/yyyy
	ii	PAN of the eligible company	eii	
	iii	Amount utilised for subscription of equity shares of eligible company	eiii	
	iv	Date of subscription of shares	eiv	dd/mm/yyyy
	v	Cost of new plant and machinery purchased by the eligible company	ev	
	vi	Date of purchase of plant and machinery	evi	dd/mm/yyyy
	vii	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	evii	
	viii	Amount of deduction claimed	eviii	
f	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)			
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset	fi	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	fii	
	iii	Date of investment	fiii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	fiv	
g	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)		1g	

Schedule OS Income from Other Sources

OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1	
	a	Dividends, Gross (ai+aii)				1a	
		i	Dividend income other than (ii)	ai			
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii			
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+ bv+bvi+bvii+bviii+bix)				1b	
		i	From Savings Bank	bi			
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)	bii			
		iii	From Income-tax Refund	biii			
		iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv			
		v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv			
		vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi			
		vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii			
		viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii			
		ix	Others	bix			
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross				1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)				1d	
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di			
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii			
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration stamp duty value of property in excess of such consideration	diii			
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div			
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv				
e	Any other income (please specify nature)				1e		
Sl. No.	Nature					Amount	
1	Family Pension						
2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)						
3	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A						
	Rows can be added as required						
2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)				2		
a	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB				2a		
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)				2b		
	i	Cash credits u/s 68	bi				
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii				
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii				
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv				
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv				
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi				
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111				2c		
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)			
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)				2d		
	i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	di				
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii				
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(ia)	diii				

	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	div									
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv									
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi									
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii									
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii									
	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix									
	x	Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx									
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxii									
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxiii									
	Xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiv									
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxv									
	xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxvi									
	Xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%	dxvii									
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	Dxviii									
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	d xix									
	xix	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	dxix									
	xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxix									
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)										2e	
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)										2f	
	Sl. No.	Amount of income	Item No.1 ai, 1b to 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (12)		
	I											
	II											
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)											
	ai	Expenses / Deductions other than "aii" (in case other than family pension)					3ai					
	aii	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1A)					3aii					
	aiia	Eligible Interest expenditure u/s 57(i) - Computed Amount					3aiia					
	aiii	Deduction u/s. 57(iia) (in case of family pension only)					3aiii					
	B	Depreciation (available only if income offered in 1c of Schedule OS)					3b					
	c	Total					3c					
4	Amounts not deductible u/s 58										4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A										5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) - 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA)										6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses											

	a	Receipts	8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58	8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59	8d					
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xii of Schedule CFL)					8e	
9	Income under the head "Income from Other Sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)							9
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
	2	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
	3	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	4	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						
	5	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	7	Dividend income chargeable at DTAA Rates						
	8	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)						

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA Details of Income after Set off of Current Year Losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(4 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
	iii	House property	(4 of Schedule HP)			
	iv	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)			
	vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)			
	vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)			
	viii	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)			
	ix	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)			
	x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)			

xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)		
xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)		
xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+xi+xii)			
xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)			

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off		Current year's income remaining after set off
			3		
			1	2	
i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)			
ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)		
iii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
vii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)		
viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)		
ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)		
x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4xi of schedule CYLA)			
xi	Profit from owning and maintaining race horses	(4xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)		
xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)				
xiii	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)				

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses						
						1	2	3	4	5	6
						i					
ii	2014-15										
iii	2015-16										
iv	2016-17										
v	2017-18										
vi	2018-19										
vii	2019-20										
viii	2020-21										
ix	2021-22										
ix	Total of earlier year losses										
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)			(2xi of Schedule BFLA)					
xi	2022-23 (Current year losses)		(2xiv of Schedule CYLA)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)					
xii	Total loss carried forward to future years										

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

Part B- Deduction in respect of certain payments	
a	80C
b	80CCC
c	80CCD(1)
d	80CCD(1B)
e	80CCD(2)
f	80D
g	80DD
h	80DDDB
i	80E
j	80EE
k	80EEA
l	80EEB
m	80G
n	80GG
o	80GGA
p	80GGC
Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction	
q	80QQB
r	80RRB
s	80TTA
t	80TTB
u	80U
v	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to u)

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G				
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)					

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development				
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
	i					
	ii					
		Total donation				

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC			
1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI			1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)			3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)			4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD			
1	Tax under section 115JC in assessment year 2022-23 (1d of Part-B-TTI)			1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2022-23 (7 of Part-B-TTI)			2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]			3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)				
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
i	2014-15				
ii	2015-16				
iii	2016-17				
iv	2017-18				
v	2018-19				
vi	2019-20				
vii	2020-21				
viii	2021-22				
ix	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)				

	X	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]					5
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64

SI No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI

SI No	Section	<input type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	<input type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(3iii of Schedule BFLA)	
3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(3iv of Schedule BFLA)	
4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
9	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
10	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(3viii of Schedule BFLA)	
11	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vi of Schedule BFLA)	
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)	
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3ix of schedule BFLA)	
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 2a of Schedule OS)	
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
16	115BBF (Tax on income from patent)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
17	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
18	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(part of 2d of Schedule OS)	
19	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of Schedule OS)	
20	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 3iv of Schedule BFLA)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 3v of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%- under sections other than u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3viii of Schedule BFLA)	
25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)	
Total					

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME		1		1	
1	Interest income				
2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i		
	ii	Expenditure incurred on agriculture	ii		
	iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii		
	iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)	2		
	v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)			
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located			
	b	Measurement of agricultural land in Acre			

	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
3	Other exempt income (including exempt income of minor child)					3		
4	Income not chargeable to tax as per DTAA							
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
	I							
	II							
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax					4	
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)					5		
6	Total (1+2+3+4+5+)					6		

Schedule PTI

Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(Dropdown to be provided)				I	House property			
					ii	Capital Gains				
					a	Short term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long term				
					bi	Section 112A				
					bii	Other than Section 112A				
					iii	Other Sources				
					A	Dividend				
					B	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				
					c	u/s				
2.					I	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long term				
					bi	Section 112A				
					bii	Other than Section 112A				
					iii	Other Sources				
					a	Dividend				
					B	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				
					c	u/s				

NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FSI

Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)

Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					

NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)

1 Summary of Tax relief claimed				
Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Total				
2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
a Amount of tax refunded				b Assessment year in which tax relief allowed in India

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1 Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2021												
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		(i)											
		(ii)											
	A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2021												
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		(i)											
		(ii)											
	A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2021												
	Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(i)												
	(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2021													
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
	(i)												
	(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2021													
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
	(i)												
	(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2021													
Sl No	Country Name and	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial	Date of acquisition	Total Investment (at	Income derived	Nature of Income	Income taxable and offered in this return				

	code			owner/ Beneficiary		cost) (in rupees)	from the property		Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2021												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2021 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(i)												
(ii)												

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse						
PAN/ Aadhaar No. of the spouse						
	Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	House Property					
2	Capital gains					
3	Other sources					
4	Total					

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable assets				
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
B Details of movable assets					
Sl. No.	Description	Amount (cost) in Rs.			

(1)	(2)	(3)
(i)	Jewellery, bullion etc.	
(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art	
(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts	
(iv)	Financial assets	Amount (cost) in Rs.
	(a) Bank (including all deposits)	
	(b) Shares and securities	
	(c) Insurance policies	
	(d) Loans and advances given	
	(e) Cash in hand	
C	Liabilities in relation to Assets at (A + B)	

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule:		Tax		Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC					
deferred on ESOP				Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to the next Assessment years Col (3- 7)	
Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward from earlier AY	Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	2021-22	Sl. No. of ITR - AY 2021-22				(To be enabled from AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)			

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1
	2	Income from house property (4 of Schedule HP) (enter nil if loss)	2
	3	Capital gains	
		a Short term	
		i Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai
		ii Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii
		iii Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii
		iv Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv
		v Total Short-term (ai + aii + ai iii + aiv) (enter nil if loss)	3av
		b Long-term	
		i Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi
		ii Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii
		iii Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii
	iv Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	3biv	
	c Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c	
4	Income from other sources		
	a Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
	b Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b	
	c Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	4d	
5	Total of head wise income (1+2+3c+4d)	5	
6	Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)	6	
7	Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+ 2 of Schedule OS)	7	
8	Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)	8	
9	Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	9	
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10	
11	Deductions under Chapter VI-A [v of Schedule VIA and limited to (9-10)]	11	
12	Total income (9 - 11)	12	
13	Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	13	

14	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	14	
15	Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	15	
16	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	16	
17	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	17	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income			
	1 a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)		1a	
	b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b	
	c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above		1c	
	d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)	1d		
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	2	Tax payable on total income			
	a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI		2a	
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)		2b	
	10	Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)	10		
	11	Total income	11		
	12	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (4 of Schedule EI)	12		
	13	'Aggregate income' (8+ 9)	13		
	14	Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and 3viii of Schedule CYLA)	14		
	c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c	
	d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)	2d		
3	Rebate under section 87A	3			
4	Tax payable after rebate (2d - 3)	4			
5	Surcharge			Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief
	i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i	ia	
	ii	@10% or 15% as applicable of 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii), Dividend income u/s 115AD(1)(a) of Schedule SI and Dividend income included in Part B TI	5ii	iaa	
	iii	On (4) - (16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) of Schedule SI)]	5iii		
	iv	Total ia + iia	5iv 5iii		
6	Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)	6			
7	Gross tax liability (4 + 5iv + 6)	7			
8	Gross tax payable (higher of 1d and 7) (8a+8b)	8			
8a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (Schedule Salary) (8-8b)	8a			
8b	Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC	8b			
8c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP	8c			
9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)	9			
10	Tax payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)	10			
11	Tax relief				
	a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E)	11a		
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	11b		
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)	11c		
d	Total (11a + 11b + 11c)	11d			
12	Net tax liability (10 – 11d) (enter zero if negative)	12			
13	Interest and fee payable				
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	13a		
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	13b		
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	13c		
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	13d		
	e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d)	13e		
14	Aggregate liability (12 + 13e)	14			
TAXES PAID	15 Taxes Paid				
	a	Advance Tax (from column 5 of 20A)	15a		
	b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)	15b		
	c	TCS (total of column 5 of 20D)	15c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)	15d		
	e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)	15e		
16	Amount payable (Enter if 14 is greater than 15e, else enter 0)	16			
17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)	17			
B A X	18	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)		Select Yes or No	

	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick accounts <input checked="" type="checkbox"/> for refund)
	i				
	ii				
Note: 1. Minimum one account should be selected for refund credit. 2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return Rows can be added as required					
ii. b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
Rows can be added as required					
19 Do you at any time during the previous year,— (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

20 TAX PAYMENTS													
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax													
SELF ASSESSMENT	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)			Serial Number of Challan		Amount (Rs)		
	(1)	(2)				(3)			(4)		(5)		
	i												
	ii												
	iii												
	iv												
NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 15a & 15d of Part B-TTI													
B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]													
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer				Name of the Employer			Income chargeable under Salaries		Total tax deducted		
	(1)	(2)				(3)			(4)		(5)		
	I												
	II												
NOTE ▶ Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI													
C1 Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]													

Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during FY 2021-22)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward	
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.		
I														
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 15b of Part B- TTI														

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]							
TCS	Sl No	Tax Deduction and Collection Account Number of the Collector		Name of the Collector	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed	Amount out of (4) being claimed in the hands of spouse, if section 5A is applicable
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	I						

II					
NOTE ▶ Please enter total of column (5) in 15c of Part B-TTI					

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date _____ Sign here → _____

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof _____

FORM	ITR-3	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year
		(For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession) (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	2 0 2 2 - 2 3

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN	
	(A5) Flat/Door/Block No.	(A6) Name of Premises/Building/Village		(A14) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	(A7) Road/Street/Post Office	(A8) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)		(A15) Date of Commencement of Business (DD/MM/YYYY)	
	(A9) Area/locality	(A16) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)			
	(A10) Town/City/District	(A11) State	(A12) PIN code/ZIP code		
		(A13) Country			
	(A17) Residential/Office Phone Number with STD code/Mobile No.	Mobile No. 2			
		1			
	(A18) Email Address-1 (self)	Email Address-2			
	FILING STATUS	(A19)(a)	(i) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay	
		(ii) Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148		
(b)		Have you opted for new tax regime u/s 115BAC and filed Form 10IE in AY 2021-22 ? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Opting in now <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> Continue to opt <input type="checkbox"/> Opt out			
(bi)		For other than "not opting", please furnish	Date of filing of form 10IE DD/MM/YYYY	Acknowledgement number:	
(c)		Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? – (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]			
(ci)		Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)		
(cii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)			
(ciii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)			
(civ)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(d)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /			

(e)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148 or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement		(unique number)	/	/													
(f)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] <input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section 6(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section 6(1)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section 6(1)(c)]															
		B. Resident but not Ordinarily Resident	<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]															
		C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year - <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Jurisdiction of residence</th> <th>Taxpayer Identification Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total period of stay in India during the previous year (in days)</th> <th>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			S.No.	Jurisdiction of residence	Taxpayer Identification Number	1			2			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		
		S.No.	Jurisdiction of residence	Taxpayer Identification Number														
1																		
2																		
Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)																	
Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident																	
(g)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No														
(h)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)																	
(i)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, furnish following information -																	
	(1)	Name of the representative assessee																
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)																
	(3)	Address of the representative assessee																
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee																

(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information -													
	Name of Company	Type of Company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)									
(k)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information													
	Name of Firm		PAN											
(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(m)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													

	iv	Any other Reserve	biv			
	v	Total (bi + bii + biii + biv)			bv	
	c	Total proprietor's fund (a + bv)			1c	
2	Loan funds					
	a	Secured loans				
	i	Foreign Currency Loans	ai			
	ii	Rupee Loans				
		A	From Banks	iiA		
		B	From others	iiB		
		C	Total (iiA + iiB)	iiC		
	iii	Total (ai + iiC)			aiii	
	b	Unsecured loans (including deposits)				
	i	From Banks	bi			
	ii	From others	bii			
	iii	Total (bi + bii)			biiii	
	c	Total Loan Funds (aiii + biiii)			2c	
3	Deferred tax liability				3	
4	Sources of funds (1c + 2c + 3)				4	
APPLICATION OF FUNDS	1	Fixed assets				
	a	Gross: Block			1a	
	b	Depreciation			1b	
	c	Net Block (a - b)			1c	
	d	Capital work-in-progress			1d	
	e	Total (1c + 1d)			1e	
	2	Investments				
		a	Long-term investments			
		i	Government and other Securities - Quoted	ai		
		ii	Government and other Securities - Unquoted	aii		
		iii	Total (ai + aii)			aiiii
		b	Short-term investments			
		i	Equity Shares, including share application money	bi		
		ii	Preference Shares	bii		
		iii	Debentures	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv
		c	Total investments (aiiii + biv)			2c
	3	Current assets, loans and advances				
		a	Current assets			
		i	Inventories			
		A	Stores/consumables including packing material	iA		
		B	Raw materials	iB		
		C	Stock-in-process	iC		
		D	Finished Goods/Traded Goods	iD		
		E	Total (iA + iB + iC + iD)		iE	
	ii	Sundry Debtors			aii	
	iii	Cash and Bank Balances				
		A	Cash-in-hand	iiiA		
		B	Balance with banks	iiiB		
		C	Total (iiiA + iiiB)		iiic	
	iv	Other Current Assets			aiv	
	v	Total current assets (iE + aii + iiic + aiv)			av	

NO ACCOUNT CASE	b Loans and advances				
	i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi		
	ii	Deposits, loans and advances to corporates and others	bii		
	iii	Balance with Revenue Authorities	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)			biv
	c Total of current assets, loans and advances (av + biv)				3c
	d Current liabilities and provisions				
	i	Current liabilities			
		A Sundry Creditors	iA		
		B Liability for Leased Assets	iB		
		C Interest Accrued on above	iC		
		D Interest accrued but not due on loans	iD		
		E Total (iA + iB + iC + iD)			iE
	ii	Provisions			
		A Provision for Income Tax	iiA		
		B Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB		
		C Other Provisions	iiC		
		D Total (iiA + iiB + iiC)			iiD
	iii	Total (iE + iiD)			diid
	e Net current assets (3c – diid)				3e
	4	a Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a		
		b Deferred tax asset	4b		
		c Profit and loss account/ Accumulated balance	4c		
	d Total (4a + 4b + 4c)			4d	
5 Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)				5	
6 In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31st day of March, 2022, in respect of business or profession)					
	a Amount of total sundry debtors			6a	
	b Amount of total sundry creditors			6b	
	c Amount of total stock-in-trade			6c	
	d Amount of the cash balance			6d	

Part A-Manufacturing Account Manufacturing Account for the financial year 2021-22 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

NO ACCOUNT CASE	1 Debits to manufacturing account				
		Opening Inventory			
	A	i Opening stock of raw-material	i		
		ii Opening stock of Work in progress	ii		
		iii Total (i + ii)			Aiii
		B Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B
		C Direct wages			C
		D Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D
		i Carriage inward	i		
		ii Power and fuel	ii		
		iii Other direct expenses	iii		
		E Factory Overheads			
		I Indirect wages	i		
		Ii Factory rent and rates	ii		
		Iii Factory Insurance	iii		
	Iv Factory fuel and power	iv			
	V Factory general expenses	v			

		Vi	Depreciation of factory machinery	vi			
		Vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii	
	F		Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			1F	
2	Closing Stock						
	i		Raw material	2i			
	ii		Work-in-progress	2ii			
			Total (2i +2ii)			2	
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)						3

Part A-Trading Account

Trading Account for the financial year 2021-22 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations					
		A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
			I	Sale of goods	I		
			Ii	Sale of services	Ii		
			Iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
				a	iiia		
				b	iiib		
				c	iiic		
			Iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
		B	Gross receipts from Profession				B
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
			i	Union Excise duties	I		
			ii	Service tax	Ii		
			iii	VAT/ Sales tax	Iii		
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	Iv			
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	V			
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	Vi			
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	Vii			
		viii	Any other duty, tax and cess	viii			
		ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi + vii + viii)			Cix	
		D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
	5	Closing Stock of Finished Goods					5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)					6
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods					7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)					9
			i	Carriage inward	9i		
			ii	Power and fuel	9ii		
			iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii		
		10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
			i	Custom duty	10i		
			ii	Counter veiling duty	10ii		
			iii	Special additional duty	10iii		
			iv	Union excise duty	10iv		
			v	Service tax	10v		
			vi	VAT/ Sales tax	10vi		
			vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
		xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii	
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account					11
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)					12

Part A-P&L

Profit and Loss Account for the financial year 2021-22 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

T	13	Gross profit transferred from Trading Account	13
---	----	---	----

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	14	Other income				
		i	Rent	I		
		ii	Commission	Ii		
		iii	Dividend income	Iii		
		iv	Interest income	Iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	V		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	Vi		
		vii	Profit on sale of other investment	Vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	Viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	Ix		
		x	Agricultural income	X		
		xi	Any other income (<i>specify nature and amount</i>)			
			a		Xia	
			b		Xib	
		c	Total (xia + xib)	Xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
	16	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
		ix	Contribution to any other fund	22ix		
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
		xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
		xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiiia	Yes / No	
			If Yes, amount paid to non-residents	xiiib		
	23	Insurance				
		i	Medical Insurance	23i		
		ii	Life Insurance	23ii		
		iii	Keyman's Insurance	23iii		
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
		v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
	24	Workmen and staff welfare expenses			24	
	25	Entertainment			25	
	26	Hospitality			26	
	27	Conference			27	
	28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)			28	
	29	Advertisement			29	
	30	Commission				
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
		ii	To others	ii		
		iii	Total (i + ii)		30iii	
	31	Royalty				
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
		ii	To others	ii		
		iii	Total (i + ii)		31iii	
	32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
		ii	To others	ii		
		iii	Total (i + ii)		32iii	
	33	Hotel, boarding and Lodging			33	
	34	Traveling expenses other than on foreign traveling			34	

NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							
62 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA							
SR.NO	Name of Business		Business code		Description		
(i)	Gross Receipts					62i	
(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned whichever is higher)					62ii	
NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							
63 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE							
SR.NO	Name of Business		Business code		Description		
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	Whether owned/leased/hired	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>		
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
(a)							
(b)							
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)							
Total							
(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]					63(ii)	
NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							

NO ACCOUNT CASE	64 IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2021-22 in respect of business or profession -						
	(i) For assessee carrying on Business						
	a	Gross receipts (a1 + a2)				ia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1	
		2	Any other mode			a2	
	b	Gross profit				ib	
	c	Expenses				ic	
	d	Net profit				64i	
	(ii) For assessee carrying on Profession						
	a	Gross receipts (a1 + a2)				ii a	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1	
		2	Any other mode			a2	
	b	Gross profit				iib	
	c	Expenses				iic	
d	Net profit				64ii		
(iii) Total profit (64i + 64ii)						64iii	
65							
i	Turnover from speculative activity				65i		
ii	Gross Profit				65ii		
iii	Expenditure, if any				65iii		
iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)				65iv		

Part A- OI Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)

OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash				
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]			3a	
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]			3b	
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year				
		A	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			<input type="checkbox"/>
	B	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			<input type="checkbox"/>	
	C	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				

	D	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
	E	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
	A	the items falling within the scope of section 28	5a	
	B	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
	C	escalation claims accepted during the previous year	5c	
	D	any other item of income	5d	
	E	capital receipt, if any	5e	
	F	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses			
	A	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
	B	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
	C	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
	D	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
	E	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiia)]	6e	
	F	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
	G	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
	H	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
	I	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
	J	Amount of contributions to any other fund	6j	
	K	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
	L	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
	M	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m	
	N	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
	O	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
	P	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
	Q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q	
	R	Any other disallowance	6r	
	S	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)	6s	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	A	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a	
	B	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b	
	C	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c	
	D	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d	
	E	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e	
	F	Any other penalty or fine	7f	
	G	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
	H	Amount of any liability of a contingent nature	7h	
	I	Any other amount not allowable under section 37	7i	
	J	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)	7j	
8	A	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40		

	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)			8Aj
	B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			8B
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	A	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	B	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
	C	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	D	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	E	Any other disallowance	9e		
	F	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)			9f
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	A	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	B	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	C	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	D	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da		
	E	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	F	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	G	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	H	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)			10h
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	A	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	B	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	C	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	D	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		

	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
	E	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	F	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	G	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	H	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)			11h
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	A	Union Excise Duty	12a		
	B	Service tax	12b		
	C	VAT/sales tax	12c		
	D	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	E	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	F	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	G	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	H	Any other tax	12h		
	I	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA				13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE <i>Tick</i> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TPSA]				17

Part A – QD Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern				
	1	Opening stock			1
	2	Purchase during the previous year			2
	3	Sales during the previous year			3
	4	Closing stock			4
	5	Shortage/ excess, if any			5
	(b) In the case of a manufacturing concern				
	6	Raw materials			
		a	Opening stock		6a
		b	Purchases during the previous year		6b
		c	Consumption during the previous year		6c
		d	Sales during the previous year		6d
		e	Closing stock		6e
		f	Yield finished products		6f
		g	Percentage of yield		6g
		h	Shortage/ excess, if any		6h
	7	Finished products/ By-products			
	a	opening stock		7a	
	b	purchase during the previous year		7b	
	c	quantity manufactured during the previous year		7c	
	d	sales during the previous year		7d	
	e	closing stock		7e	
	F	shortage/ excess, if any		7f	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary			
SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (<i>Tick</i>) <input checked="" type="checkbox"/> Drop down to be provided		TAN of Employer (<i>mandatory if tax is deducted</i>)
	Address of employer		Town/City	State	Pin code/Zip code
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e)			1
		a	Salary as per section 17(1) (<i>drop down to be provided</i>)		1a
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (<i>drop down to be provided</i>)		1b	

c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	1d		
e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than 'other than notified country' u/s 89A	1e		
(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
2	Total Gross Salary (from all employers)	2		
2a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A	2a		
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (Please choose from drop down menu) (please refer instructions) (Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)	3		
4	Net Salary (2 – 2a-3)	4		
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)	5		
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a		
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b		
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c		
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)	6		

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)								
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City	State	PIN Code/ Zip Code				
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)									
	Your percentage of share in the property (%)									
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property				
	I									
	II									
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)		
	<input type="checkbox"/> Let out									
	<input type="checkbox"/> Self-occupied									
	<input type="checkbox"/> Deemed let out									
	I									
	II									
	a	Gross rent received or receivable or lettable value				1a				
	b	The amount of rent which cannot be realized		1b						
	c	Tax paid to local authorities		1c						
	d	Total (1b + 1c)		1d						
	e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)				1e				
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f				
	g	30% of 1f		1g						
	h	Interest payable on borrowed capital		1h						
i	Total (1g+ 1h)				1i					
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				1j					
k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)				1k					
2	Address of property 2		Town/ City	State	PIN Code/ Zip Code					
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
Your percentage of share in the property (%)										
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property					
I										
II										
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
<input type="checkbox"/> Let out										
<input type="checkbox"/> Self-occupied										
<input type="checkbox"/> Deemed let out										
I										
II										
a	Gross rent received or receivable/ lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)				2a					
b	The amount of rent which cannot be realized		2b							
c	Tax paid to local authorities		2c							
d	Total (2b + 2c)		2d							
e	Annual value (2a – 2d)				2e					
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)				2f					
g	30% of 2f		2g							
h	Interest payable on borrowed capital		2h							
i	Total (2g + 2h)				2i					
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				2j					

	k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)	2k	
3		Pass through income/Loss if any *	3	
4		Income under the head “Income from house property” (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	4	

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass-through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head

NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB.
Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.

Schedule BP		Computation of income from business or profession			
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A From business or profession other than speculative business and specified business				
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) and 65(iv) of P&L)			1
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no 65iv of Schedule P&L] (in case of no account case)]			2a
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)			2b
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG	a	Salaries	3a
			b	House property	3b
			c	Capital gains	3c
			d	Other sources	3d
			di	Dividend income	3di
			dii	Dividend income other than	3dii
			e	u/s 115BBF	3e
			f	u/s 115BBG	3f
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44DA (drop down to be provided)			4a
	4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)			4b
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt			
		a	Share of income from firm(s)	5a	
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b	
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)		
		i		ci	
		ii		cii	
	iii	Total (ci + cii)	5ciii		
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d	
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f – 4a–4b– 5d)			6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG	a	Salaries	7a	
		b	House property	7b	
		c	Capital gains	7c	
		d	Other sources	7d	
		e	u/s 115BBF	7e	
		f	u/s 115BBG	7f	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a	

8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a+8b)	9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)			10
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account			11
12	Depreciation allowable under Income-tax Act			
	i Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
	ii Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
	iii Total (12i + 12ii)			12iii
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)			13
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of Part A-OI)	14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7J of Part A-OI)	15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)	16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9F of Part A-OI)	17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of PartA-OI)	18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	19		
20	Deemed income under section 41	20		
21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA	21		
22	Deemed income under section 43CA	22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DA	23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)	24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)			26
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28	Deduction allowable under section 32AD	28		
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of PartA-OI)	30		
31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10 h of PartA-OI)	31		
32	Any other amount allowable as deduction	32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		

34	Total (27+28+29+30+31+32+33)			34
35	Income (13+26-34)			35
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)	36i	
	ii	Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)	36ii	
	iii	Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)	36iii	
	iv	Section 44B	36iv	
	v	Section 44BB	36v	
	vi	Section 44BBA	36vi	
	vii	Section 44DA	36vii	(item 4 of Form 3CE)
	viii	Total (36i to 36vii)		36viii
37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35 + 36viii)			37
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)			A38
	a	Income chargeable under Rule 7	38a	
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	38b	
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c	
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d	
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	38e	
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 37)	38f	
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(38a+38b+38c+38d+38e)]			39
B Computation of income from speculative business				
40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)			40
41	Additions in accordance with section 28 to 44DA			41
42	Deductions in accordance with section 28 to 44DA			42
43	Income from speculative business (40+ 41 – 42) (if loss, take the figure to 6xv of schedule CFL)			B43
C Computation of income from specified business under section 35AD				
44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			44
45	Additions in accordance with section 28 to 44DA			45
46	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			46
47	Profit or loss from specified business (44 + 45 -46)			47
48	Deductions in accordance with section 35AD(1)			48
49	Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xvof schedule CFL)			C49
50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			C50
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)	D		D
Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' A38+B43+C49				
E Intra head set off of business loss of current year				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)	
ii	Income from speculative business	(B43)		
iii	Income from specified business	(C49)		
iv	Total loss set off (ii + iii)			
v	Loss remaining after set off (i – iv)			

NOTE Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15 (i)	30 (ii)	40 (iii)	45 (iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
	13	Additional depreciation, if any, on 7				
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
	17	Net aggregate depreciation (15-16)				
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only if block ceases to exist)				
	21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)		Furniture and fittings	Intangible assets	Ships	
	2	Rate (%)	Nil (i)	5 (ii)	10 (iii)	40 (iv)	10 (v)	25 (vi)	20 (vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							

13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery					
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM -17i or 18i as applicable)	1a				
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c				
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d				
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)				1e	
	2	Building (not including land)					
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a				
	B	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c				
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)				2d	
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)					3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)					4
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)					5
6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)					6	

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery					
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a				
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c				
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)	1d				
	e	Total (1a +1b + 1c+1d)				1e	
	2	Building (not including land)					
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a				
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c				
	d	Total (2a + 2b + 2c)				2d	
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)					3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)					4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)					5
6	Total (1e+2d+3+4+5)					6	

Schedule ESR Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			

ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains								
Short-term Capital Gains	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)								
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)								
		Date of purchase/ acquisition	DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY				
		a	i	Full value of consideration received/receivable			ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority			aii			
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			aiii			
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation			bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation			bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)			biv			
		c	Balance (aiii – biv)						1c	
		d	Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)						1d	
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						A1e	
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State	
		NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
	2	From slump sale								
		a	I	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai			
			Ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii			
			Iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aii			
		b	Net worth of the under taking or division			2b	(6(e) of Form 3CEA)			
		c	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)						A2c	
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)								
		a	Full value of consideration				3a			
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation			bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation			bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
			iv	Total (bi + bii +biii)			biv			
		c	Balance (3a – 3biv)						3c	

		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d		
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e	
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
		a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid		A4a	
		b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid		A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD					
		a	I In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		
			iii	Total (ic + ii)	aiii	
		b	Deductions under section 48			
			i	Cost of acquisition without indexation	bi	
			ii	Cost of improvement without indexation	bii	
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			iv	Total (bi + bii + biii)	biv	
		c	Balance (5aiii – biv)		5c	
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d		
		e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)			A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above					
		a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		
			iii	Total (ic + ii)	aiii	
		b	Deductions under section 48			
			i	Cost of acquisition without indexation	bi	
			ii	Cost of Improvement without indexation	bii	
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			iv	Total (bi + bii + biii)	biv	
		c	Balance (6aiii – biv)		6c	
		d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	6d		
		e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)		6e	
		f	Deduction under section 54D/54G/54GA		6f	

				NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.			
				►	In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.			
		2		From slump sale				
			a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)	2ai		
				ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)	2aii		
				iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aii		
			b		Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)	
			c		Balance (2aiii – 2b)	2c		
			d		Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)	2d		
			e		Long term capital gains from slump sale (2c-2d)		B2 e	

3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)						
	a	Full value of consideration				3a	
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation			bi	
		ii	Cost of improvement without indexation			bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii	
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv	
	c	Balance (3a – biv)				3c	
	d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)				3d	
	e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)					B3e
4	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero-coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA						
	a	Full value of consideration				4a	
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation			Bi	
		ii	Cost of improvement without indexation			Bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			Biii	
		iv	Total (bi + bii + biii)			Biv	
	c	Balance (4a – biv)				4c	
	d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)				4d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)					B4e
5	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A						
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)				5a	
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)				5b	
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5a – 5b)					B5c
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
	a	LTCG computed without indexation benefit				6a	
	b	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)				6b	
	c	LTCG on share or debenture (6a-6b)					B6c B6c
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B8 is to be filled up)						

A	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				aii

		iii	Total (ic + ii)		aiii			
	B	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation		bi			
		ii	Cost of improvement without indexation		bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)		biv			
		c	Balance (aiii – biv)		7c			
		d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)		7d			
		e	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7c – 7d)			B7e		
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A							
	a	LTCG u/s 112A [Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso]			8a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			8b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (8a – 8b)					B8c	
9	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)							
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)			9a			
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			9b			
	c	Balance LTCG on sale of specified asset (9a- 9b)					B9c	
	d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)			9d			
	e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			9e			
	f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (9d- 9e)					B9f	
10	From sale of assets where B1 to B9 above are not applicable							
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		aii			
		iii	Total (ic + ii)		aiii			
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition with indexation		bi			
		ii	Cost of improvement with indexation		biv			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		bv			
		iv	Total (bi + bii+biii)		bvi			
	c	Balance (10aiii – biv)				10c		
	d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)			10d			
	e	Long-term Capital Gains on assets at B10 above (10c- 10d)					B10e	
11	Amount deemed to be long-term capital gains							
	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?							
	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below							
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)		
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account			
	i	2018-19	54/54D/54F/54G/54GA					
	ii	2019-20	54B					
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'						
	Total amount deemed to be long-term capital gains (xi + xii + b)						B11	
12	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a1+B12a2 + B12b)							
	a1	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10%			B12a1			
	a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% - under sections other than u/s. 112A			B12a2			
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%			B12b			
13	Amount of LTCG included in items B1 to B12 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA							

Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B12 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA									B13a
b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA									B13b
14	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e + B2e + B3e + B4e + B5f + B6c + B7e + B8f + B9c + B9f + B10e + B11 + B12 - B13a)									B14
C Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10 + B14) (take B14 as nil, if loss)										C
D Information about deduction claimed against Capital Gains										
1	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details									
a	Deduction claimed u/s 54									
i	Date of transfer of original asset						ai	dd/mm/yyyy		
ii	Cost of new residential house						aii			
iii	Date of purchase /construction of new residential house						aiii	dd/mm/yyyy		
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						aiv			
v	Amount of deduction claimed						av			
b	Deduction claimed u/s 54B									
i	Date of transfer of original asset						bi	dd/mm/yyyy		
ii	Cost of new agricultural land						bii			
iii	Date of purchase of new agricultural land						biii	dd/mm/yyyy		
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						biv			
v	Amount of deduction claimed						bv			
c	Deduction claimed u/s 54D									
i	Date of acquisition of original asset						ci	dd/mm/yyyy		
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking						cii			
iii	Date of purchase of new land or building						ciii	dd/mm/yyyy		
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						civ			
v	Amount of deduction claimed						cv			
d	Deduction claimed u/s 54EC									
i	Date of transfer of original asset						di	dd/mm/yyyy		
ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)						dii			
iii	Date of investment						diii	dd/mm/yyyy		
iv	Amount of deduction claimed						div			
e	Deduction claimed u/s 54F									
i	Date of transfer of original asset						ei	dd/mm/yyyy		
ii	Cost of new residential house						eii			
iii	Date of purchase/construction of new residential house						eiii	dd/mm/yyyy		
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						eiv			
v	Amount of deduction claimed						ev			
f	Deduction claimed u/s 54G									
i	Date of transfer of original asset from urban area						fi	dd/mm/yyyy		
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset						fii			
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area						fiii	dd/mm/yyyy		
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						fiv			
v	Amount of deduction claimed						fv			
g	Deduction claimed u/s 54GA									
i	Date of transfer of original asset from urban area						gi	dd/mm/yyyy		
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset						gii			
iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ						giii	dd/mm/yyyy		

h	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	giv	
	v	Amount of deduction claimed	gv	
	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)			
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset	hi	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	hii	
	iii	Date of investment	hiii	dd/mm/yyyy
iv	Amount of deduction claimed	hiv		
i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)		li	
2	In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the company			

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A 9a & B 13a which is chargeable under DTAA)

Sl	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
			1	2	3	4	5	6	7	
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		$(A3e^*+A4a^*+A8a^*)$	$(A5e^*+A8b^*)$	$(A1e^*+A2c^*+A4b^*+A6g^*+A7^*+A8c^*)$	A9b	$(B4e^*+B5c^*+B7e^*+B8c^*+B9c^*+B12a^*)$	$(B1e^*+B2e^*+B3e^*+B6c^*+B9f^*+B10e^*+B11^*+B12b^*)$	B13b	
ii	15%	$(A3e^*+A4a^*+A8a^*)$								
iii	30%	$(A5e^*+A8b^*)$								
iv	applicable rate	$(A1e^*+A2c^*+A4b^*+A6g^*+A7^*+A8c^*)$								
v	DTAA rates	A9b								
vi	10%	$(B4e^*+B5c^*+B7e^*+B8c^*+B9c^*+B12a^*)$								
vii	20%	$(B1e^*+B2e^*+B3e^*+B6c^*+B9f^*+B10e^*+B11^*+B12b^*)$								
viii	DTAA rates	B13b								
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i- ix)									

The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A 9) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B 13) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

F Information about accrual/receipt of capital gain

	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.					

5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>				
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>				
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any.</i>				
NOT E	<i>Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head</i>				

Schedule OS Income from other sources

1		Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1
OTHER SOURCES	A Dividends, Gross					1a
	i	Dividend income other than ii	ai			
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii			
	B Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv+bvi+bvii+bviii+bix)					1b
	i	From Savings Bank	bi			
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)	bii			
	iii	From Income-tax Refund	biii			
	iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv			
	v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11) 10(12)	bv			
	vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per Second proviso to section 10(11) 10(12)	bvi			
	vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii			
	viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii			
	ix	Others	bix			
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross				1c
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)				1d
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration				di
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property				dii
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration				diii
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property				div
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration				dv
e	Any other income (please specify nature)				1e	
	Sl. No.	Nature			Amount	
	1	Family Pension				
	2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A				
	3	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A				
	Rows can be added as required					
2		Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)				2
a	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB				2a	
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)				2b	
i	Cash credits u/s 68	bi				
ii	Unexplained investments u/s 69	bii				
iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii				
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv				
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv				
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi				
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111				2c	
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)				2d	
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)		di			
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii			

	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii									
	iv	Interest referred to in section 194LC (1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@5%	div									
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv									
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi									
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii									
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii									
	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix									
	x	Income by way of dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx									
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxii									
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxiii									
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiii									
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv									
	xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxvi									
	xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	dxvi									
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvii									
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits-chargeable u/s 115BBG	dxviii									
	xix	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxix									
	xx	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	dxix									
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)										2e	
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)										2f	
	Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai,1b to 1d & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											

3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2d, 2e & 2f)											
	A(i)	Expenses / Deductions other than entered in "C" (in case of other than family pension)					3A(i)					
	A(ii)	Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)					3A(ii)					
	B	Depreciation (available only if income offered in I.C of "Schedule OS")					3B					
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(1) (Available only if income offered in 1a)-					3C					
	Ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) - computed value					3Ci					
	D	Total					3D					
4	Amounts not deductible u/s 58										4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	

5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A						5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)						6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)						7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses							
	A	Receipts	8a					
	B	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b					
	C	Amounts not deductible u/s 58	8c					
	D	Profits chargeable to tax u/s 59	8d					
	E	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xv of Schedule CFL)				8e		
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil, if negative)						9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
	2	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
	3	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	4	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)						
	5	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	7.	Income from retirement benefit account maintained in a country specified u/s 89A but not claimed for relief from taxation u/s 89A						
	8	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	SL.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	I	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(4 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
	iii	House property	(4 of Schedule HP)				
	Iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A38 of Schedule BP)				
	V	Speculative Income	(3ii of item E of Schedule BP)				
	Vi	Specified Business Income	(3iii of item E of Schedule BP)				
	Vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)				
	Viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)				

	iii	2012-13									
	iv	2013-14									
	v	2014-15									
	vi	2015-16									
	vii	2016-17									
	viii	2017-18									
	ix	2018-19									
	x	2019-20									
	Xi	2020-21									
	Xii	2021-22									
	xii	Total of earlier year losses b/f									
	Xiv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)		(2iii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)			(2xiv of Schedule BFLA)
	xv	2022-23 (Current year losses to be carried forward)		(2xviii of Schedule CYLA)		(3xviii of Schedule CYLA)	(B43 of Schedule BP, if -ve)	(C49 of Schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG)	((6x+7x+8x) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)
	xvi	Total loss Carried forward to future years									

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
V	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

DEDU CTIO	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction

a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)	
b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)	
c	Total deduction under section 10AA (a + b)				c

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
ii							
iii	Total						
D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i							
ii							

Schedule 80GGA (applicable in the case of a partner of firm deriving only profit from the firm) Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
		Total donation					

Schedule RA Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]

Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

Schedule 80-IA

a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2)				b

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
e	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		e2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
f	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to e2)			f

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in respect of undertaking located in North-East			
da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)	dh		
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			e

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1 Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80C		b	80CCC
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)
	e	80CCD(2)		f	80D
	g	80DD		h	80DDB
	i	80E		j	80EE
	k	80EEA		l	80EEB
	m	80G		n	80GG
	o	80GGA		o(i)	80GGC
	Total Deduction under Part B (total of a to o(i))				1
	2 Part C- Deduction in respect of certain incomes				
	p	80-IA	(b of Schedule 80-IA)	Q	80-IAB
	r	80-IB	(f of Schedule 80-IB)	S	80-IBA
t	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	U	80JJA	
v	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]	W	80QQB	
x	80RRB				
Total Deduction under Part C (total of p to w)				2	

3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction				
	i	80TTA		ii	80TTB
	iii	80U			
	Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii and iii)				3
4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)				4

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI			1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
	A	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a		
	B	Deduction claimed u/s 10AA	2b		
	C	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c		
	D	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)			3	
	a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any	3a		
	b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)	3b		
4	Tax payable under section 115JC [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)			4	

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2022-23 (1d of Part-B-TTI)			1		
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2022-23 (2i of Part-B-TTI)			2		
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]			3		
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)				
	xi	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4 (C)]			5		
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]			6		

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64

Sl No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI

SPECIAL RATE	Sl No	Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
	1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years			(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2	111A or Section 115AD(1)(b)(ii)-Proviso (STCG on shares units on which where STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	3	115AD(STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	

4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
7a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2dix of Schedule OS)	
7b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2dx of Schedule OS)	
8	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
10	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
11	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
12	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(5(x) of Schedule BFLA)	
13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)	
15	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of Schedule OS)	
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
17	115BBF (Tax on income from patent)				
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of Schedule BP)	
	B Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvii of Schedule OS)	
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3f of Schedule BP)	
	B Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxviii of Schedule OS)	
19	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2dvii of Schedule OS)	
20	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of Schedule OS)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. other than section 112A		10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)	
27	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)	
			Total		

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit i	Capital balance on 31 st March in the firm ii
	1							
2								
3								
4	Total							

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income			1	
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	I		
		i	Expenditure incurred on agriculture	Ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	Iii		
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)	iv		

v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii+iv) (enter nil if loss)						2
vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
b	Measurement of agricultural land in Acre						
c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
3	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)						3
4	Income not chargeable to tax as per DTAA						
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)
	I						
	II						
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax					4
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)						5
6	Total (1+2+3+4+5)						6

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB															
Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income		Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any					
					(6)										
					(7)	(8)					(9)	(10)			
1.	(drop down to be provided)				I House property										
					ii Capital Gains										
					a	Short term									
					a1	Section 111A									
					b	Long term									
					b1	Section 112A									
					B2	Sections other than 112A									
					iii Other Sources										
					a	Dividend									
					b	Others									
					iv Income claimed to be exempt										
					A	u/s 10(23FBB)									
					B	u/s									
					C	u/s									
					2.					i House property					
										ii Capital Gains					
A	Short term														
a1	Section 111A														
B	Long term														
b1	Section 112A														
b2	Sections other than 112A														
iii Other Sources															
1	Dividend														
2	Others														
iv Income claimed to be exempt															
a	u/s 10(23FBB)														
b	u/s														
c	u/s														

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule- TPSA Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility										
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)								
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above							
		b	Surcharge @ 12% on "a"							
		c	Health & Education cess on (a+b)							
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)							
3	Taxes paid									
4	Net tax payable (2d-3)									
5	Date(s) of deposit of tax on	Date 1	Date 2	Date 3	Date 4	Date 5	Date 6			

	secondary adjustments as per section 92CE(2A)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)
6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code						
8	Serial number of challan						
9	Amount deposited						

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Business or Profession					
			iv	Capital Gains					
			v	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Business or Profession					
			iv	Capital Gains					
			v	Other sources					
				Total					

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)			
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1 Details of Tax relief claimed				
	Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total			
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	Yes/No

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1 Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2021											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2021												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31st December 2021											
SI No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2021											
SI No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2021											
SI No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C	Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2021											
SI No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2021											
SI No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E	Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2021 and which has not been included in A to D above.											
SI No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F	Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
SI	Country	ZIP	Name and	Name	Name	Name and	Date	Whether	If (8) is yes,	If (8) is yes, Income offered in this return		

No	Name and code	Code	address of the trust	and address of trustees	and address of Settlor	address of Beneficiaries	since position held	income derived is taxable in your hands?	Income derived from the trust	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

NOTE Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code					
Name of the spouse					
PAN/Aadhaar No. of the spouse					
Whether books of accounts of spouse is audited u/s 44AB? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 44AB under this Act?					Yes/No
Whether books of accounts of spouse is audited u/s 92E? or whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 92E under this Act?					Yes/No
	Heads of Income	Receipts received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

A Details of immovable assets				
Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
B Details of movable assets				
Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
(1)	(2)			(3)
(i)	Jewellery, bullion etc.			
(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)		
	(b)	Shares and securities		
	(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given		
	(e)	Cash in hand		
C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof				
Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP		Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
(1)	(2)	(3)		(4)
(i)				
(ii)				
D Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)				

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST

I.T.S OF	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

Schedule: Tax Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC deferred on ESOP

DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward from earlier AY	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to be next Assessment years Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date		
	1	2021-22	Sl. No. 3b of ITR - AY 2021-22			(To be enabled from AY AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)		

PART-B

Part B – TI Computation of total income

TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1
	2	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2
	3	Profits and gains from business or profession	
		i Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i
		ii Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii
		iii Profit and gains from specified business (3(iii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii
		iv Income chargeable to tax at special rates (3e & 3f of Schedule BP)	3iv
		v Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v
	4	Capital gains	
		a Short term	
		i Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai
		ii Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	a ii
		iii Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	a iii
		iv Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	a iv
		v Total Short-term (ai + aii + aiii+aiv) (enter nil if loss)	4av
		b Long-term	
	i Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
	ii Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii	
	iii Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
	iv Total Long-term (bi + bii+biii) (enter nil if loss)	4biv	
	c Total capital gains (4av+4biv) (enter nil if loss)	4c	

5	Income from other sources		
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	5c
	d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)	5d
6	Total of head wise income (1 + 2 + 3v + 4c + 5d)		6
7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)		7
8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of serial number (ii) to (xv) column 5 of Schedule CYLA+5b+3iv)		8
9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)		9
10	Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA+ 5b+ 3iv)		10
11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10		11
12	Deductions under Chapter VI-A		
	a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i, ii, iii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of BFLA]	12a
	b	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A)]	12b
	c	Total (12a + 12b) [limited upto (10-11)]	12c
13	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)		13
14	Total income (10 - 12c - 13)		14
15	Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)		15
16	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)		16
17	Aggregate income (14-15+16) [applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]		17
18	Losses of current year to be carried forward (total of row xv of Schedule CFL)		18
19	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)		19

Part B – TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c	
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d	
	2	Tax payable on total income				
		A	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI	2a		
		B	Tax at special rates (total /of col. (ii) of Schedule-SI)	2b		
		C	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c		
		D	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)		2d	
		E	Rebate under section 87A		2e	
		F	Tax payable after rebate (2d – 2e)		2f	
		G	Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
			i	@ 25% of 17(ii) of Schedule SI	2gi	
					2g(ii)	
			ii	@10% or 15%, as applicable of 2(ii),3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii) Dividend income u/s 115AD(1)(a) of Schedule SI and Dividend income included in Part B TI	2gii	
			iii	On [(2f) – (17(ii),2(ii),3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii) of Schedule SI)]	2giii	
			iv	Total (ia + iia)		2giv
		H	Health and Education Cess @ 4% on (2f + 2giii)		2h	
		I	Gross tax liability (2f + 2giv + 2h)		2i	
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2i) (3a+3b)				3
3a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (Schedule Salary) (3-3b)				3a	
3b	Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC				3b	
3c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)				3c	
4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
5	Tax payable after credit under section 115JD (3a +3c - 4)				5	
6	Tax relief					
	a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)		6a		

	b	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6b			
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)	6c			
	d	Total (6a + 6b+ 6c)		6d		
7	Net tax liability (5 – 6d) (enter zero if negative)				7	
8	Interest and fee payable					
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)		8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9	
TAXES PAID	10	Taxes Paid				
	a	Advance Tax (from column 5 of 17A)	10a			
	b	TDS (total of column 5 of 18B and column 9 of 17C)	10b			
	c	TCS (column 7 of 17D)	10c			
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)	10d			
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)		10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)			Select Yes or No	
	i.	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India ()	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>)	
	I					
	ii					
	Note: 1) Minimum one account should be selected for refund credit 2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return					
	Rows can be added as required					
	ii.	b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:				
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
	1					
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

15 If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
---------------------------	-------------	--------------------------

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof

16

17 TAX PAYMENTS**A** Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax

Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv				

NOTE Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl. No. 10a & 10d of Part B-TTI**B** Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]

Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I				

II		
-----------	--	--

NOTE ► Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI

C	Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C /16D furnished by Deductor(s)]
----------	--

Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2021-22)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward	
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)		(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
						Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.			
i														

NOTE ► Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI

D	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]
----------	---

Sl. No.	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
			Fin. Year in which collected	Amount b/f			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date _____

Sign here ➔

FORM	ITR-4 SUGAM	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year				
		[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE.] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or if income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs.5000] (Please refer instructions for eligibility)	2	0	2	2	-

PART A GENERAL INFORMATION

(A1) First Name		(A2) Middle Name		(A3) Last Name		(A4) Permanent Account Number					
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)						(A6) Flat/Door/Block No.					
(A7) Name of Premises/ Building/ Village				(A8) Road/Street/Post Office				(A9) Area/Locality			
(A10) Town/City/District				(A11) State		(A12) Country		(A13) PIN Code/ZIP Code			

(A14) Aadhaar Number (12 digits)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digits) (if eligible for Aadhaar No.)												(A15) Status Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/>							
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1												(A17) Mobile No. 2				(A18) Email Address-1 (self)			
																Email Address -2			
(A19) Nature of employment - <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)																			
(A20) (a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-												<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return,				<input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay			
(b) Or Filed in response to notice u/s												<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148							
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)																			
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148 or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order																			
(A23) Have you opted for new tax regime u/s 115BAC and filed Form 10IE in AY 2021-22? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Opting in now <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> Continue to opt <input type="checkbox"/> Opt out For other than not opting, please furnish date of filing of form 10-IE along with Acknowledgment number																			
(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]																			
(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)												Amount (Rs) (If Yes)							
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)												Amount (Rs) (If Yes)							
(iii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)												Amount (Rs) (If Yes)							
(iv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)												(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -																			
(1) Name of the representative																			
(2) Capacity of the representative																			
(3) Address of the representative																			
(4) Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the representative																			

PART B GROSS TOTAL INCOME												Whole- Rupee (₹) only					
B1 Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)												B1					
B2 i Gross Salary (ia+ib+ic+id+ie)												i					
SALARY/ PENSION	a Salary as per section 17(1)											ia					
	b Value of perquisites as per section 17(2)											ib					
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3)											ic					
	d Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Please choose from drop down menu)											id					
	e Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A											ie					
	ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (Please choose from drop down menu) [Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3)]												ii				
	iii Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A												iii				
	iii Net Salary (i – ii-iii)												iii				
	iv Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)												iv				
	a Standard deduction u/s 16(ia)											iva					
b Entertainment allowance u/s 16(ii)											ivb						
c Professional tax u/s 16(iii)											ivc						
v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1")												B2					
B3 Tick applicable option Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out <input type="checkbox"/>																	
H C i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year												i					

	ii	Tax paid to local authorities	ii		
	iii	Annual Value (i – ii)			iii
	iv	30% of Annual Value	iv		
	v	Interest payable on borrowed capital	v		
	vi	Arrears/Unrealized Rent received during the year Less 30%	vi		
	vii	Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note:- Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.			B3
B4		Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided specifying nature of income and in case of dividend and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.			B4
		Less: Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)			
		Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A			
B5		Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.			B5

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for Deductions limits as per Income-tax Act)

C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)		
C4	80CCD(1B)		C5	80CCD(2)		C6	80D	(Please choose from drop down menu)	
C7	80DD	(Please choose from drop down menu)	C8	80DDB	(Please choose from drop down menu)	C9	80E		
C10	80EE		C11	80EEA		C12	80EEB		
C13	80G	(Please choose from drop down menu)	C14	80GG		C15	80GGC		
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	(Please choose from drop down menu)	
C19	Total deductions (Add items C1 to C18)							C19	
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)							C20	

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7	
D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	
D11	Fee u/s 234F	D11	
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11)	D12	
D13	Total Advance Tax Paid	D13	
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14	
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15	
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16	
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17	
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs.5,000/-, use ITR 3/5) (Please choose from drop down menu))	D20	

BANK ACCOUNT	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)			
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
	i				
	ii				

1. Minimum one account should be selected for refund credit.
2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION**COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD**

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E1	Gross Turnover or Gross Receipts		
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	E1a
	b	Any other mode	E1b
E2	Presumptive Income under section 44AD		
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2a
	b	8% of E1b or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2b
	c	Total (a + b)	E2c
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed		

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E3	Gross Receipts		E3
E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed		E4

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>
			<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>
			<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>
(i)	(1)	(2)	(3)
(a)			
(b)			

Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)

E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed	E5
E6	Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms	E6
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)	E7
E8	Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7)	E8

INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST

Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately

E9	GSTIN No(s).	E9
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed	E10

FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS			
Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2022			
E11	Partners/ Members own capital	E11	
E12	Secured loans	E12	
E13	Unsecured loans	E13	
E14	Advances	E14	
E15	Sundry creditors	E15	
E16	Other liabilities	E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)	E17	
E18	Fixed assets	E18	
E19	Inventories	E19	
E20	Sundry debtors	E20	
E21	Balance with banks	E21	
E22	Cash-in-hand	E22	
E23	Loans and advances	E23	
E24	Other assets	E24	
E25	Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)	E25	
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)			

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS														
		BSR Code			Date of Deposit (DD/MM/YYYY)			Challan No.			Tax paid			
		Col (1)			Col (2)			Col (3)			Col (4)			
R1														
R2														
R3														

NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]					
Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
i					
ii					

NOTE ▶ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16

SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY				
[As per Form 16 issued by Employer(s)]				
	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

NOTE ▶ Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15

SCHEDULE TDS-2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY								
[As per Form 16 A issued or Form 16C or Form 16D furnished by Deductor(s)]								
Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward
		Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

NOTE ▶ Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (Please choose from drop down menu) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction)

Place:

Signature here →

Date:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP
Amount to be paid to TRP.		

FORM	ITR-5	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons other than- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company and (iv) person filing Form ITR-7] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	2	-	2

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) Name		(A2) PAN						
	(A3) Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name		(A4) Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable						
	(A7) Flat/Door/Block No	(A8) Name of Premises/Building/Village		(A5) Date of formation (DDMMYYYY)					
			(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)						
	(A9) Road/Street/Post Office	(A10) Area/Locality	Status (firm-1 sub-status- Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Business trust, investment fund, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOI,, artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP),					<input type="checkbox"/>	
	(A11) Town/City/District	(A12) State	(A13) Pin code/Zip code						
	(A15) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		(A14) Country				(A16) Mobile No. 2		
	(A17) Email Address -1		(A18) Email Address -2						
	FILING STATUS	A19(i)	(ai) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay.					
			(aia) Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148					
		(aiii) Whether you are a business trust?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No				
		(aiv) Whether you are an investment fund referred to in section 115UB?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No				
		(b) If revised/Defective/ in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)						/ /	
		(c) If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148 or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement						(unique number) / /	
		(d) Have you opted for tax regime u/s 115BAD and filed form 10-IF in AY 2021-22? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
	(di) If Yes or "opting it now", please furnish	Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY			Acknowledgement number:				
	(e) Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident								
	(f) Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No								
	(g) Whether you are recognized as start up by DPIIT			<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
	(h) If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT								
	(i) Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?			<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
	(j) If yes, please provide the certification number								
	(k) In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No								

(l)	In the case of non-resident, is there a significant economic presence (SEP) in India as defined in Explanation (2A) to section 9(1) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> If yes, please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i)													
(m)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.													
(n)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information -													
	(1)	Name of the representative assessee												
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)												
	(3)	Address of the representative assessee												
(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee													
(o)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information													
	Name of Firm						PAN							
(p)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

AUDIT INFORMATION	a	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																							
	a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																							
	a2i	If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business is between Rs.1 crore and Rs.10 crores? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> turnover exceeds 10 crores																							
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash, & non-a/c payee cheque/DD does not exceed five per cent of the said amount? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																							
	a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc. & non-a/c payee cheque/DD during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of the said payment? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																							
	b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																							
	c	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																							
		If Yes, furnish the following information-																							
		(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /																						
		(ii)	Name of the auditor signing the tax audit report																						
		(iii)	Membership no. of the auditor																						
		(iv)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)																						
		(v)	Proprietorship/firm registration number																						
		(vi)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)																						
	(vii)	Date of audit report																							
di	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																								
dii	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s 92E?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY															
diii	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under) (Please see Instructions)																								
PARTNERS/ MEMBERS/TRUST	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Sl. No.</th> <th style="width: 40%;">Section Code</th> <th style="width: 45%;">Date (DD/MM/YYYY)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>													Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)									
	Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)																						
e	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report																								
Act and section			(DD/MM/YY)				Act and section			(DD/MM/YY)															
A	Whether there was any change during the previous year in the partners/members of the firm/AOP/BOI (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (In case of societies and cooperative banks give details of Managing Committee) If Yes, provide the following details																								
	Sl.	Name of the Partner/member			Admitted/Retired		Date of admission/retirement			Percentage of share (if determinate)															

	1.									
	2.									
	B	Is any member of the AOP/BOI/executor of AJP a foreign company? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No								
	C	If Yes, mention the percentage of share of the foreign company in the AOP/BOI/executor of AJP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
	D	Whether total income of any member of the AOP/BOI/executor of AJP (excluding his share from such association or body or executor of AJP) exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the case of that member? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No								
	E	Particulars of persons who were partners/members in the firm/AOP/BOI or settlor/trustee/beneficiary in the trust or executors in the case of estate of deceased / estate of insolvent as on 31 st day of March, 2022 or date of dissolution								
		S.No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)	Designated Partner Identification Number, in case partner in LLP	Status (see instructions)	Rate of Interest on Capital	Remuneration paid/ payable
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	F	To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)								
For persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)	1	Whether shares of the beneficiary are determinate or known?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	2	Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	3	Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and /or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	4	Please furnish the following details (as applicable):								
	(i)	Whether all the beneficiaries have income below basic exemption limit?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(ii)	Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(iii)	Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(iv)	Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
NATURE OF BUSINESS	G	Nature of business or profession, if more than one business or profession, indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under sections 44AD, 44ADA and 44AE)								
		S.No.	Code [Please see instruction]	Trade name of the business, if any			Description			
	(i)									
	(ii)									

Part A-BS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2022 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item C)

SOURCES OF FUNDS	A	Sources of Funds											
	1	Partners' / members' fund											
		a	Partners' / members' capital								a		
		b	Reserves and Surplus										
			i	Revaluation Reserve	bi								
			ii	Capital Reserve	bii								
			iii	Statutory Reserve	biii								
			iv	Any other Reserve	biv								
			v	Credit balance of Profit and loss account	bv								
			vi	Total (bi + bii + biii + biv + bv)					bvi				
		c	Total partners' / members' fund (a + bvi)								1c		
		2	Loan funds										
			a	Secured loans									
			i	Foreign Currency Loans		ai							
			ii	Rupee Loans									
			A	From Banks	iiA								
			B	From others	iiB								
			C	Total (iiA + iiB)	iiC								
		iii	Total secured loans (ai + iiC)					aiii					
		b	Unsecured loans (including deposits)										
		i	Foreign Currency Loans		bi								
		ii	Rupee Loans										
			A	From Banks	iiA								
			B	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	iiB								
			C	From others	iiC								

			D	Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)	iiD			
		iii	Total unsecured loans (bi + iiD)				Biii	
		c	Total Loan Funds (aiii + biii)				2c	
	3	Deferred tax liability						3
	4	Advances						
		i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act		i			
		ii	From others		ii			
		iii	Total Advances (i + ii)				4iii	
	5	Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)						5
	B	Application of funds						
	1	Fixed assets						
		a	Gross: Block		1a			
		b	Depreciation		1b			
		c	Net Block (a - b)		1c			
		d	Capital work-in-progress		1d			
		e	Total (1c + 1d)				1e	
	2	Investments						
		a	Long-term investments					
			i	Investment in property	i			
			ii	Equity instruments				
				A Listed equities	iiA			
				B Unlisted equities	iiB			
				C Total	iiC			
			iii	Preference shares	iii			
			iv	Government or trust securities	iv			
			v	Debenture or bonds	v			
			vi	Mutual funds	vi			
			vii	Others	vii			
			viii	Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)			aviii	
		b	Short-term investments					
			i	Equity instruments				
				A Listed equities	iA			
				B Unlisted equities	iB			
				C Total	iC			
			ii	Preference shares	ii			
			iii	Government or trust securities	iii			
			iv	Debenture or bonds	iv			
			v	Mutual funds	v			
			vi	Others	vi			
			vii	Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)			bvii	
		c	Total investments (aviii + bvii)				2c	
	3	Current assets, loans and advances						
		a	Current assets					
			i	Inventories				
				A Raw materials	iA			
				B Work-in-progress	iB			
				C Finished goods	iC			
				D Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iD			
				E Stores/consumables including packing material	iE			
				F Loose tools	iF			
				G Others	iG			
				H Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG)			iH	
			ii	Sundry Debtors				
				A Outstanding for more than one year	iiA			
				B Others	iiB			
				C Total Sundry Debtors			iiC	
			iii	Cash and bank balances				
				A Balance with banks	iiiA			
				B Cash-in-hand	iiiB			
				C Others	iiiC			
				D Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)			iiiD	
			iv	Other Current Assets			aiv	
			v	Total current assets (iH + iiC + iiiD + aiv)			av	
		b	Loans and advances					
			i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi			
			ii	Deposits, loans and advances to corporate and others	bii			
			iii	Balance with Revenue Authorities	biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)			biv	
			v	Loans and advances included in biv which is				
				a for the purpose of business or profession	va			
				b not for the purpose of business or profession	vb			
		c	Total (av + biv)				3c	
		d	Current liabilities and provisions					
			i	Current liabilities				
				A Sundry Creditors				

NO ACCOUNT CASE				1	Outstanding for more than one year	1			
				2	Others	2			
				3	Total (1 + 2)	A3			
				B	Liability for leased assets	iB			
				C	Interest Accrued and due on borrowings	iC			
				D	Interest accrued but not due on borrowings	iD			
				E	Income received in advance	iE			
				F	Other payables	iF			
				G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)		iG		
				ii	Provisions				
				A	Provision for Income Tax	iiA			
				B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB			
				C	Other Provisions	iiC			
				D	Total (iiA + iiB + iiC)		iiE		
				iii	Total (iE + iiD)		diii		
				e	Net current assets (3c – diii)		3e		
				4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a		
					b	Deferred tax asset	4b		
					c	Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance	4c		
					d	Total (4a + 4b + 4c)			4d
5		Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)		5					
NO ACCOUNT CASE	C	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 st day of March, 2022, in respect of business or profession							
		1	Amount of total sundry debtors				C1		
		2	Amount of total sundry creditors				C2		
		3	Amount of total stock-in-trade				C3		
		4	Amount of the cash balance				C4		

Part A-
Manufacturing
account

Manufacturing Account for the financial year 2021-22 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT				1	Debits to Manufacturing Account				
				A	Opening Inventory				
					i	Opening stock of raw-material	i		
					ii	Opening stock of Work in progress	ii		
					iii	Total (i + ii)			Aiii
					B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B
					C	Direct wages			C
					D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D
						i	Carriage inward	i	
						ii	Power and fuel	ii	
						iii	Other direct expenses	iii	
					E	Factory Overheads			
						i	Indirect wages	i	
						i	Factory rent and rates	ii	
						iii	Factory Insurance	iii	
						iv	Factory fuel and power	iv	
						v	Factory general expenses	v	
						vi	Depreciation of factory machinery	vi	
						vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)		Evii
					F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			F
	2	Closing Stock							
		i	Raw material	2i					
		ii	Work-in-progress	2ii					
		Total (2i + 2ii)			2				
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)			3				

Part A-Trading
Account

Trading Account for the financial year 2021-22 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT				4	Revenue from operations				
				A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
					i	Sale of goods	i		
					ii	Sale of services	ii		
					iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
						a		iiia	
						b		iiib	
						c	Total (iiia + iiib)	iiic	
					iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
					B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied							
		i	Union Excise duties	i					

	ii	Service tax	ii		
	iii	VAT/ Sales tax	iii		
	iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
	v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
	vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
	vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
	viii	Any other duty, tax and cess	viii		
	ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)		Cix	
	4D			4D	
	5	Closing Stock of Finished Goods		5	
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)		6	
7	Opening Stock of Finished Goods		7		
8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)		8		
9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)		9		
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account		11		
12	Gross Profit from Business/Profession— transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)		12		

Part A-P&L

Profit and Loss Account for the financial year 2021-22 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account			13
	14	Other income			
	i	Rent	i		
	ii	Commission	ii		
	iii	Dividend income	iii		
	iv	Interest income	iv		
	v	Profit on sale of fixed assets	v		
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
	vii	Profit on sale of other investment	vii		
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix		
	x	Agricultural income	x		
xi	Any other income (specify nature and amount)				
a		xia			
b		xib			
c	Total (xia + xib)	xic			
xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xic)			14xii	
15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
16	Freight outward			16	
17	Consumption of stores and spare parts			17	
18	Power and fuel			18	
19	Rents			19	
20	Repairs to building			20	
21	Repairs to machinery			21	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	22	Compensation to employees			
	i	Salaries and wages	22i		
	ii	Bonus	22ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
	iv	Leave encashment	22iv		
	v	Leave travel benefits	22v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
	ix	Contribution to any other fund	22ix		
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi
xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xia	Yes / No		

		If Yes, amount paid to non-residents	xiib			
23	Insurance					
	i	Medical Insurance	23i			
	ii	Life Insurance	23ii			
	iii	Keyman's Insurance	23iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	Workmen and staff welfare expenses					24
25	Entertainment					25
26	Hospitality					26
27	Conference					27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)					28
29	Advertisement					29
30	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			30iii	
31	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging					33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling					34
35	Foreign travelling expenses					35
36	Conveyance expenses					36
37	Telephone expenses					37
38	Guest House expenses					38
39	Club expenses					39
40	Festival celebration expenses					40
41	Scholarship					41
42	Gift					42
43	Donation					43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty	44i			
	ii	Service tax	44ii			
	iii	VAT/ Sales tax	44iii			
	iv	Cess	44iv			
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v			
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi			
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii			
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x	
45	Audit fee					45
46	Salary/Remuneration paid to Partners of the firm					46
47	Other expenses (specify nature and amount)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	Total (i + ii)			47iii	
48	Bad debts (specify PAN/ Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
	i(1)		48i(1)			
	i(2)		48i(2)			
	i(3)		48i(3)			
	i	(Rows can be added as required) Total [48i(1)+48i(2)+48i(3)]			48i	
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/ Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)			48ii	
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)			48iii	
	iv	Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii)			48iv	
49	Provision for bad and doubtful debts					49
50	Other provisions					50
51	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]					51
52	Interest					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or to a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i+ii)			52iii	
53	Depreciation and amortisation					53

Part A- OI

Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)

1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash	
2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]	3a
3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]	3b
4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year	
	a Raw Material (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)	<input type="checkbox"/>
	b Finished goods (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)	<input type="checkbox"/>
	c Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	d Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d
	e Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -	
	a the items falling within the scope of section 28	5a
	b the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b
	c escalation claims accepted during the previous year	5c
	d any other item of income	5d
	e capital receipt, if any	5e
	f Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-	
	a Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a
	b Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b
	c Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c
	d Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d
	e Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e
	f Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f
	g Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g
	h Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h
	i Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i
	j Amount of contributions to any other fund	6j
	k Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k
	l Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l
	m Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6m
	n Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n
	o Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o
	p Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p
	q Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q
	r Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r
	s Any other disallowance	6s
	t Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)	6t
	u Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)	
	i deployed in India	i
	ii deployed outside India	ii
	iii Total	iii
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37	
	a Expenditure of capital nature [37(1)]	7a
	b Expenditure of personal nature [37(1)]	7b
	c Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c
	d Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d
	e Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e

	f	Any other penalty or fine	7f	
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h	
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i	
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)	7j	
8	A.	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40		
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
	c	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae	
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af	
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag	
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah	
	i	Any other disallowance	Ai	
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)	8Aj	
	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		
			8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a	
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b	
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c	
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d	
	e	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]	9e	
	f	Any other disallowance	9f	
	g	Total amount disallowable under section 40A	9g	
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d	
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company	10da	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g	
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)	10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d	

	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g	
	h	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)	11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
	a	Union Excise Duty	12a	
	b	Service tax	12b	
	c	VAT/sales tax	12c	
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d	
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e	
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f	
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g	
	h	Any other tax	12h	
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)	12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TPSA]			17

Part A – QD Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern		
	1	Opening stock	1
	2	Purchase during the previous year	2
	3	Sales during the previous year	3
	4	Closing stock	4
	5	Shortage/ excess, if any	5
	(b) In the case of a manufacturing concern		
	6	Raw materials	
		a Opening stock	6a
		b Purchases during the previous year	6b
		c Consumption during the previous year	6c
		d Sales during the previous year	6d
		e Closing stock	6e
		f Yield finished products	6f
		g Percentage of yield	6g
		h Shortage/ excess, if any	6h
	7	Finished products/ By-products	
		a opening stock	7a
		b purchase during the previous year	7b
		c quantity manufactured during the previous year	7c
	d sales during the previous year	7d	
	e closing stock	7e	
	f shortage/ excess, if any	7f	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	PIN Code/ Zip code	
		Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)				
		Assessee's percentage of share in the property %				
		Name of other Co-owner(s)	PAN	of Co-owner (s)		Percentage Share in Property (%)
		I				
		II				
		[Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Self-Occupied <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)		PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)
			I			
			II			
		A	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two if let out for part of the year)			1a
	B	The amount of rent which cannot be realized			1b	
	C	Tax paid to local authorities			1c	
	D	Total (1b + 1c)			1d	
	E	Annual value (1a – 1d)			1e	

	F	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)	1f	
	G	30% of 1f	1g	
	H	Interest payable on borrowed capital	1h	
	I	Total (1g + 1h)	1i	
	J	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	1j	
	K	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	1k	
2	Address of property 2		Town/ City	State
	PIN Code/ Zip code			
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)			
	Assessee's percentage of share in the property %			
	Name of Co-owner(s)		PAN/	Co-owner (s)
	Percentage Share in Property%			
	I			
	II			
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)	
	<input type="checkbox"/> Self-Occupied		PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	
	<input type="checkbox"/> Let out		PAN/TAN / Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
	<input type="checkbox"/> Deemed let out			
	A	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two, if let out for part of the year)	2a	
	B	The amount of rent which cannot be realized	2b	
	C	Tax paid to local authorities	2c	
	D	Total (2b + 2c)	2d	
	E	Annual value (2a – 2d)	2e	
	F	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)	2f	
	G	30% of 2f	2g	
	H	Interest payable on borrowed capital	2h	
	I	Total (2g + 2h)	2i	
	J	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	2j	
	K	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)	2k	
3	Pass through income/ Loss if any *			3
4	Income under the head "Income from house property" (1k + 2k + 3) (if negative, take the figure to 2i of schedule CYLA)			4
NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule BP Computation of income from business or profession

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business			1	
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) & 66(iv) of Part A-P&L)			1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl. No. 66iv of Schedule P&L]		2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2b		
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG	a	House property	3a	
			b	Capital gains	3b	
			c	Other sources	3c	
			ci	Dividend income	3ci	
			cii	Other than dividend income	3cii	
	d	u/s 115BBF	3d			
	e	u/s 115BBG	3e			
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44DA/ First schedule of Income-tax Act (other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)			4a	
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B			4b	
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)			4c	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				
a	Share of income from firm(s)	5a				
b	Share of income from AOP/ BOI	5b				
c	Any other exempt income (specify nature and amount)					
	i		Ci			
	ii		Cii			
iii	Total (ci + cii)	5ciii				
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d			

6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4a -4b-4c— 5d)			6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG	A	House property	7a	
		B	Capital gains	7b	
		C	Other sources	7c	
		D	u/s 115BBF	7d	
		E	u/s 115BBG	7e	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a	
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b	
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a+ 8b)			9	
10	Adjusted profit or loss (6+9)			10	
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account			11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
	I	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (column 6 of Schedule-DEP)		12i	
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)		12ii	
	iii	Total (12i + 12ii)		12iii	
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)			13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6t of Part A-OI)		14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)		15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)		16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9g of Part A-OI)		17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)		18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		19		
20	Deemed income under section 41		20		
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA		21		
22	Deemed income under section 43CA		22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB		23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)		24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)		25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)			26	
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)		27		
28	Deduction allowable under section 32AD		28		
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)		29		
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of Part A-OI)		30		
31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10h of Part A-OI)		31		
32	Any other amount allowable as deduction		32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)		33		
34	Total (27+28+29+30+31+32+33)			34	
35	Income (13+26-34)			35	
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AD [62(ii) of schedule]	36i		
	ii	Section 44ADA [63(ii) of schedule]	36ii		
	iii	Section 44AE [64(iv) of schedule]	36iii		
	iv	Section 44B	36iv		
	v	Section 44BB	36v		
	vi	Section 44BBA	36vi		
	vii	Section 44DA	36 vii	(item 4 of Form 3CE)	

	viii	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	36viii		
	ix	Total (36i to 36viii)			36 ix
37		Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35 + 36 ix)			37
38		Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)			A38
	a	Income chargeable under Rule 7	38a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	38b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	38e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & Rule 8 (Item No. 37)	38f		
39		Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(38a+38b+38c+38d+38e)]			39
B Computation of income from speculative business					
40		Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			40
41		Additions in accordance with section 28 to 44DB			41
42		Deductions in accordance with section 28 to 44DB			42
43		Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)			B43
C Computation of income from specified business under section 35AD					
44		Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			44
45		Additions in accordance with section 28 to 44DB			45
46		Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			46
47		Profit or loss from specified business 44+45-46)			47
48		Deductions in accordance with section 35AD(1)			48
49		Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xii of schedule CFL)			C49
50		Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			C50
D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49)					
D					
E Intra-head set off of business loss of current year					
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)	
	ii	Income from speculative business	(B43)		
	iii	Income from specified business	(C49)		
	iv	Income from life insurance business under section 115B	(4b)		
	v	Total loss set off (ii + iii+iv)			
	v	Loss remaining after set off (i - v)			

Schedule DPM Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

1	Block of assets	Plant and machinery			
		15	30	40	45
2	Rate (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	Written down value on the first day of previous year				
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
5	Consideration or other realization during the previous year out of 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+4 - 5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				

14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3-4 -7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

DEP	RECATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
				Nil	5	10	40	10	25	20
		2	Rate (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
		3	Written down value on the first day of previous year							
		4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
		5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
		6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)							
		7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
		8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
		9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
		10	Depreciation on 6 at full rate							
		11	Depreciation on 9 at half rate							
		12	Total depreciation* (10+11)							
		13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
		14	Net aggregate depreciation (12-13)							
		15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
		16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
		17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
		18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery		1d
		a	1a	
		a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	
		b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	
		d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	
		e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c +1d)	
	2	Building (not including land)		
		a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	
		b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	

	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA-14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)		2d	
3		Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)		3	
4		Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)		4	
5		Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)		5	
6		Total depreciation (1e+2d+3+4+5)		6	

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

1	Plant and machinery				
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 20i)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 20iii)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 20iv)			
	e	Total (1a +1b + 1c + 1d)		1d	
2	Building (not including land)				
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)		2d	
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)				
4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)				
5	Ships (Schedule DOA- 17vii)				
6	Total (1e+2d+3+4+5)				

Schedule ESR Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains				
CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)				
		1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain)			
			Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY
		a	i	Full value of consideration received/receivable		ai
			ii	Value of property as per stamp valuation authority		a ii
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a ii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a ii)]		a iii
		b	Deductions under section 48			
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with Rule 8AB		bi
			ii	Cost of acquisition without indexation		b ii
			iii	Cost of Improvement without indexation		b iii
	iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		b iv		
	v	Total (bi + b ii + b iii+b iv)		Bv		

	c	Balance (aiii – bv)				1c			
	d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)				1d			
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)						A1 e	
	F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code e	State
		NOTE ►		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.					
	2	From slump sale							
			i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai		
	A		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii		
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aiii		
	B	Net worth of the under taking or division			2b				
	C	Short term capital gains from slump sale (2Aiii-2B)						A2 c	
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)							
		a	Full value of consideration				3a		
		b	Deductions under section 48						
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			bi		
			ii	Cost of acquisition without indexation			Bii		
			iii	Cost of Improvement without indexation			Biii		
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biv		
			v	Total (i + ii + iii+iv)			bv		
		c	Balance (3a – bv)				3c		
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				3d		
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)					A3 e	
	4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							
		a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid					A4 a	
		b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid					A4 b	
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD							
		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia	
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib	
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic	
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			aii		
			iii	Total (ic + ii)			aiii		
		b	Deductions under section 48						
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			bi		
			ii	Cost of acquisition without indexation			Bii		
			iii	Cost of improvement without indexation			Biii		
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			Biv		
			v	Total (i + ii + iii+iv)			Bv		

	c	Balance (5a + 5b)		5c			
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d			
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c + 5d)				A5	e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above						
	A	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
	B	Deductions under section 48					
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi			
		ii	Cost of acquisition without indexation	Bii			
		iii	Cost of Improvement without indexation	Biii			
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv			
		v	Total (i + ii + iii+iv)	bv			
	C	Balance (6a + 6b - 6c)			6c		
	D	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			6d		
	E	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)			6e		
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA			6f		
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e - 6f)				A6	g
7	Amount deemed to be short term capital gains						
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below					
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	
					Year in which asset acquired/constructed	Amount 314tilized out of Capital Gains account	
		i	2018-19	54D/54G/54GA			
	b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'					
	c	Amount deemed to be short term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act					7c
		Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b+c)					A7
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8ai+A8aii + A8b + A8c) A8						A8
		ai	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%			A8a	
		b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%			A8b	

	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates						A8c				
	9	Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA									A9 a	
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA									A9 b	
	10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a)									A1 0	
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7& 8 are not applicable for residents)										
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)										
		Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY							
	a	I	Full value of consideration received/receivable						ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii			
	b	Deductions under section 48										
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules						bi			
		ii	Cost of acquisition						bii			
		iiia	Cost of acquisition with indexation						biia			
		iiib	Total cost of improvement with indexation						biib			
			(a) Cost of Improvement									
			(b) Year of Improvement									
			(c) Cost of Improvement with Indexation									
			Add Row									
		ii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						Bii			
		v	Total (bi+bi+bii+biib)						bv			
	c	Balance (aiii – bv)										1c
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)										1d
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)										B1 e
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State			
		NOTE ►		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
	2	From slump sale										
		i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)						2ai			
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)						2aii			
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)						2aiii			
	b	Net worth of the under taking or division										2b
	c	Balance (2aiii – 2b)										2c
	d	Deduction u/s 54EC										2d
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)										B2 e
	3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)										

	a	Full value of consideration		3a			
	b	Deductions under section 48					
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules		bi		
		ii	Cost of acquisition without indexation		bii		
		iii	Cost of improvement without indexation		biii		
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		Biv		
		v	Total (bi + bii +biii+biv)		bv		
c	LTCG on bonds or debenture – (3a-bv)				B3 c		
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable						
	a	Full value of consideration		4a			
	b	Deductions under section 48					
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules		bi		
		ii	Cost of acquisition without indexation		bii		
		iii	Cost of improvement without indexation		biii		
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		Biiv		
		v	Total (bi + bii +biii+biv)		bv		
c	Long Term Capital Gains on assets at B4 (4a – bv)				4c		
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A						
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5(Column 14 of schedule 112A)					B5	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
	LTCG computed without indexation benefit					B6	
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD						
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b		Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
	b	Deductions under section 48					
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi			
		ii	Cost of acquisition without indexation	bii			
		iii	Cost of improvement without indexation	biii			
iv		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biiv				
v		Total (bi + bii +biii+biv)	bv				
c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-bv)				B7 c		
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A						
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)					B8	
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable						
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b		Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			

		iii	Total (ic + ii)				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules				bi			
		ii	Cost of acquisition with indexation				bii			
		iii	Cost of improvement with indexation				biii			
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biiv			
		v	Total (bi + bii +biii+biv)				bv			
	c	Balance (aiii – bv)				9c				
	d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)				9d				
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)							B9e	
10	Amount deemed to be long-term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below									
S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
			Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
i	2018-19	54D//54G/54GA								
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'									
c	Amount deemed to be long term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act									Sl. NO. 4b of form 5c
	Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b+c)									B10
11	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)									B11
a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A				B11a1					
a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A				B11a2					
b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%				B11b					
12	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate /lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA							B12a		
b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							B12b		
13	Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-12a]							B13		
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10 + B13) (take B13 as nil, if loss)							C		
D	Information about deduction claimed against Capital Gains									
1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details									
a	Deduction claimed u/s 54D									
i	Date of acquisition of original asset				ai	dd/mm/yyyy				
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking				aii					
iii	Date of purchase of new land or building				aiii	dd/mm/yyyy				

i	v	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv	
		Amount of deduction claimed	av	
b Deduction claimed u/s 54EC				
i	ii	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy
		Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	bii	
i	v	Date of investment	biii	dd/mm/yyyy
		Amount of deduction claimed	biv	
c Deduction claimed u/s 54G				
i	ii	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy
		Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii	
i	v	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	dd/mm/yyyy
		Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ	
i	v	Amount of deduction claimed	cv	
		d Deduction claimed u/s 54GA		
i	ii	Date of transfer of original asset from urban area	di	dd/mm/yyyy
		Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii	
i	v	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	dd/mm/yyyy
		Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div	
i	v	Amount of deduction claimed	dv	
		e Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)		

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)

Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3e*+A4a*+A8a*)	(A5e*+A8b*)	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)	A9b	(B4c*+B5*+B7c*+B8*+B9e*+B11a1*+B11a2*)	(B1e*+B2e*+B3c*+B6*+B9e*+B10*+B11b*)	B12b	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e*+A4a*+A8a*)							
iii		30%	(A5e*+A8b*)							
iv		applicable rate	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)							
v		DTAA rates	A9b							
vi	Long term capital gain	10%	(B4c*+B5*+B7c*+B8*+B9e*+B11a1*+B11a2*)							
vii		20%	(B1e*+B2e*+B3c*+B6*+B9e*+B10*+B11b*)							
viii		DTAA rates	B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i-ix)									

The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

Information about accrual/receipt of capital gain						
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.</i>					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5 viii of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>					
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>					
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>					

Schedule 112A		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
Sl. No.	Share/Unit acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value of Consideration - if shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If Shares are acquired after 31.01.2018- please enter full value of consideration	Cost of acquisition without indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a)- (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) Item 5 of LT CG Schedule of ITR 5	
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)	
1															
2															
3															
4															
Add Rows															
Total															

Schedule OS Income from other sources

1		Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)		1
a	Dividends, Gross (ai + aii)	1a		
i	Dividend income other than (ii)	ai		
ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii		
b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)	1b		
i	From Savings Bank	bi		
ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii		
iii	From Income-tax Refund	biii		
iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv		
v	Others	bv		
c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross	1c		
d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)	1d		
i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di		
ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	diii		
iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div		
v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv		
e	Any other income (please specify nature)	1e		
Sl. No.	Nature		Amount	
1				
2				
	Rows can be added as required			
2		Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl. no. 1)		2
a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB	2a		
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b		
i	Cash credits u/s 68	bi		
ii	Unexplained investments u/s 69	bii		
iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii		
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv		
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv		
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi		
c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxii)	2c		
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	Ci		
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii		
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii		
iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ		
v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	cv		
vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	Cvi		
vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	Cvii		
viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	Cviii		
ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B)	cix		
x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx		
xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cxii		
xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxii		

OTHER SOURCES

4	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)					
5	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
6	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income)					
7	Dividend income chargeable at DTAA Rates					

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)		(4of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	House property	(4of Schedule HP)				
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)				
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT

ii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)		
iii	Income from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)		
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)		
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)		
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)		
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)		
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)		
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)		
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)			
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)		
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)			
Xvi	Total of brought forward loss set off				
Xvii	Current year's income remaining after set off Total of (5i + 5ii + 5iii+ 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x +5xi +5xii+ 5xiii + 5xiv+5xv)				

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
				Brought forward business losses	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD	Brought forward Business losses available for set off during the year						
				5a	5b	5c=5a-5b						
1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	8	9	10
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	2021-22											
xiii	Total of earlier year losses b/f											
xiv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of Schedule BFLA)			(2ii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)			(2xiii of Schedule BFLA)
xv	2022-23 (Current year losses)		(2xvii of Schedule CYLA)			(3xvii of Schedule CYLA)	(B43 of Schedule BP, if -ve)	(C49 of Schedule BP, if -ve)	(A4b of Schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG)	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)

CARRY FORWARD OF LOSS

xvi	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)										
xvii	Current year losses to be carried forward (xv-xvi)										
xviii	Total loss Carried forward to future years (xiii-xiv+xvii)										

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	3(a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
a	Undertaking No.1			a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
b	Undertaking No.2			b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
c	Total deduction under section 10AA (a + b + c + d)				

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit		Eligible Amount of donation		
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode
				Total Donation	
i					
ii					

iii		Total				
B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					
	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit					
	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)					

Schedule 80GGA							
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	Total donation						

Schedule RA Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]						
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii		Total				

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA						
a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2)					c

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB						
a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the		

e	business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]			undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
f	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to e2)				f

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a		Deduction in respect of undertaking located in Sikkim		a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b		Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh		b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c		Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal		c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d		Deduction in respect of undertaking located in North-East				
	da		Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	db		Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dc		Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dd		Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	de		Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	df		Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dg		Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
dh		Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			Dh		
e		Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			E		

Schedule 80P Deductions under section 80P

		Nature of Business Code	Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members			
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry			
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members			
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, live-stocks or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.			
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing, without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.			
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members			
7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.			
8	Sec.80P(2)(b) Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act			
9	Sec.80P(2)(c)(i) Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
10	Sec.80P(2)(c)(ii) Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
11	Sec.80P(2)(d) Interest/Dividend from Investment in other co-operative society			
12	Sec.80P(2)(e) Income from Letting of godowns/ warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities			
13	Sec.80P(2)(f) Others			
14	Total			

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1 Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80G		b	80GGA
	c	80GGC			
	Total Deduction under Part B (a + b + c)				1
	2 Part C- Deduction in respect of certain incomes				
	d	80-IA	(c of Schedule 80-IA)	e	80-IAB
	f	80-IAC		g	80-IB
	h	80-IBA		i	80-IC/ 80-IE
	j	80JJA		k	80JJA
	l	80LA(1)	(9 of Annexure to Form 10CCF)	m	80LA(1A)

(f of Schedule 80-IB)
(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)
[Sl.no. 51(eiv) + 51I of Annexure to Form 10DA]

(9 of Annexure to Form 10CCF)

n	80P					
Total Deduction under Part C (total of d to n)						2
3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)					3

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI				1
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
	a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a		
	b	Deduction Claimed u/s 10AA	2b		
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed			
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any				
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)				
4	Tax payable under section 115JC(1) [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b))]/ (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2022-23 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2022-23 (2g of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2011-12				
	ii	2012-13				
	iii	2013-14				
	iv	2014-15				
	v	2015-16				
	vi	2016-17				
	vii	2017-18				
	viii	2018-19				
	ix	2019-20				
	x	2020-21				
	xi	2021-22				
	xii	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)				
	xiii	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SI

SPECIAL RATE]	SI No	Section/Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
	1	111A or section 115AD(1)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xof Schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section115AB)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	

6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
9	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(5x of Schedule BFLA)	
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)	

					BFLA)
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	(5iii of Schedule BFLA)	
12a	115AC (Income by way of interest received by a non-resident from bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cx of Schedule OS)	
12b	115AC (Income by way of dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cxiof Schedule OS)	
13	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of Schedule OS)	
14	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
15	115BBF (Income from patent)				
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of Schedule BP)	
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxv of Schedule OS)	
16	115BBG (Income from transfer of carbon credits)				
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(7e of Schedule BP)	
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxvi of Schedule OS)	
17	115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cviii of Schedule OS)	
18	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2e of Schedule OS)	
19	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
20	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
21	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% - u/s other than 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5ix of Schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
24	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)	
25	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(part of 2c of Schedule OS)	
			Total		

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit I	Capital balance on 31 st March in the firm ii
1								
2								
3								
4	Total							

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOMES	1 Interest income								1
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				i		
		ii	Expenditure incurred on agriculture				ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				iii		
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)				iv		
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)					2	
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		b	Measurement of agricultural land in Acre						
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)							3	
	a	Income u/s 10(23FB) or 10(23FBA) or 10 (23FC) or 10(23FCA) or 10(23FE) or 10(23FF) or 10(4D) Add row option and drop down to be provided in utility for each section separately				3a			
	b	Any other Income (Specify nature) – Add row option with free text to enter the nature of income to be provided in utility				3b			
4	Income not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)		
	I								
	II								
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax						4	
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)								5
6	Total (1+2+3+4+5)								6

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any					
										1	2	3	4	5
PASS THROUGH INCOME	1.			i	House property									
				ii	Capital Gains									
				a	Short term									
				ai	Section 111A									
				aii	Others									
				b	Long term									
				bi	Section 112A									
				bii	Sections other than 112A									
				iii	Other Sources									
				a	Dividend									
				b	Others									
				iv	Income claimed to be exempt									
				a	u/s 10(23FBB)									
				b	u/s									
				c	u/s									
				2.				i	House property					
								ii	Capital Gains					
								a	Short term					
								ai	Section 111A					
								aii	Others					
b	Long term													
bi	Section 112A													
bii	Sections other than 112A													
iii	Other Sources													
a	Dividend													
b	Others													
iv	Income claimed to be exempt													
a	u/s 10(23FBB)													
b	u/s													
c	u/s													

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule-TPSA Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility

TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1	Date 2	Date 3	Date 4	Date 5	Date 6
			(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code							
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2021												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held		Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract		Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2021												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
(2)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2021												
Sl No	Country Name and code	ZIP code	Address of the Property	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2021												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time calendar year ending on 31st December, 2021 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived		Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return				
(1)	(2a)	(2b)	(3)		(4)	(5)	(6)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(i)												
(ii)												

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST

DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
		(1)	(2)

NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

PART-B

Part B - TI		Computation of total income				
TOTAL INCOME	1	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)			1	
	2	Profits and gains from business or profession				
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i		
		ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii		
		iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii		
		iv	Income chargeable to tax at special rate (3d, 3e and 4b of Schedule BP)	2iv		
		v	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)		2v	
	3	Capital gains				
		a	Short term			
			i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
			ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
			v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av	
		b	Long-term			
			i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of Schedule CG)	bi	
			ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of Schedule CG)	bii	
			iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
		iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	biv		
	c	Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)			3c	
4	Income from other sources					
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a			
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b			
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c			
	d	Total (4a + 4b + 4c)			4d	
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3c + 4d)				5	
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)				6	
7	Balance after set off of current year losses (5 - 6) (total of serial no (ii), (iii), (iv) to (xv) of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)				7	
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)				8	
9	Gross Total income (7 - 8) (also total of serial no (i), (ii), (iv) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 4b + 2iii)				9	
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9				10	
11	Deductions under Chapter VI-A					
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (i+ii+iii+iv+v+viii+xiii+xiv) of column 5 of BFLA]		11a		
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]		11b		
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]		11c		
				12		
	12	Deduction u/s 10AA (Total of Sch. 10AA)				
13	Total income (9 - 11c - 12)				13	
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)				14	
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)				15	
16	Aggregate income (13 - 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]				16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xvii of Schedule CFL)				17	
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)				18	

Part B - TTI		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	A	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a	
		B	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b	
		C	Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above		1c	
		D	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d	
	2	Tax payable on total income				
		A	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI		2a	
		B	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b	
		C	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c	
		D	Tax Payable on total income (2a+2b -2c)		2d	
		E	Surcharge		Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief
			I	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei 2g(ii)	ia

	ii	10% or 15 %, as applicable, of 1(ii),7(ii),9(ii),21(ii),23(ii), Dividend income u/s. 115AD(1)(a) of Schedule SI and Dividend income included in Part BTI	2eii		iiia		
	iii	On [(2d) - [(12(ii)+ 1(ii)+ 2(ii),7(ii),9(ii),21(ii),23(ii) of Schedule SI)]	2eiii				
	iv	Total (ia+iiia)				2eiv	
	F	Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiv				2f	
	g	Gross tax liability (2d + 2eiv + 2f)				2g	
	3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)				3	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)				5	
	6	Tax relief					
		a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6a			
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b				
	c	Total (6a + 6b)				6c	
7	Net tax liability (5 - 6c) (enter zero, if negative)					7	
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d				
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)				8e	
9	Aggregate liability (7 + 8e)					9	
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 115A)	10a			
		b	TDS (total of column 9 of 15B)	10b			
		c	TCS (total of column 7 of 15C)	10c			
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d			
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)				10e
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)					11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)					12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No	
		a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>)	
		i					
		ii					
		Note:	1) All bank accounts held at any time is to be reported, except dormant A/c. 2) Minimum one account should be selected for refund credit				
		Rows can be added as required					
		b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
		Rows can be added as required					

15	TAX PAYMENTS					
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax					
	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	i					
	ii					
	iii					
	NOTE ▶	Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI				

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D furnished by Deductor(s)]																
Sl No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2021-22)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward			
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)		
							Income	TDS				Income	TDS	PAN/Aadhaar No.		
I																
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B-TTI																

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]							
Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (Tax collected during FY 2021-22)	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
			Fin. Year in which collected	Amount b/f			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							
NOTE ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI							

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.
 I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction)
 I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Sign here →

FORM	ITR-6	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Please refer instructions)	Assessment Year				
			2	0	2	2	-

Part A-GEN		GENERAL									
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name									(A2) PAN	
	(A3) Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name									(A4) Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA	
	(A8) Flat/Door/Block No	(A9) Name of Premises/Building/Village				(A5) Date of incorporation (DD/MM/YYYY)		(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)			
	(A10) Road/Street/Post Office	(A11) Area/Locality				/ /		/ /			
	(A12) Town/City/District	(A13) State		(A14) Pin code/Zip code			(A7) Type of company (Tick any one) <input checked="" type="checkbox"/> (i) Domestic Company <input type="checkbox"/> (ii) Foreign Company <input type="checkbox"/>				
		(A15) Country					If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Companies Act)				
	(A16) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1					(A17) Mobile No. 2		(A18) Email Address-1			
Email Address-2											

	Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)		
	(e)	Mention the Act, section and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act			
		Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section	(DD/MM/YY)
HOLDING STATUS	(a)	Nature of company (select 1 if holding company, select 2 if a subsidiary company, select 3 if both, select 4 if any other)			
	(b)	If subsidiary company, mention the details of the Holding Company			
		PAN	Name of Holding Company	Address of Holding Company	Percentage of Shares held
HOLDING STATUS	(c)	If holding company, mention the details of the subsidiary companies			
		PAN	Name of Subsidiary Company	Address of Subsidiary Company	Percentage of Shares held
BUSINESS ORGANISATION	(a)	In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company			
		PAN	Name of Amalgamated Company	Address of Amalgamated Company	Date of Amalgamation
	(b)	In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company			
		PAN	Name of Amalgamating Company	Address of Amalgamating Company	Date of Amalgamation
	(c)	In case of demerged company, mention the details of resulting company			
		PAN	Name of Resulting Company	Address of Resulting Company	Date of Demerger
	KEY PERSONS	(d)	In case of resulting company, mention the details of demerged company		
		PAN	Name of Demerged Company	Address of Demerged Company	Date of Demerger
KEY PERSONS	Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year and the details of eligible person who is verifying the return.				
	S.No.	Name	Designation	Residential Address	PAN/Aadhaar No. Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director
SHAREHOLDERS INFORMATION	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year				
	S.No.	Name and Address		Percentage of shares held	PAN (if allotted)
OWNERSHIP INFORMATION	In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year				
	S.No.	Name	Address	Percentage of shares held	PAN/Aadhaar No. (if allotted)
	In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company.				
	S.No.	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted) Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS	In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company				
	S.No.	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted) Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
	Nature of company				
	1	Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act			(Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	2	Whether a company owned by the Reserve Bank of India			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	3	Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4	Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	Whether a company being a non-banking Financial Institution			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

8	Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE)		
S.No.	Code [Please see instruction No.7(i)]	Description
(i)		
(ii)		
(iii)		

Part A-B5		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2022 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION	
EQUITY AND LIABILITIES	I	Equity and Liabilities	
	1	Shareholder's fund	
	A	Share capital	
	i	Authorised	Ai
	ii	Issued, Subscribed and fully Paid up	Aii
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii
	iv	Total (Aii + Aiii)	Aiv
	B	Reserves and Surplus	
	i	Capital Reserve	Bi
	ii	Capital Redemption Reserve	Bii
	iii	Securities Premium Reserve	Biii
	iv	Debenture Redemption Reserve	Biv
	v	Revaluation Reserve	Bv
	vi	Share options outstanding amount	Bvi
	vii	Other reserve (specify nature and amount)	
	a		vii a
	b		vii b
	c	Total (vii a + vii b)	Bvii
	viii	Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure)	Bviii i
	ix	Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure)	Bix
	C	Money received against share warrants	1C
	D	Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C)	1D
	2	Share application money pending allotment	
	i	Pending for less than one year	i
	ii	Pending for more than one year	ii
iii	Total (i + ii)	2	
3	Non-current liabilities		
A	Long-term borrowings		
i	Bonds/ debentures		
a	Foreign currency	ia	
b	Rupee	ib	
c	Total (ia + ib)	ic	
ii	Term loans		
a	Foreign currency	ii a	
b	Rupee loans		
1	From Banks	b1	
2	From others	b2	
3	Total (b1 + b2)	b3	
c	Total Term loans (ii a + b3)	ii c	
iii	Deferred payment liabilities	iii	
iv	Deposits from related parties (see instructions)	iv	
v	Other deposits	v	
vi	Loans and advances from related parties (see instructions)	vi	
vii	Other loans and advances	vii	
viii	Long term maturities of finance lease obligations	viii	
ix	Total Long-term borrowings (ic + ii c + iii + iv + v + vi + vii + viii)	3A	
B	Deferred tax liabilities (net)	3B	
C	Other long-term liabilities		
i	Trade payables	i	
ii	Others	ii	
iii	Total Other long-term liabilities (i + ii)	3C	
D	Long-term provisions		
i	Provision for employee benefits	i	
ii	Others	ii	
iii	Total (i + ii)	3D	
E	Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)	3E	
4	Current liabilities		
A	Short-term borrowings		
i	Loans repayable on demand		
a	From Banks	ia	
b	From Non-Banking Finance Companies	ib	
c	From other financial institutions	ic	
d	From others	id	
e	Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)	ie	
ii	Deposits from related parties (see instructions)	ii	

	iii	Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>)	iii	
	iv	Other loans and advances	iv	
	v	Other deposits	v	
	vi	Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)	4A	
B	Trade payables			
	i	Outstanding for more than 1 year	i	
	ii	Others	ii	
	iii	Total Trade payables (i + ii)	4B	
C	Other current liabilities			
	i	Current maturities of long-term debt	i	
	ii	Current maturities of finance lease obligations	ii	
	iii	Interest accrued but not due on borrowings	iii	
	iv	Interest accrued and due on borrowings	iv	
	v	Income received in advance	v	
	vi	Unpaid dividends	vi	
	vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued	vii	
	viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	viii	
	ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	ix	
	x	Other payables	x	
	xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)	4C	
D	Short-term provisions			
	i	Provision for employee benefit	i	
	ii	Provision for Income-tax	ii	
	iii	Proposed Dividend	iii	
	iv	Tax on dividend	iv	
	v	Other	v	
	vi	Total Short-term provisions (i + ii + iii + iv + v)	4D	
E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)			4E
Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)			I	
II	ASSETS			
I	Non-current assets			
A	Fixed assets			
	i	Tangible assets		
	a	Gross block	ia	
	b	Depreciation	ib	
	c	Impairment losses	ic	
	d	Net block (ia - ib - ic)	id	
	ii	Intangible assets		
	a	Gross block	iiia	
	b	Amortization	iiib	
	c	Impairment losses	iiic	
	d	Net block (iiia - iiib - iiic)	iiid	
	iii	Capital work-in-progress	iii	
	iv	Intangible assets under development	iv	
	v	Total Fixed assets (id + iiid + iii + iv)	Av	
B	Non-current investments			
	i	Investment in property	i	
	ii	Investments in Equity instruments		
	a	Listed equities	iiia	
	b	Unlisted equities	iiib	
	c	Total (iiia + iiib)	iiic	
	iii	Investments in Preference shares	iii	
	iv	Investments in Government or trust securities	iv	
	v	Investments in Debenture or bonds	v	
	vi	Investments in Mutual funds	vi	
	vii	Investments in Partnership firms	vii	
	viii	Others Investments	viii	
	ix	Total Non-current investments (i + iiic + iii + iv + v + vi + vii + viii)	Bix	
C	Deferred tax assets (Net)			C
D	Long-term loans and advances			
	i	Capital advances	i	
	ii	Security deposits	ii	
	iii	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)	iii	
	iv	Other Loans and advances	iv	
	v	Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)	Dv	
	vi	Long-term loans and advances included in Dv which is		
	a	for the purpose of business or profession	via	

		b	not for the purpose of business or profession	vib			
		c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vic			
	E	Other non-current assets					
		i	Long-term trade receivables				
		a	Secured, considered good	ia			
		b	Unsecured, considered good	ib			
		c	Doubtful	ic			
		d	Total Other non-current assets (ia + ib + ic)	id			
		ii	Others	ii			
		iii	Total (id + ii)			Eiii	
		iv	Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	iv			
	F	Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)					1F
2	Current assets						
	A	Current investments					
		i	Investment in Equity instruments				
		a	Listed equities	ia			
		b	Unlisted equities	ib			
		c	Total (ia + ib)	ic			
		ii	Investment in Preference shares	ii			
		iii	Investment in government or trust securities	iii			
		iv	Investment in debentures or bonds	iv			
		v	Investment in Mutual funds	v			
		vi	Investment in partnership firms	vi			
		vii	Other investment	vii			
		viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			Aviii	
	B	Inventories					
		i	Raw materials	i			
		ii	Work-in-progress	ii			
		iii	Finished goods	iii			
		iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv			
		v	Stores and spares	v			
		vi	Loose tools	vi			
		vii	Others	vii			
		viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			Bviii	
	C	Trade receivables					
		i	Outstanding for more than 6 months	i			
		ii	Others	ii			
		iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)			Ciii	
	D	Cash and cash equivalents					
		i	Balances with Banks	i			
		ii	Cheques, drafts in hand	ii			
		iii	Cash in hand	iii			
		iv	Others	iv			
		v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			Dv	
	E	Short-term loans and advances					
		i	Loans and advances to related parties (see instructions)	i			
		ii	Others	ii			
		iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)			Eiii	
		iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is				
		a	for the purpose of business or profession	iva			
		b	not for the purpose of business or profession	ivb			
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	ivc			
	F	Other current assets					F
	G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)					2G
	Total Assets (1F + 2G)						II

Part A-BS – Ind AS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2022 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

I Equity and Liabilities

1 Equity

A	Equity share capital		
	i	Authorised	Ai
	ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii
	iv	Total (Aii + Aiii)	Aiv
B	Other Equity		
	i	Other Reserves	
		a Capital Redemption Reserve	ia
		b Debenture Redemption Reserve	ib
		c Share Options Outstanding account	ic
		d Other (specify nature and amount)	id
		e Total other reserves (ia + ib + ic + id)	ie
	ii	Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as -ve figure)	ii
	iii	Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as -ve figure)	Biii
C	Total Equity (Aiv + Biii)		1C
2	Liabilities		
A	Non-current liabilities		
I	Financial Liabilities		
	Borrowings		
	a	Bonds or debentures	
		1 Foreign currency	a1
		2 Rupee	a2
		3 Total (1 + 2)	a3
	b	Term loans	
		1 Foreign currency	b1
		2 Rupee loans	
		i From Banks	i
		ii From other parties	ii
		iii Total (i + ii)	b2
		3 Total Term loans (b1 + b2)	b3
	c	Deferred payment liabilities	c
	d	Deposits	d
	e	Loans from related parties (see instructions)	e
	f	Long term maturities of finance lease obligations	f
	g	Liability component of compound financial instruments	g
	h	Other loans	h
	i	Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)	i
	j	Trade Payables	j
	k	Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)	k
II	Provisions		
	a	Provision for employee benefits	a
	b	Others (specify nature)	b
	c	Total Provisions	IIC
III	Deferred tax liabilities (net)		III
IV	Other non-current liabilities		
	a	Advances	a
	b	Others (specify nature)	b
	c	Total Other non-current liabilities	IVc
Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIC + III + IVc)			2A
B	Current liabilities		
I	Financial Liabilities		
	i	Borrowings	
		a Loans repayable on demand	
		1 From Banks	1
		2 From Other parties	2
		3 Total Loans repayable on demand (1 + 2)	3
		b Loans from related parties	b
		c Deposits	c
		d Other loans (specify nature)	d
		Total Borrowings (a3 + b + c + d)	Ii
	ii	Trade payables	Iii
	iii	Other financial liabilities	
		a Current maturities of long-term debt	a
		b Current maturities of finance lease obligations	b
		c Interest accrued	c
		d Unpaid dividends	d
		e Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon	e
		f Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	f
		g Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	g
		h Others (specify nature)	h
		i Total Other financial liabilities (a + b + c + d + e + f + g + h)	Iiii

			iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)		Iiv	
			II Other Current liabilities				
			a	Revenue received in advance	a		
			b	Other advances (specify nature)	b		
			c	Others (specify nature)	c		
			d	Total Other current liabilities (a + b+ c)		IId	
			III Provisions				
			a	Provision for employee benefits	a		
			b	Others (specify nature)	b		
			c	Total provisions (a + b)		IIIc	
			IV Current Tax Liabilities (Net)			IV	
			Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)			2B	
			Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)			I	
II	ASSETS						
			1 Non-current assets				
			A Property, Plant and Equipment				
			a	Gross block	a		
			b	Depreciation	b		
			c	Impairment losses	c		
			d	Net block (a – b - c)		Ad	
			B Capital work-in-progress			B	
			C Investment Property				
			a	Gross block	a		
			b	Depreciation	b		
			c	Impairment losses	c		
			d	Net block (a – b - c)		Cd	
			D Goodwill				
			a	Gross block	a		
			b	Impairment losses	b		
			c	Net block (a – b)		Dc	
			E Other Intangible Assets				
			a	Gross block	a		
			b	Amortisation	b		
			c	Impairment losses	c		
			d	Net block (a – b - c)		Ed	
			F Intangible assets under development			F	
			G Biological assets other than bearer plants				
			a	Gross block	a		
			b	Impairment losses	b		
			c	Net block (a – b)		Gc	
			H Financial Assets				
			I Investments				
			i Investments in Equity instruments				
			a	Listed equities	ia		
			b	Unlisted equities	ib		
			c	Total (ia + ib)		ic	
			ii Investments in Preference shares		ii		
			iii Investments in Government or trust securities		iii		
			iv Investments in Debenture or bonds		iv		
			v Investments in Mutual funds		v		
			vi Investments in Partnership firms		vi		
			vii Others Investments (specify nature)		vii		
			viii Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			HI	
			II Trade Receivables				
			a	Secured, considered good	a		
			b	Unsecured, considered good	b		
			c	Doubtful	c		
			d	Total Trade receivables		III	
			III Loans				
			i Security deposits		i		
			ii Loans to related parties (see instructions)		ii		
			iii Other loans (specify nature)		iii		
			iv Total Loans (i + ii + iii)			IIII	
			v Loans included in IIII above which is-				
			a	for the purpose of business or profession	va		
			b	not for the purpose of business or profession	vb		
			c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc		
			IV Other Financial Assets				
			i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i		
			ii	Others	ii		

			iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)		HIV		
	I	Deferred Tax Assets (Net)					I	
	J	Other non-current Assets						
		i	Capital Advances		i			
		ii	Advances other than capital advances		ii			
		iii	Others (specify nature)		iii			
		iv	Total non-current assets (i + ii + iii)			J		
		v	Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		v			
		Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIV + I + J)					I	
2	Current assets							
	A	Inventories						
		i	Raw materials		i			
		ii	Work-in-progress		ii			
		iii	Finished goods		iii			
		iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)		iv			
		v	Stores and spares		v			
		vi	Loose tools		vi			
		vii	Others		vii			
		viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2A		
	B	Financial Assets						
	I	Investments						
		i	Investment in Equity instruments					
			a	Listed equities	ia			
			b	Unlisted equities	ib			
			c	Total (ia + ib)	ic			
		ii	Investment in Preference shares		ii			
		iii	Investment in government or trust securities		iii			
		iv	Investment in debentures or bonds		iv			
		v	Investment in Mutual funds		v			
		vi	Investment in partnership firms		vi			
		vii	Other Investments		vii			
		viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I		
	II	Trade receivables						
		i	Secured, considered good		i			
		ii	Unsecured, considered good		ii			
		iii	Doubtful		iii			
		iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)			II		
	III	Cash and cash equivalents						
		i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)		i			
		ii	Cheques, drafts in hand		ii			
		iii	Cash on hand		iii			
		iv	Others (specify nature)		iv			
		v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			III		
	IV	Bank Balances other than III above						IV
	V	Loans						
		i	Security Deposits		i			
		ii	Loans to related parties (see instructions)		ii			
		iii	Others (specify nature)		iii			
		iv	Total loans (i + ii + iii)			V		
		v	Loans and advances included in V above which is-					
			a	for the purpose of business or profession	va			
			b	not for the purpose of business or profession	vb			
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		vc			
	VI	Other Financial Assets						VI
		Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)					2B	
	C	Current Tax Assets (Net)						2C
	D	Other current assets						
		i	Advances other than capital advances		i			
		ii	Others (specify nature)		ii			
		iii	Total			2D		
		Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)					2	
		Total Assets (1 + 2)					II	

Part A- Manufacturing Account		Manufacturing Account for the financial year 2021-22 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	1	Debits to Manufacturing account			
		A	Opening Inventory		
			i	Opening stock of raw-material	i
			ii	Opening stock of Work in progress	ii
			iii	Total (i + ii)	Aiii
		B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)		B
		C	Direct wages		C
		D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)		D
			i	Carriage inward	i
			ii	Power and fuel	ii
			iii	Other direct expenses	iii
		E	Factory Overheads		
			I	Indirect wages	i
			Ii	Factory rent and rates	ii
			Iii	Factory Insurance	iii
			Iv	Factory fuel and power	iv
			V	Factory general expenses	v
		Vi	Depreciation of factory machinery	vi	
		Vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)	Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)		1F	
	2	Closing Stock			
		i	Raw material	2i	
		ii	Work-in-progress	2ii	
		Total (2i + 2ii)		2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3

Part A-Trading Account		Trading Account for the financial year 2021-22 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
		A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)		
			i	Sale of goods	I
			ii	Sale of services	Ii
			iii	Other operating revenues (specify nature and amount)	
			a		iiia
			b		iiib
			c	Total (iiia + iiib)	iiic
			iv	Total (i + ii + iiic)	Aiv
		B	Gross receipts from Profession		B
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied		
			i	Union Excise duties	I
			ii	Service tax	Ii
			iii	VAT/ Sales tax	Iii
			iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	Iv
			v	State Goods & Services Tax (SGST)	V
			vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	Vi
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	Vii	
		viii	Any other duty, tax and cess	viii	
		ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	Cix	
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)		4D	
	5	Closing Stock of Finished Goods			5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
			i	Carriage inward	I
			ii	Power and fuel	Ii
			iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	Iii
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
		i	Custom duty	10i	
		ii	Counter veiling duty	10ii	

	iii	Special additional duty	10iii			
	iv	Union excise duty	10iv			
	v	Service tax	10v			
	vi	VAT/ Sales tax	10vi			
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii			
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12
12a	Turnover from Intraday Trading			12a		
12b	Income from Intraday Trading			12b		

Part A-P&L Profit and Loss Account for the financial year 2021-22 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account			13
	14	Other income			
	i	Rent	i		
	ii	Commission	ii		
	iii	Dividend income	iii		
	iv	Interest income	iv		
	v	Profit on sale of fixed assets	v		
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
	vii	Profit on sale of other investment	vii		
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
	x	Agricultural income	x		
	xi	Any other income (specify nature and amount)			
		A	xia		
	B	xib			
	C	xic			
xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16
	17	Consumption of stores and spare parts			17
	18	Power and fuel			18
	19	Rents			19
	20	Repairs to building			20
	21	Repairs to machinery			21
	22	Compensation to employees			
	i	Salaries and wages	22i		
	ii	Bonus	22ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
	iv	Leave encashment	22iv		
	v	Leave travel benefits	22v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
ix	Contribution to any other fund	22ix			
x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi	
xia	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xia	Yes / No		
xib	If Yes, amount paid to non-residents	xib			
23	Insurance				
i	Medical Insurance	23i			
ii	Life Insurance	23ii			
iii	Keyman's Insurance	23iii			
iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	

24	Workmen and staff welfare expenses											24	
25	Entertainment											25	
26	Hospitality											26	
27	Conference											27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)											28	
29	Advertisement											29	
30	Commission												
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company									i		
	ii	To others									ii		
	iii	Total (i + ii)									30iii		
31	Royalty												
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company									i		
	ii	To others									ii		
	iii	Total (i + ii)									31iii		
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services												
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company									i		
	ii	To others									ii		
	iii	Total (i + ii)									32iii		
33	Hotel, boarding and Lodging											33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling											34	
35	Foreign travelling expenses											35	
36	Conveyance expenses											36	
37	Telephone expenses											37	
38	Guest House expenses											38	
39	Club expenses											39	
40	Festival celebration expenses											40	
41	Scholarship											41	
42	Gift											42	
43	Donation											43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)												
	i	Union excise duty									44i		
	ii	Service tax									44ii		
	iii	VAT/ Sales tax									44iii		
	iv	Cess									44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)									44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)									44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)									44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)									44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT									44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)									44x		
45	Audit fee											45	
46	Other expenses (specify nature and amount)												
	i										I		
	ii										II		
	iii	Total (i + ii)									46iii		
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)												
	(i1)											47i(1)	
	(i2)											47i(2)	
	(i3)											47i(3)	
	(Rows can be added as required) Total [47i(1)+47i(2)+47i(3)]											47i	
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)									47ii		
	S.No.	Name	Flat / Door/ Block No	Name of Premises/ Building/ Village	Road/ Street/ Post Office	Area/ Locality	Town/ City/ District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount	
	1												
	Rows can be added as required												
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)									47iii		
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)									47iv		
48	Provision for bad and doubtful debts											48	
49	Other provisions											49	
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50	
51	Interest												

	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company			i		
	ii	To others			ii		
	iii	Total (i + ii)					51iii
	52	Depreciation and amortization					52
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)					53
	54	Provision for current tax					54
	55	Provision for Deferred Tax					55
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)					56
	57	Balance brought forward from previous year					57
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)					58
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	59	Appropriations					
	i	Transfer to reserves and surplus			59i		
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend			59ii		
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years			59iii		
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)			59iv		
	v	Any other appropriation			59v		
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)			59vi		
	60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)					60
	61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE					
		SR. NO.	Name of Business		Business code	Description	
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(a)						
	(b)						
		Total					
	Add row options as necessary (Please Note: At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)						
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)]				61(ii)	
	NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB						
NO ACCOUNT CASE	62	In case of Foreign Company whose total income comprises solely of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB or 44D furnish the following information					
		a	Gross receipts / Turnover			62a	
		b	Net profit			62b	

**Part A-
Manufacturing
Account Ind-
AS**

Manufacturing Account for the financial year 2021-22 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

	1	Debits to Manufacturing account			
	A	Opening Inventory			
	i	Opening stock of raw-material		i	
	ii	Opening stock of Work in progress		ii	
	iii	Total (i + ii)			Aiii
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B
	C	Direct wages			C
	D	Direct expenses			D
	i	Carriage inward		i	
	ii	Power and fuel		ii	
	iii	Other direct expenses		iii	
	E	Factory Overheads			
	i	Indirect wages			
	ii	Factory rent and rates			
	iii	Factory Insurance			

	iv	Factory fuel and power			
	v	Factory general expenses			
	vi	Depreciation of factory machinery			
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			1F
2		Closing Stock			
	i	Raw material	2i		
	ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2
3		Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3

**Part A-
Trading
Account Ind-
AS**

Trading Account for the financial year 2021-22 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations					
		A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
			i	Sale of goods	i		
			ii	Sale of services	ii		
			iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
			a		iiia		
			b		iiib		
			c	Total (iiia + iiib)	iiic		
			iv	Total (i + ii + iiic)		Aiv	
			B	Gross receipts from Profession			B
			C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
				i	Union Excise duties	i	
			ii	Service tax	ii		
			iii	VAT/ Sales tax	iii		
			iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
			v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
			vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
			vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
			viii	Any other duty, tax and cess	viii		
			ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		Cix	
		D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)			4D	
	5	Closing Stock of Finished Goods			5		
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6		
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7		
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8		
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9		
			i	Carriage inward	i		
			ii	Power and fuel	ii		
			iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
		10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
			i	Custom duty	10i		
			ii	Counter veiling duty	10ii		
			iii	Special additional duty	10iii		
			iv	Union excise duty	10iv		
			v	Service tax	10v		
		vi	VAT/ Sales tax	10vi			
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii			
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
		xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11		
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12		
	12a	Turnover from Intraday Trading			12a		
	12b	Income from Intraday Trading			12b		

Part A-P&L

Profit and Loss Account for the financial year 2021-22 [applicable for a company whose financial statements are drawn up

Ind-AS		in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]					
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account					
	14	Other income					
		i	Rent	i			
		ii	Commission	ii			
		iii	Dividend income	iii			
		iv	Interest income	iv			
		v	Profit on sale of fixed assets	v			
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
		vii	Profit on sale of other investment	vii			
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix			
		x	Agricultural income	x			
		xi	Any other income (specify nature and amount)				
			a	xia			
			b	xib			
			c	Total (xia + xib)		xic	
		xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)				14xii
		15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15
		16	Freight outward				16
		17	Consumption of stores and spare parts				17
		18	Power and fuel				18
		19	Rents				19
		20	Repairs to building				20
		21	Repairs to machinery				21
		22	Compensation to employees				
			i	Salaries and wages	22i		
			ii	Bonus	22ii		
			iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
			iv	Leave encashment	22iv		
			v	Leave travel benefits	22v		
			vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
			vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
			viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
		ix	Contribution to any other fund	22ix			
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)				22xi	
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents		xii a	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents		xii b			
	23	Insurance					
		i	Medical Insurance	23i			
		ii	Life Insurance	23ii			
		iii	Keyman's Insurance	23iii			
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v	
	24	Workmen and staff welfare expenses				24	
	25	Entertainment				25	
	26	Hospitality				26	
	27	Conference				27	
	28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28	
	29	Advertisement				29	
	30	Commission					
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
		ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				30iii	
	31	Royalty					
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
		ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				31iii	

32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services												
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company								i			
	ii	To others								ii			
	iii	Total (i + ii)											32iii
33	Hotel, boarding and Lodging											33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling											34	
35	Foreign travelling expenses											35	
36	Conveyance expenses											36	
37	Telephone expenses											37	
38	Guest House expenses											38	
39	Club expenses											39	
40	Festival celebration expenses											40	
41	Scholarship											41	
42	Gift											42	
43	Donation											43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)												
	i	Union excise duty								44i			
	ii	Service tax								44ii			
	iii	VAT/ Sales tax								44iii			
	iv	Cess								44iv			
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)								44v			
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)								44vi			
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)								44vii			
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)								44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT								44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)											44x
45	Audit fee											45	
46	Other expenses (specify nature and amount)												
	i									i			
	ii									ii			
	iii	Total (i + ii)											46iii
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)												
	(i1)											47(i1)	
	(i2)											47i(2)	
	(i3)											47i(3)	
	(Rows can be added as required) Total (47i1+47i2+47i3)										47i		
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)								47ii			
	S.No.	Name	Flat / Door/ Block No	Name of Premises/ Building/ Village	Road/ Street/ Post Office	Area/ Locality	Town/ City/ District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount	
	1												
	Rows can be added as required												
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)								47iii			
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)											47iv
48	Provision for bad and doubtful debts											48	
49	Other provisions											49	
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50	
51	Interest												
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company								i			
	ii	To others								ii			
	iii	Total (i + ii)											51iii
52	Depreciation and amortisation											52	
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)											53	
54	Provision for current tax											54	
55	Provision for Deferred Tax											55	
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)											56	
57	Balance brought forward from previous year											57	
58	Amount available for appropriation (56 + 57)											58	
59	Appropriations												
	i	Transfer to reserves and surplus								59i			
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend								59ii			

	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years	59iii			
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)	59iv			
	v	Any other appropriation	59v			
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi			
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)				60	
61	A Items that will not be reclassified to P&L					
	i	Changes in revaluation surplus	i			
	ii	Re-measurements of the defined benefit plans	ii			
	iii	Equity instruments through OCI	iii			
	iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv			
	v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures, to the extent not to be classified to P&L	v			
	vi	Others (Specify nature)	vi			
	vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L	vii			
	viii	Total		61A		
	B Items that will be reclassified to P&L					
	i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i			
	ii	Debt instruments through OCI	ii			
	iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge	iii			
	iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L	iv			
	v	Others (Specify nature)	v			
	vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P&L	vi			
	vii	Total		61B		
62	Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B)				62	

Part A- OI		Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for otherfill, if applicable)			
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash			
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]			3a
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]			3b
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals)			
		a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4d
		e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4e
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
		a	the items falling within the scope of section 28	5a	
		b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
		c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
		d	any other item of income	5d	
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-				
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		

	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
	j	Amount of contributions to any other fund	6j	
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viii)]	6m	
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q	
	r	Any other disallowance	6r	
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)		6s
	t	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)		
		i deployed in India	i	
		ii deployed outside India	ii	
		iii Total	iii	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a	
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b	
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c	
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d	
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e	
	f	Any other penalty or fine	7f	
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
	h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h	
	i	Amount of any liability of a contingent nature	7i	
	j	Any other amount not allowable under section 37	7j	
	k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)		7k
8	A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae	
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af	
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag	
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/ 40(ba)]	Ah	
	i	Any other disallowance	Ai	
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		Aj
	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a	
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b	
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c	
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d	
	e	Any other disallowance	9e	
	f	Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e)		9f
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a	

	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	da	any sum payable as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)		11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	a	Union Excise Duty	12a		
	b	Service tax	12b		
	c	VAT/sales tax	12c		
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
	[If yes, please fill schedule TPSA]				

Part A – QD		Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB)			
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock		1	
	2	Purchase during the previous year		2	
	3	Sales during the previous year		3	
	4	Closing stock		4	
	5	Shortage/ excess, if any		5	
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
	a	Opening stock		6a	
	b	Purchases during the previous year		6b	
	c	Consumption during the previous year		6c	
	d	Sales during the previous year		6d	
	e	Closing stock		6e	
	f	Yield finished products		6f	

	g	Percentage of yield	6g
	h	Shortage/ excess, if any	6h
7	Finished products/ By-products		
	a	opening stock	7a
	b	purchase during the previous year	7b
	c	quantity manufactured during the previous year	7c
	d	sales during the previous year	7d
	e	closing stock	7e
	f	shortage/ excess, if any	7f

Part A – OL		Receipt and payment account of company under liquidation	
Receipt and payment account of company under liquidation	1	Opening balance	
		i	Cash in hand
		ii	Bank
		iii	Total opening balance
	2	Receipts	
		i	Interest
		ii	Dividend
		iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)
		a	
		b	
		c	
		d	Total (iiia + iiib + iiic)
		iv	Realisation of dues/debtors
		v	Others (pls. specify whether revenue/capital, nature and amount)
		a	
		b	
		c	Total of other receipts (va + vb)
		vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc)
	3	Total of opening balance and receipts	
	4	Payments	
		i	Repayment of secured loan
		ii	Repayment of unsecured loan
		iii	Repayment to creditors
		iv	Commission
		v	Others (pls. specify)
		a	
		b	
		c	Total of other payments (4va + 4vb)
	vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	
5	Closing balance		
	i	Cash in hand	
	ii	Bank	
	iii	Total of closing balance (5i + 5ii)	
6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)		

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)							
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City	State	PIN Code / Zip Code			
		Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)							
		Assessee's percentage of share in the property %							
		Name of Co-owner(s)		No. of Co-owner (s)	Percentage Share in Property				
		I							
		II							
		/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see Note)		PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
		<input type="checkbox"/> Let out		I					
		<input type="checkbox"/> Deemed let out		II					
		<input type="checkbox"/> Self-occupied							
		a	Gross rent received or receivable or lettable value			1a			
		b	The amount of rent which cannot be realized			1b			
		c	Tax paid to local authorities			1c			
		d	Total (1b + 1c)			1d			
		e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self -occupied etc. as per section 23(2) of the Act)			1e			
		f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			1f			
		g	30% of 1f			1g			
		h	Interest payable on borrowed capital			1h			
		i	Total (1g + 1h)			1i			
		j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			1j			
	k	Income from house property 1 (1f – 1i+1j)			1k				
2	Address of property 2		Town/ City	State	PIN Code/Zip code				
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)								

Assessee's percentage of share in the property											
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadh [] owner (s)				Percentage Share in Property					
I											
II											
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) if TDS credit is claimed)			
<input type="checkbox"/> Let out		I									
<input type="checkbox"/> Deemed let out		II									
<input type="checkbox"/> Self-occupied											
a		Gross rent received or receivable/ lettable value <i>(higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)</i>						2a			
b		The amount of rent which cannot be realized						2b			
c		Tax paid to local authorities						2c			
d		Total (2b + 2c)						2d			
e		Annual value (2a – 2d)						2e			
f		Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)						2f			
g		30% of 2f						2g			
h		Interest payable on borrowed capital						2h			
i		Total (2g + 2h)						2i			
j		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%						2j			
k		Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)						2k			
3		Pass through income/loss if any *						3			
4		Income under the head "Income from house property" (1k + 2k + 3) <i>(if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)</i>						4			
NOTE		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.									

Schedule BP		Computation of income from business or profession									
A		From business or profession other than speculative business and specified business									
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii) and 62(b) of Part A-P&L) / (item 53 of Part A-P&L – Ind AS) (as applicable)								1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)						2a			
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)						2b			
	3	a	House property		3a						
		b	Capital gains		3b						
		c	Other sources		3c						
		ci	Dividend income		3ci						
		cii	other than Dividend income		3cii						
	d	u/s 115BBF		3d							
	e	u/s 115BBG		3e							
4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/44AE/44D/44DA//Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) (Dropdown to be provided)						4a				
4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B						4b				
4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)						4c				
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt										
	a	Share of income from firm(s)		5a							
	b	Share of income from AOP/ BOI		5b							
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)									
		i			ci						
ii				cii							
iii	Total (ci + cii)		5ciii								
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)						5d				
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 4 – 5d)										
7	A	House property		7a							
	B	Capital gains		7b							
	C	Other sources		7c							
	D	u/s 115BBF		7d							
	E	u/s 115BBG		7e							
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt										

8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)		8b		
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a+8b)		9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)		10		
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account		11		
12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iii) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
	iii	Total (12i + 12ii)	12iii		
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)		13		
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)		14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)		15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)		16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)		17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)		18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		19		
20	Deemed income under section 41\		20		
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-		21		
22	Deemed income under section 43CA		22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB		23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a		24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock		25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)		26		
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)		27		
28	Deduction allowable under section 32AD		28		
29	Amount allowable as deduction under section 32AC		29		
30	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item		30		
31	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)		31		
32	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10h of Part		32		
33	Any other amount allowable as deduction		33		
34	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column		34		
35	Total (27+28+29+30+31+32+33+34)		35		
36	Income (13+26-35)		36		
37	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AE (61(ii) of schedule P&L)	37i		
	ii	Section 44B	37ii		
	iii	Section 44BB	37iii		
	iv	Section 44BBA	37iv		
	v	Section 44BBB	37v		
	vi	Section 44D	37vi		
	vii	Section 44DA	37vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Chapter-XII-G (tonnage)	37viii	(total of col. 7 of item 10 of Form	
	ix	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	37ix		
	x	Total (37i to 37ix)	37x		
38	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business		38		

39	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 38) (If loss take the figure to 2i of item F) (39a+ 39b + 39c + 39d + 39e +	A39	
a	Income chargeable under Rule 7	39a	
b	Deemed income chargeable under Rule 7A	39b	
c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	39c	
d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	39d	
e	Deemed income chargeable under Rule 8	39e	
f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 38)	39f	
40	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-	40	
B Computation of income from speculative business			
41	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account	41	
42	Additions in accordance with section 28 to 44DB	42	
43	Deductions in accordance with section 28 to 44DB	43	
44	Income from speculative business) (41+42-43) (if loss, take the figure to 6xv of schedule CFL)	B44	
C Computation of income from specified business under section 35AD			
45	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	45	
46	Additions in accordance with section 28 to 44DB	46	
47	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	47	
48	Profit or loss from specified business (45+46-47)	48	
49	Deductions in accordance with section 35AD(1)	49	
50	Income from Specified Business) (48-49) (if loss, take the figure to 7xv of schedule CFL)	C50	
51	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C51	
D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A39+B44+C50)			

E Intra head set off of business loss of current year				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A39)	
ii	Income from speculative business	(B44)		
iii	Income from specified business	(C50)		
iv	Income from Life Insurance business u/s. 115B	(4b)		
v	Total loss set off (ii + iii)			
vi	Loss remaining after set off (i - v)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
1	Block of assets	Plant and machinery			
		15	30	40	45
2	Rate (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	Written down value on the first day of previous year				
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				

16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)						
1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
		Nil (i)	5 (ii)	10 (iii)	40 (iv)	10 (v)	25 (vi)	20 (vii)
2	Rate (%)							
3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery				
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a			
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b			
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c			
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d			
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)				1e
	2	Building (not including land)				
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a			
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b			
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c			
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)				2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)				3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)				4

5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)	5
6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)	6

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets			
I	Plant and machinery				
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1d		
	e	Total (1a + 1b + 1c + 1d)		1e	
	2	Building (not including land)			
		a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a	
		b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b	
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c	
		d	Total (2a + 2b + 2c)		2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
	6	Total (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule CG		Capital Gains						
A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)							
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain)						
		Date of purchase/acquisition			DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY	
		a	i		Full value of consideration received/receivable		ai	
			ii		Value of property as per stamp valuation authority		aii	
			iii		Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]		aiii	
		b	Deductions under section 48					
			i		Cost of acquisition without indexation		bi	
			ii		Cost of Improvement without indexation		bii	
			iii		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii	
			iv		Total (bi + bii + biii)		biv	
		c	Balance (aiii - biv)			1c		
		d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)			1d		
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)			A1e		
		F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)					
S.No.	Name of buyer(s)		PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State
	NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.						
2	From slump sale							
	A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)	2ai				
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)	2aii				
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aiii				
	B	Net worth of the under taking or division		2b				

		C Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)		A2c
3		From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)		
	a	Full value of consideration	3a	
	b	Deductions under section 48		
		I Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii Cost of Improvement without indexation	bii	
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv Total (i + ii + iii)	biv	
	c	Balance (3a – biv)	3c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d	
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e
4		For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)		
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid		A4a
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid		A4b
5		For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD		
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
		iii Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48		
		i Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii Cost of improvement without indexation	bii	
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv Total (i + ii + iii)	biv	
	c	Balance (5aiii – biv)	5c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d	
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e
6		From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above		
	A	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii	
		iii Total (ic + ii)	aiii	
	B	Deductions under section 48		
		i Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii Cost of Improvement without indexation	bii	
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv Total (i + ii + iii)	biv	
	C	Balance (6aiii – biv)	6c	
	D	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	6d	
	E	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)	6e	
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA	6f	
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)		A6g
7		Amount deemed to be short term capital gains		

<p>a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below</p>										
Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year			New asset acquired/constructed			Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)		
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account					
i	2018-19	54D/54G/54GA								
<p>b Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'</p>										
Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b)									A7	
<p>8 Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)</p>										
A8										
<p>a Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%</p>							A8a			
<p>b Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%</p>							A8b			
<p>c Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates</p>							A8c			
<p>9 Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA</p>										
Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
<p>a Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA</p>										A9a
<p>b Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA</p>										A9b
<p>10 Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a)</p>										A10
<p>B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7 & 8 are not applicable for residents)</p>										
<p>1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)</p>										
Date of purchase/acquisition		DD/MM/YYYY			Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY			
<p>a I Full value of consideration received/receivable ai</p>										
<p>ii Value of property as per stamp valuation authority aii</p>										
<p>iii Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)] aiii</p>										
<p>b Deductions under section 48</p>										
<p>i Cost of acquisition bi</p>										
<p>ii Cost of acquisition with indexation biia</p>										
<p>iiib Total Cost of Improvement with indexation biib</p>										
<p>(a) Cost of improvement</p>										
<p>(b) Year of improvement</p>										
<p>(c) Cost of Improvement with indexation</p>										
<p>Add row</p>										
<p>iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer biii</p>										
<p>iv Total (biia + biib + biii) bvi</p>										
<p>c Balance (aiii – biv) 1c</p>										
<p>d Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below) 1d</p>										
<p>e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)</p>									B1e	
<p>f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)</p>										
S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State			
<p>NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.</p>										
<p>2 From slump sale</p>										
<p>a i Fair market value as per Rule 11UAE(2)</p>					2ai					

	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)	2aii		
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aiii		
	b	Net worth of the under taking or division	2b		
	c	Balance (2aiii – 2b)	2c		
	d	Deduction u/s 54EC	2d		
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)			B2e
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)				
	a	Full value of consideration	3a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	LTCG on bonds or debenture - (3a-biv)			B3c
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable				
	a	Full value of consideration	4a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	Long Term Capital Gains on assets at B4 (4a – biv)			4c
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5(Column 14 of schedule 112A)				B5
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	LTCG computed without indexation benefit				B6
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FIH as referred to in sec. 115AD				
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
		iii	Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii	Cost of improvement without indexation	bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
	c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv)			B7c
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)				B8
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable				
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii	
		iii	Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48			

Schedule 112A		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
S. No.	Share/Unit Acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31st January, 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a) c)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - Item 5 of LTCG Schedule of ITR6
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 12)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)	
1															
2															
Add rows															
Total															

Schedule 115AD(1)(b)(iii)- Proviso		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
S. No.	Share/Unit Acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquired after 31st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration.	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a) c)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - Item 8 of LTCG Schedule of ITR6
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)	
Add rows															
Total															

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1
	a	Dividends, Gross			1a	
	i	Dividend income other than (ii)			ai	
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)			aii	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)			1b	
	i	From Savings Bank	bi			
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society	bii			
	iii	From Income-tax Refund	biii			
	iv	In the nature of Pass through income/Loss	biv			
	v	Others	bv			
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di	
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			dii	
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			diii	
iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			div		
v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			Dv		
1e	Any other income (please specify nature)					
	Sl. No	Nature			Amount	
	1			1		
	Add rows					
2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl.no.1)				2	
a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc.			2a		
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b		
i	Cash credits u/s 68			bi		
ii	Unexplained investments u/s 69			bii		
iii	Unexplained money etc. u/s 69A			biii		
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B			biv		
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C			bv		
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			bvi		
c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxviii)			2c		
i	Dividends received by foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	ci				
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii				
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii				
iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ				
v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%	cv				
vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaab)	Cvi				
vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaac)	Cvii				
Viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaad)	Cviii				
ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115(1)(b)(B)	cix				
x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx				
xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	Cxi				
xii	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	Cxii				
xiii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	Cxiii				
xiv	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cxiv				
xv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	cxv				

		xvi	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC					cxvi					
		xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF					cxvii					
		xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG					cxviii					
		xix	Dividend received by an Indian company from specified foreign company-115BBD					cxix					
		xx	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act					cxx					
		xxi	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)					cxxi					
		xxii	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)					cxxii					
		xxiii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)					cxxiii					
		d	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (<i>drop down to be provided</i>)								2d		
		e	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (<i>total of column (2) of table below</i>)								2e		
			Sl. No.	Amount of income	Item No. 1a, 1b to 1d 2a, 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			I										
			II										
		3	Deductions under section 57 (<i>other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c & 2d</i>)										
			a	Expenses / Deductions (Other than entered in C)					3a				
			b	Depreciation (available only if income offered in 1c)					3b				
			c	Interest expenditure on dividend u/s 57(1) (only if income offered in 1a)					3c				
			ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value					3ci				
			d	Total					3d				
		4	Amounts not deductible u/s 58								4		
		5	Profits chargeable to tax u/s 59								5		
		6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates [1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5] (<i>If negative take the figure to 4i of schedule CYLA</i>)								6		
		7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (<i>enter 6 as nil, if negative</i>)								7		
		8	Income from the activity of owning race horses										
			a	Receipts					8a				
			b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b				
			c	Amounts not deductible u/s 58					8c				
			d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d				
			e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (<i>if negative take the figure to 1ix of Schedule CFL</i>)								8e	
		9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (<i>take 8e as nil if negative</i>)								9		
		10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources										
			S. No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3				
					(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
			1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)									
			2	Dividend Income referred in 1a(i)									
			3	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) @ 20% (Including PTI Income)									

	4	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)					
	5	Dividend Income u/s 115BBD @ 15% (Including PTI Income)					
	6	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
	7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income)					
	8	Dividend income chargeable at DTAA Rates					

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses				
Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) →		(4 of Schedule -HP)	(2vi of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	House property	(4 of Schedule HP)				
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(A39 of Schedule BP)				
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
Xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
Xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
Xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i - xvii)					

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years				
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding Income from Insurance Business, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iii	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
X	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
Xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off Total of 5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii+5xiii+ 5xiv + 5xv)					

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years										
S. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
				Brought forward business loss	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Brought forward Business loss available for set off during the year						
1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	2021-22											
xiii	Total of earlier year losses b/f											
xiv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of Schedule BFLA)	(2ii of Schedule BFLA)			(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of Schedule BFLA)			(2xiv of Schedule BFLA)

	xv	2022-23 (Current year losses)		(2xviii of Schedule CYLA)	(3xviii of Schedule CYLA)	(B44 of Schedule BP, if -ve)	(C50 of Schedule BP, if -ve)	4b of Schedule BP, (if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)
	xvi	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)									
	xvii	Current year losses to be carried forward (xv-xvi)									
	xviii	Total loss Carried forward to future years (xiii-xiv+xvii)									

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit	
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	Accounting Policies		
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
III	Construction Contracts		
IV	Revenue Recognition		
V	Tangible Fixed Assets		
VI	Changes in Foreign Exchange Rates		
VII	Government Grants		
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
IX	Borrowing Costs		
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets		
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)		
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)		

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
	c	Total deduction under section 10AA (a+b)			

DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	ii						
	iii						
	iv	Total					
	B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	ii						
iii							
iv	Total						
C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
ii							
iii							
iv	Total						
D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
ii							
iii							
iv	Total						
E Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)							

Schedule 80GGA Details of donations for scientific research or rural development							
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
Total donation							

Schedule RA Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]						
	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA						
DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1+ c2)					d

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB						
	a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir & Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in the case of company carrying on scientific research [Section 80-IB(8A)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	d	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	e	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			e2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	f	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

	business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
g	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to f2)				g

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE					
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim			a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh			b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal			c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East					
		da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			dh		
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				e		

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
		a	80G	b	80GGB		
		c	80GGA	d	80GGC		
		Total Deduction under Part B (a + b + c + d)				1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes					
		e	80-IA	(d of Schedule 80-IA)	f	80-IAB	
		g	80-IAC		h	80-IB	(g of Schedule 80-IB)
		i	80-IBA		j	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)
		k	80JJA		l	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]
		m	80LA(1)	(9 of Annexure to Form 10CCF)	n	80LA(1A)	(9 of Annexure to Form 10CCF)
		o	80M- Details of distribution of dividend as provided in e-filing utility		p	80-PA	
		Total Deduction under Part C (total of e to p)				2	
3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)				3		

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates [Please see instructions] for section and rate of tax]			
Sl No	Section/Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(5vi of Schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
9	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso	<input type="checkbox"/>	10	(5x) of Schedule BFLA)	
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)	
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	(5iii of Schedule BFLA)	
13a	115AC ((Income by way of interest received by non-resident from bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cx of Schedule OS)	

13b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident on GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cxi of Schedule OS)
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of Schedule OS)
15	115BBD (Dividend received from specified foreign company)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 2cxix of Schedule OS)
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)
17	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a foreign company from Royalty & Fees for Technical Services)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cxix of Schedule OS)
18	115BBF (Income from patent)			
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of Schedule BP)
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxvii of Schedule OS)
19	115BBG (Income from transfer of carbon credits)			
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of Schedule BP)
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxviii of Schedule OS)
20	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2e of Schedule OS)
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% other than section 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)
27	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	<input type="checkbox"/>	10	(2cx of Schedule OS)
28	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act	<input type="checkbox"/>	50	(2cxix of Schedule OS)
29	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	<input type="checkbox"/>		(part of 2c of Schedule OS)
			Total	

Schedule IF Information regarding investment in unincorporated entities

Number of entities in which investment is held									
Sl. No.	Name of the entity	Type of the entity	PAN of the entity	Whether the entity is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to entity? (Yes/No)	Percentage Share in the profit of the entity	Amount of share in the profit		Capital balance on 31 st March in the entity
							I	ii	
1									
2									
3									
4	Total								

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME										
1	Interest income							1		
2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				i				
	ii	Expenditure incurred on agriculture				ii				
	iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				iii				
	iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 40 of Sch. BP)				iv				
	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)					2			
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)								
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located								
	b	Measurement of agricultural land in Acre								
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)								
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)								
3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)							3		
a	Income u/s 10(23FB), 10(23FBA), 10(23FC), 10(23FCA), 10(23FE), 10(23FF), 10(4D) Add row option and dropdown to be provided in utility				3a					
	b Any other Income (Specify nature) – Add row option to be provided in utility				3b					
4	Income not chargeable to tax as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)			
5	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)							5		
6	Total (1+2+3+4+5)							6		

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

S.No	Invested in section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	S.No	Head of income	Current year income	Share of Current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any				
										(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(drop down to be provided)				i	House property							
					ii	Capital Gains							
						A	Short term						
						Ai	Section 111A						
						Aii	Others						
						B	Long term						
						Bii	Section 112A other than 112A						
					iii	Other Sources							
						A	Dividend						
						B	Others						
					iv	Income claimed to be exempt							
						A	u/s 10(23FBB)						
						B	u/s						
	C	u/s											
2.					i	House property							
					ii	Capital Gains							
						a	Short term						
						ai	Section 111A						
						aii	Others						
						b	Long term						
						bii	Section 112A Other than 112A						
					iii	Other Sources							
						a	Dividend						
						b	Others						
					iv	Income claimed to be exempt							
						a	u/s 10(23FBB)						
						b	u/s						
	c	u/s											

PASS THROUGH INCOME

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule MAT		Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB	
1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')		<input type="checkbox"/>
2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N')		<input type="checkbox"/>
3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')		<input type="checkbox"/>
4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable)		4
5	Additions (if debited in profit and loss account)		
	a	Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof	5a
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)	5b
	c	Provisions for unascertained liability	5c
	d	Provisions for losses of subsidiary companies	5d
	e	Dividend paid or proposed	5e
	f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5f
	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	5g
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	5h
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	5i
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	5j
	k	Depreciation attributable to revaluation of assets	5k
	l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	5l
	m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	5m
	n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)	5n
6	Deductions		
	a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	6a
	b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b

Minimum Alternate Tax

	c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c			
	d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	6d			
	e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	6e			
	f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6f			
	g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	6g			
	h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	6h			
	i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	6i			
	j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j			
	k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k			
	l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	6l			
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)				7	
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB					
	a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8a			
	b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8b			
	c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8c			
	d	Others (including residual adjustment)	8d			
	e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e			
	B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB					
	f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8f			
	g	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g			
	h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h			
	i	Others (including residual adjustment)	8i			
	j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j			
9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)			9		
	a	Deemed total income u/s 115JB from Units located in IFSC, if any	9a			
	b	Deemed total income u/s 115JB from other Units (9-9a)	9b			
10	Tax payable under section 115JB / (9% of (9a) + 15% of (9b))				10	

Schedule MATC		Computation of tax credit under section 115JAA				
1	Tax under section 115JB in assessment year 2022-23 (1d of Part-B-TT1)					1
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2022-23 (2f of Part-B-TT1)					2
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3
4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]					
MAT CREDIT	S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit		MAT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)	
	i	2008-09				
	ii	2009-10				
	iii	2010-11				
	iv	2011-12				
	v	2012-13				
	vi	2013-14				
	vii	2014-15				
	viii	2015-16				
	ix	2016-17				
	x	2017-18				
	xi	2018-19				
	xii	2019-20				
	xiii	2020-21				
xiv	2021-22					

	xv	2022-23[(SI no 1-SI no 2 of)-(SI No 6c -2f of Schedule Part B-TTI, only if positive)]					
	xvi	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xvii]					5	
6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xvii]					6	

Schedule- BBS		Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares							
TAX ON BUY BACK OF SHARES	S	Description		Details of 1 st buy-back		Details of 2 nd buy-back		Details of 3 rd buy-back	
	(i)	(ii)		(iii)		(iv)		(v)	
	1	Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)	
	2	Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares							
	3	Amount received by the company for issue of such shares							
	4	Distributed Income of the company (2 – 3)							
	5	Tax payable on distributed income	a	Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4					
			b	Surcharge on 'a'					
			c	Health & Education cess on (a+b)					
			d	Total tax payable (a+b+c)					
6	Interest payable under section 115QB								
7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)								
8	Tax and interest paid								
9	Net payable/refundable (7-8)								
10	Date(s) of deposit of tax on distribution income	Date 1	Date 2	Date 1	Date 2	Date 1	Date 2		
		(DD/M M/YYYY Y)	(DD/M M/YYYY Y)	(DD/M M/YYYY Y)	(DD/M M/YYYY Y)	(DD/M M/YYYY Y)	(DD/MM/YYYY)		
11	Name of Bank and Branch								
12	BSR Code								
13	Serial number of challan								
14	Amount deposited								

Schedule- TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1	Date 2	Date 3	Date 4	Date 5	Date 6
			(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code							
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI				Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1				i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
					Total					
2				i	House Property					

I Details of liabilities								
Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution								
Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)	

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST		
Sl. No. (1)	GSTIN No(s) (2)	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed (3)

NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

Schedule FD Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)		Amount (in Rs.)
S. No.		
i	Payments made during the year on capital account	
ii	Payments made during the year on revenue account	
iii	Receipts during the year on capital account	
iv	Receipts during the year on revenue account	

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

Part B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	1
	2	Profits and gains from business or profession	
		i Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A39 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i
		ii Profits and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii
		iii Profits and gains from specified business (3(iii) of Table E Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii
		iv Income chargeable to tax at special rates (3d and 3e & 4b of Table E of Schedule BP)	2iv
		v Total (2i + 2ii+2iii + 2iv)	2v
	3	Capital gains	
		a Short term	
		I Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai
		Ii Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii
		Iii Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii
		Iv Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv
		V Total Short-term (ai + aii + aiia + aiv) (enter nil if loss)	3av
		b Long-term	
		I Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi
		Ii Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii
		Iii Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii
		Iv Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	biv
		c Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c
4	Income from other sources		
	a Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
	b Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b	
	c Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d Total (4a + 4b + 4c)	4d	
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3c + 4d)	5	
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)	6	
7	Balance after set off current year losses (5 – 6) (Also total of (ii, iii, v to xv of column 5 of Schedule CYLA+4b+2iv)	7	
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)	8	
9	Gross Total income (7 – 8) (Also total of (i,ii,iv to xiv of column 5 of schedule BFLA+4b+2iv)	9	
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10	
11	Deductions under Chapter VI-A		
	a Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto total of (i, ii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of Schedule BFLA]	11a	
	b Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	11b	

	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c
12		Deduction u/s 10AA (Total Sch. 10AA)	12
13		Total income (9 - 11c - 12)	13
14		Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of Schedule SI)	14
15		Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)	15
16		Net agricultural income (2v of Schedule EI)	16
17		Losses of current year to be carried forward (total of xvii of Schedule CFL)	17
18		Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)	18

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)		1a	
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c	
		d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)		1d	
	2	Tax payable on total income				
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI		2a	
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b	
		c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)		2c	
		d	Surcharge			
		i	25% of 16(ii) of Schedule SI	2di	2g(ii)	
		ii	On [(2c) – (16(ii) of Schedule SI)]	2dii		
		iii	Total (i + ii)		2diii	
		e	Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii)		2e	
		f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)		2f	
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)				3
	4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)				4
	5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]				5
	6	Tax relief				
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6a			
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b			
	c	Total (6a + 6b)		6c		
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative)				7	
8	Interest and fee payable					
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)		8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9	
TAXES PAID	10	Taxes Paid				
		a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	10a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)	10b		
		c	TCS (total of column 7 of 15C)	10c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d		
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)		10e	
11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12	
BANK ACCOUNT	13 Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)					
	(a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>)	
	i					
ii						
Note: 1) Minimum one account should be selected for refund credit 2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return Row can be added as required						
(b)	Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					
	S. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
Row can be added as required						
14	Do you at any time during the previous year, (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

15 TAX PAYMENTS														
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax														
ADVANCE/SELF-ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan			Amount (Rs)	
	(1)	(2)				(3)				(4)			(5)	
	i													
	ii													
iii														
NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI														

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D furnished by Deductor(s)]														
Sl No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2021-22)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt /withdrawals offered		TDS credit being carried forward	
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/Aadhaar No.		
i														
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI														

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]								
TCS ON INCOME	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (TCS collected during the FY 2021-22)	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding Receipt is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i								
ii								
NOTE ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI								

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date				Sign here →	
------	--	--	--	-------------	--

“FORM ITR-V	<u>INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM</u>		Assessment Year 2022-23
	[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		
Name			
PAN		Form Number	
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number	
VERIFICATION			
I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number _____ is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____.			
Signature →			
Date of submission		Source IP address	
System Generated Barcode/QR Code			
Instructions:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Please send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to “Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY. Alternately, you may e-verify the electronic transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-filing account through Net-Banking login or EVC obtained generated using Pre-Validated Bank Account/Demat Account or EVC generated through Bank ATM. 2. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account. 3. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income.”. 			

<u>INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT</u>		Assessment Year 2022-23
[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		
PAN		
Name		
Address		
Status		Form Number
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number

Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	
	Total Income		
	Book Profit under MAT, where applicable	2	
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	
	Net tax payable	4	
	Interest and Fee Payable	5	
	Total tax, interest and Fee payable	6	
	Taxes Paid	7	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	9	
	Additional Tax payable u/s 115TD	10	
	Interest payable u/s 115TE	11	
	Additional Tax and interest payable	12	
	Tax and interest paid	13	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)	14	
Income Tax Return submitted electronically on DD-MM-YYYY 00:00:00 from IP address _____ and verified by _____ having PAN _____ on _____ using _____ mode			
* paper ITR-Verification Form /Electronic Verification Code _____ generated through _____ mode			
System Generated Barcode/QR Code			

* **Strike off whichever is not applicable**

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU.

[Notification No. 21/2022] [F.No. 370142/8/2022-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 229(E), dated the 29th March, 2022.